

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2024—माघ 27, शक 1945

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2024

एफ-11-164-2019-सूअप्र-एक-9-50.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री ए. के. शुक्ला, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को सपत्नीक भोपाल से धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) वाया-दिल्ली-अमृतसर (कैलेण्डर वर्ष 2023 की तीसरी एल. टी. सी.) हेतु दिनांक 26 से 29 दिसम्बर, 2023 तक, चार दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2024

क्र.-एफ-1-3-6-0002-2023-साप्रवि-कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रणय वर्मा उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को ओएसडी-कम-पीपीएस, उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक-ए-8721-(दो-1-11-2022), दिनांक 27 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 6 से 9 नवम्बर 2023 तक 4 दिवस का पूर्ण वेतन एवं भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 नवम्बर 2023 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 19 नवम्बर 2023 तक सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

आर. क्र-1782223-2024-साप्रवि-कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-5-99-(दो-1-21-2023), दिनांक 5 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 13 से 17 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश सहित अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 तथा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक-एफ क्र. 31011-04-2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

(2) माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा अवकाश नगदीकरण का उपभोग किये जाने का यह तृतीय अवसर है।

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2024

आर क्र. 121-1782196-2024-साप्रवि कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. ए. धर्माधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इंदौर के एल. टी. सी. का आवेदन अवकाश, ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-9276-दो-1-17-2016, दिनांक 13 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपयोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

(2) माननीय न्यायाधिपति का अवकाश नगदीकरण का उपयोग करने का यह प्रथम अवसर है।

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2024

आर. क्र. 723-1782300-2024-साप्रवि-कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी. उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्रस्ताव प्रस्ताव क्रमांक-डी-5201-(दो-1-22-2023), दिनांक 5 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 24 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2023 तक पन्द्रह दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2024

क्र. एफ. 5-16-2022-साप्रवि-कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री आनन्द पाठक, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-4625-(दो-1-7-2021), दिनांक 3 नवम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 17 अक्टूबर 2023 तक एक दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 10-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 20-21 जनवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

## संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 123-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 दिसम्बर 2023 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड्स / एस. डी. ई. आर. एफ. भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 9 फरवरी 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 3-4 व 10-11 फरवरी, 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत पुरी (उड़ीसा) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री महेश चन्द्र जैन — स्वयं
2. श्रीमती उषा जैन — पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड्स / एस.डी.ई.आर.एफ. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 76-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 3 से 12 जनवरी 2024 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत अण्डमान-निकोबार जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री ललित शाक्यवार — स्वयं
2. श्रीमती मधुर खन्ना शाक्यवार — पत्नी
3. कु. आर्निक खन्ना शाक्यवार — पुत्री
4. श्री ओज्स खन्ना शाक्यवार — पुत्र

(2) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अमित सांघी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 82-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन को दिनांक 24 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 फरवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सचिन शर्मा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्र. 427-1855283-24-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बालाघाट	बालाघाट	श्री भूपेन्द्र सिंह, JMFC

No. 427-1855283-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Balaghat	Balaghat	Shri Bhupendra Singh, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2024

क्र. एफ 4-3-0001-2023-1-पैसठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 की कंडिका क्रमांक 6.3-वित्तीय सहायता की उपकंडिका 6.3.1- प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स अंतर्गत निम्नानुसार नवीन प्रावधान अन्तः स्थापित किया जाता है :-

“आयोजनों में सहभागिता हेतु सहायता-मध्यप्रदेश के स्टार्टअप्स को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी—

- (अ) स्टार्टअप केन्द्रित घरेलू आयोजनों (Domestic Events) में प्रति आयोजन सहभागिता हेतु किये गए व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रुपये 50,000 तक की प्रतिपूर्ति.

- (ब) देश से बाहर स्टार्टअप केन्द्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों (International / Overseas Events ) प्रति आयोजन सहभागिता हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रुपये 1,50,000 तक प्रतिपूर्ति.
- (स) उक्त बिन्दु क्रमांक (अ) तथा (ब) में उल्लेखित वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश के किसी भी स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक आयोजन हेतु प्रबंध संचालक, (म. प्र.) लघु उद्योग निगम के अनुमोदन उपरांत प्रदान की जा सकेगी. किन्तु यह सहायता एक स्टार्टअप को उसके जीवनकाल में दो बार से अधिक नहीं दी जावेगी.

उक्त (अ), (ब) एवम् (स) से अधिक राशि अथवा संख्या होने की स्थिति में प्रकरण यथोचित पाये जाने पर सचिव / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अनुमोदन से स्वीकृत किये जावेंगे.

राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सहभागिता में किये गए व्यय में सहभागी द्वारा आने-जाने, ठहरने, उत्पाद परिवहन एवं स्टॉल शुल्क यदि कोई हो तो, पर किये गए व्यय उक्त सहायता हेतु पात्र होंगे.

उक्त सहायता प्राप्त करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप्स को आयोजन दिनांक से 15 दिन पूर्व मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर को आवेदन करना होगा, जिसमें आयोजन का विवरण, उपयोगिता / प्रासंगिकता एवं अनुमानित व्यय का उल्लेख होगा. उक्त आवेदन के आधार पर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल द्वारा स्टार्टअप को आयोजन में सहभागिता हेतु निर्णय लिया जायेगा एवं इस संबंध में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल का निर्णय अंतिम होगा.''

2. उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, सचिव.

### संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2023

क्र. एफ-11-08-2019-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-08-2019-तीस, दिनांक 6 मार्च 2020 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयवाधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

#### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	इन्दौर	महु, डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम जामखुर्द	किला (शासकीय)	सर्वे नं. 221	0.480	राजस्व विभाग	धार्मिक पूजा (एक मंदिर है) किला जीर्णशीर्ण है तथा एक बावड़ी स्थित है.
म. प्र.	खरगोन	महेश्वर	ग्राम बागरदा	जाम दरवाजा	बीट बागरदा आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 57	0.040	म. प्र. शासन वन विभाग	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनील दुबे, उपसचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्रमांक-यूडीएच-3/0004/2024/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि0क0अ0 आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4640/टीसी/52/इंदौर/ उपां/नग्रानि/2023 दिनांक 04/10/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	भागीरथपुरा तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर	98/2	4.387	आमोद-प्रमोद (आंशिक) रेल्वे स्टेशन, वाणिज्यिक एवं मार्ग	औद्योगिक, आमोद-प्रमोद (आंशिक) एवं मार्ग
		कुल रकबा	4.387 हेक्टेयर		

शर्तें:-

1. प्रश्नाधीन स्थल के पश्चिम दिशा में विद्यमान एम0आर0 4 मार्ग की चौड़ाई 45.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः रेल्वे की सीमा के पश्चात मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।
2. आवेदित स्थल के दक्षिण दिशा में स्थित वर्तमान 12.00 मीटर चौड़े मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
3. स्थल पर विद्यमान धार्मिक स्थल के संबंध में संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जाना आवश्यक होगा ।
4. स्थल पर निर्माण/विकास के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव/उपयुक्तता का समुचित परीक्षण किया जाकर पर्यावरणीय संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित विभागों से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

## सूचना

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्रमांक-यूडीएच-3/0006/2024/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि0क0अ0 आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4273/टीसी/22/देवास/ उपां/नग्रानि/2023 दिनांक 15/09/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

## अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	देवास जूनियर तहसील देवास नगर जिला देवास	288/2	0.280	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
		कुल रकबा	0.670 हेक्टेयर		

## शर्तें:-

1. प्रश्नाधीन स्थल पर उत्तर दिशा में विद्यमान महात्मा गांधी मार्ग की चौड़ाई 20.00मीटर यथावत रखी जावे ।
2. प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा में 16.00 मीटर चौड़ मार्ग की चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से 18.00 मीटर रखना आवश्यक होगा एवं मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना होगा ।
5. उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा ।

## सूचना

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्रमांक-यूडीएच-3/0008/2024/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4662/टीसी/30/रतलाम/ उपां/नग्रानि/2023 दिनांक 04/10/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित आलोट विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

## अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	विक्रमगढ़ तहसील आलोट जिला रतलाम	1345/1/1	0.670	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
		कुल रकबा	0.670 हेक्टेयर		

## नोट:-

तहसीलदार, तहसील आलेट जिला रतलाम की फर्द बटांकन वर्ष 2022-2023 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का खसरा क्रमांक 1345/1/1 एवं रकबा 0.670 के अनुसार उपांतरण प्रस्तावित है।

## शर्तें:-

1. प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख आलोट विक्रमगढ़ रेल्वे स्टेशन मार्ग (मुख्य मार्ग क्रमांक-3) की चौड़ाई आलोट विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः रेल्वे स्टेशन की सीमा से 30.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
2. रेल्वे सीमा से 30.00 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
4. वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 एवं आलोट विकास योजना, 2031 के प्रावधानानुसार लागू होंगे।
5. उपरोक्त उपांतरण आलोट विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.



भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्रमांक 01 /ई-1719628/2023/18-1, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु पदों के चिन्हांकन के लिए समिति के अनुसार, एतद्वारा, अनुसूची-एक के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की स्थापना में अनुसूची-2 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों को चिन्हांकित करती है, अर्थात्:-

## अनुसूची-एक

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

श्रेणी	पद /संवर्ग नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निशक्तजनो के लिए चिन्हांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बीनापन एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रोफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु-बिकलांगता (1.5%)	योग (6+7+8+9)	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	लेखाधिकारी (सहायक संचालक)	15	15	1	0	0	0	1	1	
तृतीय	सहायक लेखाधिकारी	73	73	4	1	1	1	1	4	
द्वितीय	स्वच्छता अधिकारी/ओ स अपशिष्ट प्रबंधन	12	12	1	0	0	0	1	1	
तृतीय	स्वच्छता निरीक्षक	100	100	6	1	1	2	2	6	
तृतीय	उपयंत्री	685	685	41	10	10	11	10	41	

No. 01 / E-1719658/2023/18-1, In exercise of the powers conferred by section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No.49 of 2016), the State Government, in accordance with the committee for the Identification of the posts for the disabled persons under the provisions of rule 17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disability Rules, 2017, hereby, identifies the posts reserved for the Disabled Persons as per the specifications prescribed in Schedule-II in the establishment of Urban Development and Housing Department of Schedule I, namely :-

**Schedule-I**

**Urban Development and Housing Department**

Category	Post/ Cadre	Posts sanctio ned for direct recruit ment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)	Visually Impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim and Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness and Multiple Disability (1.5%)	Total (6+7+ 8+ 9)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Second	Account Officer (Assistant Dairector)	15	15	1	0	0	0	1	1	
Thlrd	Assistant Account Officer	73	73	4	1	1	1	1	4	
Second	City Sanitation Officer/ Solid Waste manageme nt Officer	12	12	1	0	0	0	1	1	
Third	Sanitation Inspector	100	100	6	1	1	2	2	6	
Third	Sub Engineer	685	685	41	10	10	11	10	41	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हर्षल पंचोली, उपसचिव.

**ऊर्जा विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2024

क्रमांक 846 /1762994/2023/तेरह : यह कि, मेसर्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, "ऊर्जा भवन", लिंक रोड-2, 5 नं. बस स्टॉप के पास, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016 द्वारा 400 केव्ही उपकेन्द्र छेगांव से 33/220 केव्ही पूलिंग, सबस्टेशन सकतापुर तक एवं 220 केव्ही छेगांव सकतापुर लाईन AP/25 के कॉमन पाईन्ट से 33/220 केव्ही पूलिंग सबस्टेशन चित्रामोड़ तक 220 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण का इरादा रखता है।

और यह कि ओववदक मेसर्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश में 400 केव्ही उपकेन्द्र छेगांव से 33/220 केव्ही पूलिंग, सबस्टेशन सकतापुर तक एवं 220 केव्ही छेगांव सकतापुर लाईन AP/25 के कॉमन पाईन्ट से 33/220 केव्ही पूलिंग सबस्टेशन चित्रामोड़ तक 220 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के दो जिलों यथा खण्डवा एवं खरगोन में हैं एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाईनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे।

अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार, एतदद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, भोपाल को मध्यप्रदेश के खण्डवा एवं खरगोन जिले में 220 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है :-

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को उपरोक्तानुसार शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा।
- (ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू.) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के

- अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों एवं पूर्वीग उपकेन्द्रों पर संबद्ध करेगी।
- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा।
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2022 के प्रावधानों तथा उनके संशोधनों के अधीन किया जाएगा।
- (vi) आवेदक कंपनी को गांवों/शहरों के उन भूमि मालिकों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाईन के सपोर्ट / टावरों को खड़ा किया जाना है।
- (vii) पारेषण लाईनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।
- (viii) यदि लाईनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है, तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी।
- (ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रॉसिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण/कंपनी की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी।
- (x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें निकालने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। साथ ही लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- (xi) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
- (xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जाकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- (xiii) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।
- (xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।
- (xvi) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।
- (xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी।
- (xviii) लाईनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन, राज्य पारेषण उपयोगित (एस.टी.यू.) तथा म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।
- (xix) राज्य सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमति को वापस ले सकती है या रद्द कर सकती है।
- (xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी।

No. 846-1762994-2023-13

Whereas, the applicant M/s Rewa Ultra Megha Solar Limited, "Urja Bhawan" Link Road-2, near 5 no. Bus Stop, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016 intends to lay 220 kV overhead transmission line from 400 kV Substation Chhegaon to 33/220 kV Pooling Substation, Saktapur & from common point of 220 kV Chhegaon - Saktapur line AP/25 to 33/220 kV Pooling Substation Chitramood.

And whereas, the applicant M/s Rewa Ultra Megha Solar Limited has applied for permission to lay over head transmission line from 400 kV Substation Chhegaon to 33/220 kV Pooling Substation Saktapur & from common point of 220 kV Chhegaon - Saktapur line AP/25 to 33/220 kV Pooling Substation Chitramood in Madhya Pradesh, under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines are in Khandwa & Khargone Districts of Madhya Pradesh and the line route covers main villages in the area.

Now therefore, the State Government, after consideration of the application received hereby, accords permission to M/s Rewa Ultra Megha Solar Limited under Section 68 of the Electricity Act 2003, for construction of above mentioned 220 kV overhead transmission lines in Khandwa & Khargone Districts of Madhya Pradesh, on the following terms and conditions:-

- i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/construction of the aforesaid overhead transmission lines for the purpose specified as above.
- ii. The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way" (RoW) clearance from District Magistrate, concerned departments and land owners at its own cost.
- iii. The applicant Company, shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substation & Pooling Substations in accordance with the Lay-out plan & line orientation as approved by MPPTCL.

- iv. The construction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per the proposed route as marked on the topo sheet.
- v. The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 & as amended from time to time and rules & regulations framed there under and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023, CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction, operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 & amendments thereof.
- vi. The Applicant Company will be required to obtain "NO OBJECTION CERTIFICATE" from land owners of the Villages / Towns on whose land, support/towers are to be erected.
- vii. The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority.
- viii. In case cutting of trees is required for construction of lines, the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.
- ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines, National / State highway, river, railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/Company.
- x. In case the lines are proposed to pass over the forest land, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area. In addition, in case, for laying of line if forest area is not involved 'No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required.
- xi. In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees, the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities.
- xii. The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/charged.
- xiii. On completion of construction work of the proposed lines, the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector, before charging the lines, at its own cost.

- xiv. If there is any damage to personal/public property during construction of proposed lines, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.
- xv. If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.
- xvi. The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of State/Central Govt., prevailing and as amended from time to time.
- xvii. The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work.
- xviii. The permission for construction of lines is for four years from the date of order issued by State Government. The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government, State Transmission Utility (STU) and MPPTCL.
- xix. The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the above stipulated time period.
- xx. On violation of any of the above mentioned terms / conditions, the permission shall automatically stand CANCELLED.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.



## कार्यालय, कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग), डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

क्र. 2715-सहा.आयु.-वन अधि.-2024

डिण्डौरी, दिनांक 19 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के जप क्रमांक एफ 23-2/2021/25-3/384 भोपाल दिनांक 22.04.2022 एवं जपन क्र. एफ 23-2/2021/25-3/484 भोपाल दिनांक 26.05.2022 द्वारा जारी निर्देश के तारतम्य में मंत्री परिषद आदेश आईएम क्रमांक 15 दिनांक 04 मई 2022 द्वारा किये गये अनुसंधान के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (ज) के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश के 827 वनग्रामों (वर्तमान में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन) को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें से 86 वनग्राम डिंडौरी जिले के सम्मिलित हैं।

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला डिण्डौरी के पत्र क्रमांक 3478/सहा.आयु./वन अधि./2022 डिण्डौरी दिनांक 18.11.2022 के द्वारा 82 वनग्रामों एवं पत्र क्रमांक 1282/सहा.आयु./वन अधि./2023 डिण्डौरी दिनांक 24.04.2023 के द्वारा 03 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने की अधिसूचना जारी की गई है। शेष 01 वनग्राम खपरीपानी विकासखण्ड बजाग को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत एवं अनुसंधान के परीक्षण उपरांत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा वनग्राम खपरीपानी विकासखण्ड बजाग को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

## विकासखण्ड-बजाग

क्र.	तहसील का नाम	वनमण्डल का नाम	वन परिषद का नाम	वन मरिसर का नाम	वनखंड का नाम	वनकर्म क्रमांक	वन नाम	वनग्राम का मौगालि क रकबा	वनग्राम का क्षेत्रफल (हे.मै) जो राजस्व ग्राम के रूप में संपरिवर्तन होगा	वनग्राम को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन की कार्यवाही होने के कारण	वनग्राम को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन होने की कार्यवाही की चतुष्टिक सीमाएँ				ग्राम की कुल जनसंख्या	वनाधि कार पट्टे दारों की संख्या T
											उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	बजाग	डिंडौरी	खपरीपानी	खपरीपानी	K-2 बिजौरी, D-12 ढाबा	482B, 488B, 489B, 490B, 536B, 537B, 538, 539B, 540B, 531B,	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बजाग	डिंडौरी	खपरीपानी	खपरीपानी	K-2 बिजौरी, D-12 ढाबा	482B, 488B, 489B, 490B, 536B, 537B, 538, 539B, 540B, 531B,	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल का संयुक्त (प्रमुख सचिव वन प्रमुख सचिव राजस्व एवं प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग) का पत्र क्र. एफ23-2/2021/25-3/384, भोपाल दिनांक 22 अप्रैल 2022 के अनुसारण में अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत वनग्रामों का राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन के कारण

उपरोक्त संपरिवर्तन राजस्व ग्रामों में भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना, संधारण एवं प्रबंधन तथा अद्वितीयकरण किये जाने तथा राजस्व विवादों के निपटारे हेतु व्यवस्था बनाये जाने का भी निर्णय लिया गया है। उक्त के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

1/ वनग्राम से संपरिवर्तन राजस्व ग्राम में भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना- (1) सर्वप्रथम ऐसे राजस्व ग्राम को, जिस तहसील में वे स्थित हैं, के निकटतम पटवारी हल्के के साथ संबद्ध किया जाए, इस प्रकार उनके भू-अभिलेख तैयार करने हेतु भू-सर्वेक्षण का कार्य ऐसे पटवारी हल्के का अंशभाग मानते हुए प्रारंभ किया जा सकेगा। वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम को निकटतम पटवारी हल्के में समामेलित कर ऐसे पटवारी हल्के की पुनर्विचयना का प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख की ओर भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104 के उपबंधों के अधीन ऐसे पटवारी हल्का की पुनर्विचयना का आदेश जारी करेंगे।

(2) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम की बाह्य सीमाओं को चिन्हंकित करते हुए ऐसे राजस्व ग्राम का कुल भू-भाग, तथा वन विभाग के पास उपलब्ध सभी भू-अभिलेख, भू-सर्वेक्षण कर राजस्व भू-अभिलेख तैयार करने तथा राजस्व भू-अभिलेख संधारित करने हेतु, जिला सर्वेक्षण अधिकारी (कलेक्टर) को सौंपे जाएंगे, जिन्हें भू-सर्वेक्षण के कार्य के लिए प्राथमिक अभिलेख के रूप में उपयोग किया जाएगा। वन विभाग द्वारा चिन्हंकित बाह्य सीमाओं के विषय में सीमा चिन्हों तथा निर्देशांको (रिफरेंस पॉइंट) का रजिस्टर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख) नियम, 2020 (जिन्हें आगे सर्वेक्षण नियम कहा गया है) के नियम 10 में विहित प्रारूप-दस में रखा जायेगा।

(3) आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा भू-सर्वेक्षण प्रारंभ करने के लिए सर्वेक्षण नियम के नियम 10 के अधीन प्रारूप-बारह में अधिसूचना जारी की जाएगी और उक्त अधिसूचना की दिनांक से ऐसे राजस्व ग्राम के क्षेत्र को भू-सर्वेक्षण के अधीन धारित समझा जाएगा। राजस्व ग्राम में भू-सर्वेक्षण का कार्य संपन्न हो चुकने के पश्चात आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा सर्वेक्षण नियम के नियम 10 के अधीन विहित प्रारूप-तेरह में जारी की जाएगी।

(4) सर्वेक्षण सक्रियता संचयन करने के दौरान और बाद में भू-अभिलेख संधारण के प्रत्येक प्रक्रम पर यथास्थिति नगरेत्तर क्षेत्रों की भूमि (आबादी को छोड़कर) के सर्वे हेतु मार्गदर्शिका जो आयुक्त भू-अभिलेख के पत्र क्रमांक 158/2021 दिनांक 16/02/2021 द्वारा जारी की गई है, के प्रावधान भी यथोचित परितर्जन सहित अनुसरित किए जाएंगे।

(5) जिला सर्वेक्षण अधिकारी (जिला कलेक्टर) ऐसे राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण सक्रियताओं के प्रारंभ होने की अधिसूचना सर्वेक्षण नियम के नियम 14 के अधीन विहित प्रारूप-चौदह में जारी करेगा। इस प्रकार सर्वेक्षण सक्रियता प्रारंभ कर सर्वप्रथम ड्रोन पदति का उपयोग करते हुए नक्शा तैयार कराया जाएगा, जिसमें स्थल पर भूमि उपयोग के आधार पर कृषि उपयोग में लिए जा रहे भू-खण्ड को सर्वेक्षण संख्यांक तथा कृषि भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लिए जा रहे भू-भाग को ब्लॉक संख्यांक दिए जाएंगे और ब्लॉक संख्यांक के भीतर अलग-अलग प्रयोजन के अनुसार उपयोग में लिये जा रहे भू-खण्ड संख्यांक की सीमाएं सारिखित करते हुए नक्शा तैयार किया जाएगा और प्रत्येक संख्यांक को यथास्थिति पृथक-पृथक क्रमांक दिये जाएंगे। इस कार्य हेतु जिला सर्वेक्षण अधिकारी अपने जिले में पदस्थ अन्य राजस्व कर्मियों को जिन्हें यह उचित समझे नियोजित कर सकेगा।

(6) इस प्रकार तैयार नक्शे में सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक का आकार प्रदर्शित करते हुए उनके विषय में प्रारंभिक माप की गणना हेतु माप पुस्तिका तैयार की जाएगी और पैमाइश के अनुसार अद्यतन किये गए विद्यमान भू-अभिलेखों (वन विभाग से प्राप्त) का उपयोग करते हुए प्रारूप अभिलेख तैयार किया जायेगा। परन्तु यदि कोई भू-अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो भू-सर्वेक्षण के दौरान लिये गये माप तथा किये गये अवलोकन के आधार पर प्रारूप अभिलेख तैयार किया जायेगा।

(7) इस प्रकार तैयार किये गये प्रारूप अभिलेख के विद्यमान अभिलेख अनुसार वनाधिकार की सूची तैयार की जाएगी, जिसमें सामुदायिक उपयोग में मान्य भू-भाग के ब्यारी भी वर्णित होंगे। जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी (जो उपखंड अधिकारी होगा) प्रारूप भू-अभिलेख के संबंध में दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु उद्घोषणा सर्वेक्षण नियम के नियम 17 के अधीन विहित प्रारूप-पंद्रह में जारी करेगा, जिसमें दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कम से कम 15 दिवस की अवधि दी जायेगी।

- (8) जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे वनाधिकार प्राप्त हैं और जिसका नाम प्रारूप अभिलेख में है, सर्वेक्षण नियम 17 के अधीन विहित प्रारूप-सोलह में अपने दावे तथा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु सूचना जारी करेगा और सूचनाओं की तामिली की अभिस्वीकृति का रजिस्टर सर्वेक्षण नियम के नियम 17 के अधीन विहित प्रारूप-सत्रह में रखा जायेगा।
- (9) इस प्रकार दावे और आपत्तियों के लिये नियत अंतिम तिथि के पश्चात उनका जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी (जो उपखंड अधिकारी होगा) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और सर्वेक्षण नियम के नियम 17 एवं 18 के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रस्तुत दावे/आपत्तियों का विनिश्चय किया जाएगा। अंतिम भू-अभिलेखों के प्रकाशन की सूचना सर्वेक्षण नियम के नियम 20 के अधीन विहित प्रारूप उन्नीस में जारी की जायेगी।
- (10) उल्लेखनीय है कि ऊपर दिये गये उल्लेखानुसार प्रारूप अभिलेख के आधार पर तैयार किये गये अंतिम अभिलेख के रूप में ग्राम का खसरा सर्वेक्षण नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्रारूप-एक में तैयार किया जायेगा, जिसमें कॉलम (7) में वनाधिकार धारक का नाम अंकित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान अंतर्गत उद्भूत अधिकार प्राप्त रहेंगे, न कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन भूमिस्वामी के अधिकार। वनाधिकार धारक संहिता की धारा 181 के उपबंधों का सरकारी पट्टेदार नहीं है अतएव कॉलम (7) में उसके नाम व अन्य विवरण के साथ "वनाधिकार धारक" अवश्य लिखा जाएगा, साथ ही "अहस्तान्तरीय" भी लिखा जाएगा। ऐसे मामलों में खसरा के कॉलम (4), (5), (6) एवं (8) अनुपयोगी हैं, अतएव इन कॉलमों में "वनाधिकार धारक होने से लागू नहीं" अंकित किया जाएगा। तैयार किये गये अंतिम भू-अभिलेख के खसरा के आधार पर ग्रामवार खतौनी सर्वेक्षण नियम के नियम 8 के अधीन विहित प्रारूप-आठ में तैयार की जायेगी।
- (11) संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के ऐसे भू-भाग को, जिसमें वनवासी निवास करते हैं अर्थात् बसाहट-आबादी है, उसे स्थल की स्थिति के अनुसार एक या अधिक ब्लॉक संख्यांक दिए जाएंगे, जिनमें वनवासी द्वारा निवास या आनुषंगिक में उपयोगित भू-भाग को भू-खण्ड संख्यांक के रूप में दर्शाया जाएगा।
- (12) बसाहट-आबादी के भू-भाग की सर्वेक्षण संक्रियाएं संपन्न करने के दौरान और बाद में उनके भू-अभिलेख संधारण के प्रत्येक प्रक्रम पर यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सर्वेक्षण का सर्वे कर अधिकार अभिलेख के निर्माण के लिए जारी दिशा निर्देश क्रमांक 3-4/2020(सातशा.6 दिनांक 07.07.2020 के प्रावधान भी यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुसरित किए जाएंगे।
- (13) खसरा में सामुदायिक उपयोग के भू-खंडों को सामुदायिक उपयोग-प्रयोजन अंकित किया जायेगा, यथा श्मशान/कब्रिस्तान, चारागाह, हाट-बाजार, स्कूल, आंगनवाड़ी, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केन्द्र, खाल निकालने का स्थान, खाद के गड्डे, सडकगली आदि। इस प्रकार प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये सामुदायिक उपयोग के भू-खंडों हेतु एक पृथक सामुदायिक उपयोग-निस्तर पत्रक संधारित किया जायेगा।
- (14) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में बसाहट-आबादी के भू-अभिलेख एवं निस्तर भूमि के भू-अभिलेख तैयार करने एवं संधारण के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा बाजिल-उल-अर्ज) नियम, 2020 (जिसे आगे दखलरहित भूमि नियम कहा गया है) यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुसरित किए जाएंगे।
- (15) इस प्रकार तैयार किये गये खसरा के साथ-साथ एक पुनर्क्रमांकन रजिस्टर सर्वेक्षण नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्रारूप-छ: में रखा जायेगा जिसमें सर्वेक्षण के पूर्व के अभिलेखों के संख्यांक तथा सर्वेक्षण उपरान्त दिये गये संख्यांक अंकित होंगे।
- (16) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के अंतिम भू-अभिलेख के तौर पर उपरोक्तानुसारतैयार किया गया नक्शा, खसरा तथा पुनर्क्रमांकन रजिस्टर भू-सर्वेक्षण की संक्रिया से निर्मित अंतिम अभिलेख के रूप में संधारित किये जायेंगे और खसरा के आधार पर तैयार की गयी ग्रामवार खतौनी ऐसे ग्राम का उपसर्गी अभिलेख होगा।
- (17) भू-सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रक्रम पर तैयार किए जाने वाले अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए उनकी सॉफ्टकापी सुरक्षित रखी जाएगी और भविष्य में वैध आदेश के अनुसारण में किए जाने वाले परिवर्तनों का ऐसे आदेश के संदर्भ उल्लेख के साथ कम्प्यूटरीकृत अभिलेख में प्रविष्टि अंकित की जाएगी।
- (18) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि वनाधिकार धारक के भूमि में के हित वंशागत न्यायगित हो सकते हैं, संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं हो सकते। अतः भू-अभिलेखों में और उनकी प्रतिलिपि प्रदान के समय प्रतिलिपियों में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि वनाधिकार धारक के भूमि के हित अहस्तंरणीय हैं। वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के वनाधिकार धारकों को उनकी भूमि के विषय में कोई भू-अधिकार पुस्तिका या ऐसा अन्य कोई अभिलेख या उसकी प्रति जारी नहीं की जाएगी जिससे उसके भूमिस्वामी होने का भ्रम होने की संभावना हो। ऐसी सतर्कता से भविष्य के विवादों से बचा जा सकेगा।

- 2/ **नामांतरण-** (1) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अनुसार वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना प्राधान्यित है। धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसार ऐसे प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होंगे किन्तु, संकमणीय या अंतरणीय नहीं होंगे।
- (2) वनाधिकार धारक भूमि में के अपने वनाधिकार या कोई हित विक्रय, दान या अन्यथा अंतरित नहीं कर सकता, तथापि ऐसे वनाधिकार धारक की मृत्यु के कारण उसके अधिकार वंशागत होंगे। अर्थात् धारक की मृत्यु के उपरान्त उसकी स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अनुसार न्यायमित होंगे। स्पष्ट है कि धारक की मृत्यु होने पर भू-अभिलेखों में उसके वैध वारिसों के नाम से नामांतरण कर अभिलेखों को अद्यतन किया जाएगा।
- (3) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 (जिन्हें आगे नामांतरण नियम कहा गया है) यथावश्यक परिवर्तन सहित संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के मामलों में अनुसरित किए जाएंगे।
- (4) भू-अभिलेखों को अद्यतन एवं शुद्ध रखने का दायित्व पटवारी का होगा और मृत वनाधिकार धारक के वैध वारिस धारक की मृत्यु की दिनांक से छह माह के भीतर भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए अपने अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट, पटवारी के माध्यम से या सीधे तहसीलदार को नामांतरण नियमों में विहित यथास्थिति प्रारूप का उपयोग करते हुए, कर सकते हैं।
- (5) तहसीलदार मृत वनाधिकार धारक के वारिसों की ओर से प्राप्त रिपोर्ट या पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन को संज्ञान में लेते हुए नामांतरण नियमों के उपबंधों का अनुसरण करते हुए सभी हितबद्धपक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे, संबंधित पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे, जनसामान्य से आपत्ति/दावा हेतु सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और इस प्रकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट/नामांतरण हेतु आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर परीक्षण कर भू-अभिलेखों में नामांतरण हेतु विधि अनुसार आदेश पारित कर भू-अभिलेख अद्यतन किए जाएंगे। इस प्रकार नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण होने पर नामांतरण आदेश की प्राप्ति और अद्यतन भू-अभिलेख की प्रति (खसरा एवं खतौनी की प्रति) समस्त हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की जाएगी।
- 3/ **सीमांकन-** (1) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में वनाधिकार धारक की कृषि भूमि के विषय में यदि कोई सीमा विवाद है अथवा वह अपनी जानकारी/संतुष्टि के लिए सीमांकन कराना चाहता है तो वह तहसीलदार को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में कृषिभूमि के सीमांकन के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 (जिन्हें आगे सीमांकन नियम कहा गया है) यथावश्यक परिवर्तन सहित संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के मामलों में अनुसरित किए जाएंगे।
- (3) सीमांकन के लिए उक्त सीमांकन नियमों में विहित प्रारूप में विहित फीस के भुगतान के साथ आवेदन करना होगा। इस प्रकार आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को आवेदित सर्वेक्षित संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह सन्निहित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक पडोस के धारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात आवेदित संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और सीमांकन नियमों में विहित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट आवश्यक संलग्नों सहित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा जिसका समुचित परीक्षण कर तहसीलदार अभिप्रमाणन करेगा।
- (4) यदि कोई पक्षकार उक्तानुसार सीमांकन से प्रतिवेदित है तो यह उपखण्ड अधिकारी को अभ्यावेदन कर सकेगा और ऐसे मामले में उपखण्ड अधिकारी पुनः सीमांकन हेतु एक दल का गठन करेगा जिसमें अधीक्षक भू-अभिलेख या सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख या राजस्व निरीक्षक दल नायक होगा और एक अन्य राजस्व निरीक्षक सदस्य होगा, जो पुनः सीमांकन कर अपनी रिपोर्ट नियमों में विहित प्रारूप में आवश्यक संलग्नों सहित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिस पर उपखण्ड अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।
- 4/- **वन विभाग द्वारा जारी किए गए पंद्रह वर्षीय पट्टे-** (1) आरक्षित वन एवं संरक्षित वन के भीतर स्थित कतिपय भू-भाग पर राज्य शासन के वन विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्र जो वनाच्छादित नहीं हैं, पर कतिपय कृषकों को पंद्रह वर्षीय कृषि पट्टे दिये हैं, जिनका अवधि अवसान के दौरान नवीकरण भी नहीं किया गया है, किन्तु वन विभाग द्वारा उन्हें अभी तक ऐसी पट्टाधीन भूमि पर से बेदखल नहीं किया गया है, और वे अभी भी अपने पूर्व पट्टे के आधार पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे कृषि पट्टाधारियों के विवरण, उन्हें दिए गये मूल पट्टा या नवीकृत पट्टा तथा नक्सा के साथ, जिला सर्वेक्षण अधिकारी (कलेक्टर) को सौंपे जाएंगे।

(2) उपरोक्त उप कंडिका (1) के विवरण अनुसार ऐसे पंद्रह वर्षीय पट्टों को नवीकृत मानते हुए उनके विषय में भी भू-अभिलेख तैयार किए जाएंगे तथा उनके नामांतरण एवं सीमांकन के मामलों का इस परिपत्र के अनुसरण में, ऐसी प्रक्रिया जैसी कि वनाधिकार धारक के लिए प्रावधानित की गई है लागू करते हुए, निराकरण भी किया जाएगा।

परन्तु ऐसे मामलों में खसरा में वनाधिकार धारक नहीं लिखा जाएगा, बल्कि खसरा के कॉलम (7) में "पंद्रह वर्षीय कृषि पट्टा धारक" तथा "अहस्तान्तरणीय" लिखा जाएगा।

(3) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पंद्रह वर्षीय पट्टा धारककी पट्टा अवधि भू-सर्वेक्षण के कृषि वर्ष से आगामी पंद्रह वर्ष पश्चात, जब तक वह नवीकृत नहीं कर दिया जाना, स्वतः समाप्त समझा जाएगा और तत्पश्चात ऐसा पट्टा धारक ऐसी भूमि पर अतिक्रामक माना जाएगा।

(4) चूंकि उक्तानुसार पंद्रह वर्षीय पट्टाधीन भूमि आरक्षित या संरक्षित के भीतर स्थित है, इस कारण ऐसे पट्टों का नवीकरण वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके अपने विभागीय दिशा निर्देश के अनुक्रम में किया जा सकेगा। यदि नवीकरण किया जाना है तो वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टा नवीकरण की सूचना, एक प्रति के साथ तहसीलदार को संसूचित की जाएगी, जिसके अनुक्रम में भू-अभिलेख में प्रविष्टि अंकित की जाएगी।

5/- **भू-अभिलेखों/राजस्व अभिलेखों का संधारण तथा प्रतिलिपि प्रदाय-** (1) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में इन दिशा निर्देशों की कंडिका 3 की प्रावधानित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जिला सर्वेक्षण अधिकारी (जिला कलेक्टर) अथवा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भू-सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप भू-सर्वेक्षण की कार्य संपन्न होने के पश्चात बंद किए जाने की अधिसूचना के दिनांक की स्थिति में जो अंतिम अभिलेख तैयार किए गए हैं, यथा नक्शा खसरा पुनर्क्रमांक रजिस्टर एवं वनाधिकार धारकों के खातों के संधारण के लिए तैयार अंतिम अभिलेख यथास्थिति सॉफ्टकॉपी एवं हार्डकॉपी में तीन प्रति में तैयार किए जाएंगे जिनमें से एक प्रति आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश, एक प्रति जिला कलेक्टर के कार्यालय तथा एक प्रति तहसील कार्यालय के अभिलेखागार में संरक्षित रखी जाएगी। तहसील कार्यालय के अभिलेखागार में संरक्षित भू-अभिलेख में भू-सर्वेक्षण की संक्रियाएं बंद किए जाने की अधिसूचना के पश्चात पारित किए गए विधिसंगत आदेशों के प्रभाव में ऐसे आदेशों के संदर्भ उल्लेख के साथ समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। इस प्रकार प्रथम बार तैयार भू-अभिलेख की एक-एक प्रति आयुक्त, भू-अभिलेख कार्यालय एवं जिला कार्यालय में सुरक्षित संधारित रहेगी और तहसील कार्यालय की प्रति विधिसंगत आदेशों के प्रभाव में आगामी प्रविष्टियां दर्ज की जाएगी।

(2) उपरोक्तानुसार संधारित भू-अभिलेख एवं पश्चातवर्ती मामलों के राजस्व अभिलेख यथास्थिति तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय एवं आयुक्त भू-अभिलेख के कार्यालय के अभिलेखागार में सुरक्षित संधारित किए जाएंगे और इन्हें कार्यालयों की अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में कोई भी व्यक्ति भू-अभिलेखों/राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा।

(3) भू-अभिलेखों/राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के अध्याय-छ: के प्रावधान अनुसरित किए जाएंगे अर्थात् इन प्रावधानों का अनुसरण करते हुए आवेदक खसरा, खतौनी या अन्य भू-अभिलेख अथवा राजस्व मामलों में पारित आदेशों का निर्यात शूल्क का भुगतान कर निरीक्षण कर सकेगा अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा।

विकास मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 07-भू-अर्जन-0001-अ-82-2023-2024

बालाघाट, दिनांक 29 जनवरी 2024

**सार्वजनिक सूचना (अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11(1))**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार म.प्र. लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग सिवनी की चंदोरी मार्ग के चंदन नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु मौजा चंदोरी तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:-

सं. क्र.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकबा है. में	कय हेतु प्रस्तावित	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1.	चंदोरी	श्री चेतन, टीना पिता रविन्द्र कुमार, उषा देवी पति दिलीप कुमार, पंकज, बादल नीरज, करिश्मा पिता दिलीप कुमार, राकेश हेमंत, अनिता, सुनिता, पिता गणेशप्रसाद, प्रदीप ओम, मनोज कुंताबाई बसंतीबाई, लक्ष्मीबाई पिता हजारीलाल	23/4	0.405	0.388	चंदोरी- खण्डवा मार्ग के चंदन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु
योग- 1 कृषक				0.405	0.388	

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कुँआ/नलकूप/वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयवाधि के बाद प्राप्त दावें/आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 0104-अ-82-2023-24

छतरपुर, दिनांक 30 जनवरी 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

### अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	कदवारा	37.613	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दोधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0105-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

### अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	सुकवाहा	31.130	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दोधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0106-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

**अनुसूची**  
**भूमि का वर्णन**

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	घुघरी	16.709	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दोधन बॉध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0107-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

**अनुसूची**  
**भूमि का वर्णन**

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	भौरखुवां	15.478	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दोधन बॉध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।



प्र.क्र. 0108-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

### अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	बसुधा	6.148	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0109-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

### अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	डुगरिया	18.238	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0110-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है—

### अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	नैगुवां	14.745	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0111-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है—

### अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	ककरा	10.433	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0112-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

**अनुसूची**  
**भूमि का वर्णन**

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	पाठापुर	1.469	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0113-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

**अनुसूची**  
**भूमि का वर्णन**

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	दौधन	8.458	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0114-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

### अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	खरयानी	23.148	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0115-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

### अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	पलकोहा	23.782	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0116-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

### अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	बिजावर	कुपी	68.059	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	दौधन बॉध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 02-अ-82-2021-22-भू-अर्जन

ग्वालियर, दिनांक 23 जनवरी 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, सलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

## // अनुसूची //

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा(12)की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			सर्वे नं.	रकवा		
1	2	3	4	5	5	6
ग्वालियर	घाटीगांव	डंगौरा	104/3	0.260	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग-क0-1 ग्वालियर	एन0 डी0 बी0 में स्वीकृत मार्ग करहिया से आरौन व्हाया गोलारघाटी मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम डंगौरा तहसील घाटीगांव की भूमि का अर्जन
			किता-1	0.260 है0		

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 295-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 31 जनवरी 2024

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 295/भू-अर्जन/2024 दि0 31/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	कैथा	3.5937 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0)	लगरगवां वितरिका की लगरगवां टेल वितरिका के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.296/भू-अर्जन/2024 दि0 31/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	मतरी पतौरा	5.2346 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0)	लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर 1 के नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.297/भू-अर्जन/2024 दि0 31/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	गुडुवा	3.2808 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0)	महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 293./भू-अर्जन/2024 दि0 31/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	सहिजना उवारी	1.7988 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र0-07 जिला सतना (म0प्र0)	लगरगवां वितरिका की लगरगवां टेल माइनर एवं बरहटा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 310./भू-अर्जन/2024 दि0 01/02/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	सेमरी दुबे	7.9350 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र0-07 जिला सतना (म0प्र0)	महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर, सेमरी दुबे माइनर एवं सब माइनर, सेमरी कुर्मिहाई माइनर 2 के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।



भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.336.../भू-अर्जन/2024 दि0 05/02/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	कोनिया	4.1004 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0)	लगरगवां वितरिका के अंतर्गत पौडी गरादा माइनर 2 की कोनिया सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.336.../भू-अर्जन/2024 दि0 05/02/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	बरहटा	5.4040 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0)	लगरगवां वितरिका की बरहटा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 फरवरी 2024

प्रकरण क्रमांक 24 / अ-82 वर्ष 2023-2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	अजयगढ	किशनपुर	निजी भूमि रकवा- 1.01875 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा-0.00 हे. कुल रकवा-1.01875	उप मुख्य अभियंता/निर्माण/प.म.रेलवे खजुराहो	ललितपुर-सतना रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेल लाइन निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण/प.म.रेलवे खजुराहो के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 25/अ-82 वर्ष 2023-2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	अजयगढ	बडीरूढ	निजी भूमि रकवा- 0.85 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा-1.0875 हे. कुल रकवा-1.9375	उप मुख्य अभियंता/निर्माण/प.म.रेलवे खजुराहो	ललितपुर-सतना रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेल लाइन निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण/प.म.रेलवे खजुराहो के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 26/अ-82 वर्ष 2023-2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	अजयगढ	सिन्हाई	निजी भूमि रकवा- 2.225 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा-6.4875 हे. कुल रकवा-8.7125	उप मुख्य अभियंता/निर्माण/प.म.रेलवे खजुराहो	ललितपुर-सतना रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेल लाइन निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण/प.म.रेलवे खजुराहो के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 6 फरवरी 2024

प्रकरण क्रमांक **30** / अ-82 वर्ष 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	अजयगढ़	मझगाँव	निजी भूमि रकवा <b>0.7125</b> है० एवं शासकीय भूमि रकवा <b>0.000</b> है० कुल रकवा <b>0.7125</b> है० भूमि तथा निजी भूमि पर स्थित <b>04</b> मकानों का क्षेत्रफल- <b>203.36</b> वर्गमीटर एवं शासकीय भूमि पर स्थित <b>03</b> मकानों का क्षेत्रफल- <b>146.23</b> वर्गमीटर इस प्रकार कुल क्षेत्रफल- <b>349.59</b> वर्गमीटर भूमि	उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 29...../अ-82 वर्ष 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	अजयगढ़	सब्दुआ	निजी भूमि रकवा 0.250 है० एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 है० कुल रकवा 0.250 है०	उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 28...../अ-82 वर्ष 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	अजयगढ़	भापतपुर कुर्मियान	निजी भूमि रकवा 1.0875 है० एवं शासकीय भूमि रकवा 0.0000 है० कुल रकवा 1.0875 है०	उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक २७/अ-82 वर्ष 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	अजयगढ़	सिमराखुर्द	निजी भूमि रकवा 1.000 है० एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 है० कुल रकवा 1.000 है०	उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 398-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 7 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग) नगर /ग्राम - खोही

(घ) क्षेत्रफल- 0.2468 हे०

क्र.	खसरा न.	अर्जित रकवा(हे.)
1	466	0.2268
2	467/2	0.020
कुल रकवा		<b>0.2468</b>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना (म0प्र0) द्वारा पाथर कछार बांध निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 399-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग) नगर /ग्राम - बकोट

(घ) क्षेत्रफल- 43.9920 हे०

क्र.	खसरा न.	अर्जित रकवा(हे.)
1	53/1	0.9920
2	53/2	0.6190
3	59	0.6070
4	114/1	1.3680
5	114/2	1.3680
6	114/3/1	0.4980
7	114/3/2	0.1050
8	119	0.1290
9	144	0.1380
10	145	0.1460
11	146	0.1420
12	147	0.1130
13	150	0.1620
14	151/2	1.4160
15	151/3	0.6070
16	153	0.2100
17	159/1/1	0.6070
18	159/1/2	2.0230
19	159/1/3	0.8090
20	159/2	1.6190
21	159/3/1	0.5870
22	159/3/2	0.2220
23	161/5/1	0.9060
24	161/5/2	0.9050
25	161/2	0.6560
26	161/3	1.9630
27	161/4	1.2140
28	161/6	1.8820
29	161/7	1.2140
30	162/2/1	0.9090
31	162/2/2	0.4560
32	162/2/3	0.4560
33	162/3	1.6190
34	162/4	1.2140
35	162/5	1.4160
36	163/2	1.6660
37	163/3	1.4160
38	163/4/1	0.8090
39	163/4/2	0.8100
40	163/5	1.6190
41	163/6	1.6190
42	164/2	1.2140
43	164/3/1	0.4040
44	164/3/2	0.4050
45	164/3/3	0.4050
46	164/4/1/1	0.3230
47	164/4/1/2	0.1620
48	164/4/2	0.3240
49	164/5/1	0.8090
50	164/5/2	0.8090
51	164/6	0.8090
52	164/7	1.0920
कुल रकवा		43.9920 हे०

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना (MOPRO) द्वारा पाथर कछार बांध निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अनुराग वर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवपन्ना, दिनांक 1 फरवरी 2024.



## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

क्र. डीएम-एस.डब्ल्यू-2024-44

डिण्डौरी, दिनांक 25 जनवरी 2024

## NOTES AND ORDERS

उपरोक्त विषयांतर्गत समय समय पर स्थानीय मांगों, स्थानीय आबादी, भौतिक संरचना एवं अपराधों के परिदृश्य में बदलाव एवं पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप थाना क्षेत्रों के अंतर्गत पड़ने वाले ग्रामीण इलाकों के लोगों को थाने में पहुंचने में आ रही कठिनाईयों के मद्देनजर मध्यप्रदेश शासन, गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के क्र. एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं विभाग का ज्ञाप क्रमांक समसंख्यक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को तदसंबंध में प्रत्यायोजित अधिकार के आज दिनांक 08.01.2024 को आयोजित बैठक जिसमें सामाजिक संगठन, जन प्रतिनिधि, पुलिस विभाग राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी एवं जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है :-

क्र.	थाना/चौकी का नाम	ग्राम का नाम	वर्तमान थाना/चौकी की दूरी	प्रस्तावित थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है	प्रस्तावित थाना/चौकी की दूरी	रिमाकं
1	चौकी बिछिया	विशवानी	40कि.मी.	थाना मेंहदवानी	15 कि.मी.	इस ग्राम में पहुंच माग थाना मेंहदवानी अंतर्गत क्षेत्र से होकर के पहुंचना पड़ता है सुगमता की दृष्टि से
2	थाना डिण्डौरी	बिझौरी	20कि.मी.	थाना गाडासरई	7कि.मी.	इन ग्रामों से नवीन थाना गाडासरई में पहुंच मार्ग की दूरी कम होने एवं घटना दुर्घटना होने पर जनता को थाने पहुंचने में एवं पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में आसानी होगी तथा राजस्व क्षेत्र में आने से तहसील एवं थाना का कार्य में सुविधा होगी
3		खरगहना	15कि.मी.		8कि.मी.	
4		कौडिया	18कि.मी.		8कि.मी.	
5		हराटोला	17कि.मी.		10कि.मी.	
6		पिण्डरूखीहरा	18कि.मी.		11कि.मी.	
7		रसोई	17कि.मी.		15 कि.मी.	
8		खाग्हा	17कि.मी.		15 कि.मी.	
9		गीधा	12कि.मी.		10कि.मी.	
10		पचगांव	18कि.मी.		8कि.मी.	
11		कारोपानी	15कि.मी.		12कि.मी.	
12		बुधगांव	17कि.मी.		11कि.मी.	
13		चरखुटिया	18कि.मी.		13कि.मी.	
14		थाना बजाग	सानीबघरेली		15कि.मी.	
15		पिण्डरूखी(घोपतपुर)	13कि.मी.		10कि.मी.	---
16	थाना डिण्डौरी	भाजौटोला	27कि.मी.	थाना समनापुर	10कि.मी.	इन ग्रामों से पहुंच मार्ग की दूरी कम होने तथा समनापुर विकासखण्ड मुख्यालय होने से
17		गौरखपुर	28कि.मी.		9कि.मी.	
18		कचनपुर	28 कि.मी.		12कि.मी.	
19	थाना बजाग	झनकीमाल	16कि.मी.	चौकी गोपालपुर	10कि.मी.	इन ग्रामों की दूरी चौकी गोपालपुर से नजदीक एवं सीधा सम्पर्क होने से
20		मनकौ	18कि.मी.		10कि.मी.	
21		बहारपुर	25कि.मी.		5 कि.मी.	
22		सढवाछापर	22कि.मी.		5 कि.मी.	
23		पाण्डपुर	24कि.मी.		4कि.मी.	
24		लिमहा	25कि.मी.		4कि.मी.	
25		बोयरहा	35कि.मी.		4कि.मी.	

उक्त प्रस्ताव का समिति के सदस्यों द्वारा एवं उपस्थित सामाजिक संगठनों के सदस्यों व

जनप्रतिनिधियों द्वारा सूक्ष्मता से परीशीलन किया गया । उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन का अधिकार मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के क्र. एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं विभाग का ज्ञाप क्रमांक समसंख्यक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की तीन सदस्यीय समिति को प्रत्यायोजित किये जाने के कारण म.प्र.शासन, गृह विभाग के द्वारा जारी नियम निर्देशों के अनुरूप होने से प्रस्तुत प्रस्ताव उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के सदस्यों की सहमति उपरान्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार थाना/चौकियों का सीमा निर्धारण किया जाकर नियमानुसार अधिसूचना का प्रकाशन किये जाने की कार्यवाही की जावे ।

विकास मिश्रा, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

क्र. 111-आरडीएम-2024

टीकमगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क0-2) की धारा 2 के खण्ड एस0 एवं शासन के आदेश क0-2-(क)-15-99-बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-2(क)-09-08-बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं म0प्र0शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो दिनांक 02.01.2024 एवं 03/1770880/2023/बी-3/दो दिनांक 04.01.2024 अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 30.01.2024 के निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्ण अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से -

एक- नीचे दी सारणी के कॉलम(1) में उल्लेखित पुलिस थाना/चौकी से उसके (सारणी के) कॉलम नं0 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है।

दो- सारणी के कॉलम नंबर 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित पुलिस थाने/चौकी में सम्मिलित करती है।

पुलिस थाना/चौकी का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है।	ग्राम एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम	पुलिस थाना/चौकी का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है।
1	2	3
पुलिस चौकी मजना थाना बल्देवगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम बनपुरा खुर्द, बनियानी, भितरवार	थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
पुलिस चौकी मजना थाना बल्देवगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम पनियाराखेरा	थाना दिगौडा तहसील दिगौडा जिला टीकमगढ़
चौकी मजना थाना बल्देवगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम चतुरकारी, कमल नगर, हण्डासागर	थाना जतारा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़
थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़	मजना चौकी के ग्राम- ग्राम मजना, भडरा, रौरई, सिनौनी, बम्हारी नकीबन, जशवंतनगर, कटेराखेरा, मडगर, रायपुर, छिपीन, गडरयाना खिरक, बनयानी, इन्द्र महोबा	थाना देहात टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़
पुलिस चौकी देवरदा थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम पंचायत नयागांव- ग्राम जामुन तलैया, बरियाखेरा, गलगलया, गडा टोरिया, माते का खेरा, मदेलनखेरा	थाना बुडेश तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़
थाना लिधौरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़	महेबा चक 1,3	पुलिस चौकी जेवर थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़
थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़	महेबा चक 2,4	पुलिस चौकी जेवर थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़
थाना देहात तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम शिवराजपुरा	थाना मोहनगढ़ तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़
थाना देहात तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम उत्तरीकारी	थाना दिगौडा तहसील दिगौडा जिला टीकमगढ़
थाना पलेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़	ग्राम छिदारा	पुलिस चौकी देरी थाना कुडीला तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़
थाना बुडेश तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़	ग्राम दरगुवा	थाना बडागांव तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़
थाना खरगापुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़	ग्राम जामुनझोर, मझगुवा	थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
पुलिस चौकी बंधाजी थाना मोहनगढ़ तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम केशवगढ़, हथेरी	थाना मोहनगढ़ तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़
थाना देहात तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम बौरी	थाना कोतवाली तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़
थाना बुडेश तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़	ग्राम रमपुरा	थाना बडागांव तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़
थाना बुडेश तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़	ग्राम पतारी	थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
पुलिस चौकी देवरदा थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम बडाघाट, लखेरी, गुखरई, तालमउ	थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
थाना कुडीला तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़	पुलिस चौकी देरी समस्त ग्राम - मातौल, देरी, पचेर,धर्मपुरा, भानपुरा, पथरगुवा, रमसगरा, ददगाय, छिदारी, तिगौडा, कोटरा, हृदयनगर, गैती, टीला, पिपरा,बिलारीखेरा, खुडों, खैरा, धनेरा	थाना खरगापुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़

In exercise the powers conferred by clause (s) section-2 of the code of criminal procedure 1973 (no.2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No F-2(A)15/99/B-3/Two Bhopal Dated 11-10-04 and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No.-F2-(K)15-99-08-B-3-two dated 30 July 2010 and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No.- 01/1770880/2023/b-3/two dated 02-01-2024 and Order No.- 03/1770880/2023/b-3/two dated 04-01-2024 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector, SP & DPO. In meeting Dated 30 JANUARY 2024 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

- 1- Excludes from the Police Station mentioned in the column(1) of the below the local areas specified in the column (2) there of and.
- 2- Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said table:-

Name of The Police Station (with Tahsil And The District) from which excluded	Name of the village/Local Places	Name of The Police Station (with Tahsil And The District) from which included
(1)	(2)	(3)
OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Banpura khurd, Baniyani, Bhitavar	PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Panlyarakhera	PS Digora Tehsil Digora Dist. Tikamgarh
OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Chaturkari, Kamalnagar, Handasagar	PS Jatara Tehsil Jatara Dist. Tikamgarh
PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh	under to op majna village- Vill. Majna, Bhadra, Raurai, Sinoni, Bamhori nakiban, Jaswantnagar, Katerakhera, Madgar, Rajpur, Chhipon, Gadaryana khirak, Banyani, Indra Mahoba	PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh
OP Devarda PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Panchayat Nayagaon- Vill. Jamun talaiya, Bariyakhera, Galgalya, Gadatoriya, Mate ka khera, Madelan khera	PS Budera Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh
PS Lidhora Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh	Maheba Chakra 1,3	OP Jevar PS Chandera Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh
PS Chandera Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh	Maheba Chakra 2,4	OP Jevar PS Chandera Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh
PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Shivrajpura	PS Mohangarh Tehsil Mohangarh Dist. Tikamgarh
PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Uttarikari	PS Digora Tehsil Digora Dist. Tikamgarh
PS Palera Tehsil Palera Dist. Tikamgarh	Vill. Chhidara	OP Deri PS Kudila Tehsil Khargapur Dist. Tikamgarh
PS Budera Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh	Vill. Darguan	PS Badagaon Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh
PS Khargapur Tehsil Khargapur Dist. Tikamgarh	Vill. Jamunjhor, Majhguan	PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
OP Bandhaji PS Mohangarh Tehsil Mohangarh Dist. Tikamgarh	Vill. Keshavgarh, Hatheri	PS Mohangarh Tehsil Mohangarh Dist. Tikamgarh
PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Bauri	PS Kotwali Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh
PS Budera Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh	Vill. Rampura	PS Badagaon Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh
PS Budera Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh	Vill. Patari	PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
OP Devarda Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Badaghat, Lakheri, Gukhrai, Talmu	PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
PS Kudila Tehsil Khargapur Dist. Tikamgarh	under to op Deri all villages- Mataul, Deri, Pacher, Dharpura, Bhanpura, Patharguvan, Ramsagra, Dadgayn, Chhidari, Tigoda, Kotra, Hradaynagar, Gaiti, Tila, Pipra, Bilarikhaira, Khudon, Khaira, Dhanera	PS Khargapur Tehsil Khargapur Dist. Tikamgarh

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. भू-अर्जन-05-(अ-82)-2022-23-617

डिण्डौरी, दिनांक 16 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. मे)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
डिण्डौरी	शहपुरा	कोहानीमय करौदी प.ह.न. 49	0.16 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी	सारसडोली जलाशय नहर कार्य हेतु
कुल			0.16 हेक्टर		

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है - सारसडोली जलाशय

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.prevenue.nic.in](http://www.prevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है।

क्र. 616-भू-अर्जन-32-(अ-82)-2023-24

(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 (1))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी विकासखण्ड स्थित गोपालपुर जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम गोपालपुर प.ह.न. 46 रा.नि.म. डिण्डौरी तहसील डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

अनुसूची

स.क्र.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	पडरिया माल	चन्द्रसिंह पिता बजरूसिंह	16	0.25	0.25	गोपालपुर जलाशय नहर कार्य
		योग कृषक- 01		0.25	0.25हे.	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित से सम्बंधित दावा सूचना मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करे। नियत समायावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. 619-भू-अर्जन-31-(अ-82)-2023-24

डिण्डौरी, दिनांक 20 जनवरी 2024

## (अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 (1))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड स्थित बिलगांव जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम ढोढा प.ह.न. 64 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

## अनुसूची

स.क्र.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	चंदवाही	चेतराम पिता बसोरी	648/1	0.55	0.09	चंदवाही जलाशय
		योग कृषक-01		0.55	0.09 हे.	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित से सम्बंधित दावा सूचना मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करे। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. अ-82—2023-24-भू-अर्जन

ग्वालियर, दिनांक 15 जनवरी 2024

## (भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत)

चूंकि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम म.प्र. शासन मकोड़ा-छीमक-करियावटी-सांखनी मार्ग के कि.मी. 33/6 में पार्वती नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सांखनी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.773 है की आवश्यकता है। इस विवरण निम्नानुसार है, तथा इसके भूमि स्वत्व, भूमिस्वामियों द्वारा आपसी सहमति से क्रयनीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप-'ख' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रयनिति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत साधारण की सूचना के लिये सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

## अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

स. क.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम एवं निवास स्थान	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल (हे.में)	अर्जित क्षे. (हे. में)	अन्य सम्पत्ति	अन्य संरचना
1	सुमीत्राबाई पत्नी कैलाशनारायण जाति ब्राह्मण पता ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/3 के लिए। रामप्यारी पत्नी लखनलाल जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए। रामवती पुत्री लखनलाल जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए। रेखा पुत्री लखनलाल जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए। विनोद पुत्र लखनलाल जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए। मनोज पुत्र लखनलाल जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए। रवि पुत्र लखनलाल जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए। कमला पत्नी मायाराम जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/30 के लिए। उमा पुत्री मायाराम जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/30 के लिए। रमा पुत्री पुत्री मायाराम जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/30 के लिए।	28	2.8740	0.030	-	-
	लिए। लता पुत्री मायाराम जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/30 के लिए। रेखा पत्नी सुनील जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए। सागर पुत्र जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए। गोलू पुत्र सुनील जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए। हिमानी पुत्री सुनील जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए। शिवानी पुत्री सुनील जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए। लाली पुत्री सुनील जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए। देवाबाई पुत्री रघुवरदयाल जाति ब्राह्मण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/3 के लिए।					
2	रामस्वरूप पुत्र हीरालाल जाति रावत पता भितरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी।	29/1	0.7180	0.060	-	-
3	अमर सिंह पुत्र हीरालाल जाति रावत पता सांखनी भितरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी।	29/3 31/1/1	1.2930 0.2090	0.535 0.108	-	-
		योग	1.5020	0.643	-	-
4	पर्वत सिंह पुत्र हीरालाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	29/5	1.4250	0.040	-	-
	<b>कुल योग</b>		<b>6.5190</b>	<b>0.773</b>		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 3549-भू-अर्जन-2022-23

रायसेन, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023) }

—00—

प्रक्र 0005/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम	:- अनघोरा ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
(ख) तहसील	:- उदयपुरा
(ग) जिला	:- रायसेन
(घ) भूमि का क्षेत्रफल	:- 12.231 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

कं	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	283 ✓	0.206 ✓	0.016 ✓
2	281/1	0.198 ✓	0.080 ✓
3	284 ✓	0.526 ✓	0.044 ✓
4	285	0.081	0.040 ✓
5	288/1	0.656	0.048
6	288/2	0.656	0.016
7	289	0.223	0.223 ✓
8	290	0.024	0.024
9	291	0.202	0.202
10	292/1	0.769	0.072 ✓
11	292/2	0.324	0.056 ✓
12	293	0.510	0.016
13	294/2	0.559	0.036 ✓
14	294/3	0.559	0.032
15	297	0.380	0.380
16	298	0.716	0.124
17	325	1.364	0.064 ✓
18	330	0.089	0.089
19	331	0.162	0.162
20	332	0.251	0.251
21	329	0.178	0.020
22	328	1.044	0.280
23	327/1/1	0.405	0.050
24	327/2	1.405	0.152
25	336	0.955	0.445
26	337/2	1.000	0.008

27	337/8	0.741	0.038
28	337/1	1.000	0.016
29	337/11	1.000	0.129
30	337/14	0.741	0.100
31	337/16	0.741	0.130
32	337/18	0.741	0.024
33	334/1	0.405	0.202
34	334/2/1	0.359	0.213
35	333	0.530	0.148
36	338	0.914	0.024
37	339	1.275	0.028
38	340	0.421	0.421
39	341	4.168	0.080
40	343	0.267	0.267
41	342	1.711	0.080
42	344	0.380	0.380
43	346/1	2.488	0.476
44	346/2	2.488	0.202
45	346/3	2.486	0.202
46	524	0.785	0.785
47	523	2.825	0.600
48	527	0.097	0.097
49	528	0.894	0.244
50	530	0.405	0.128
51	531	0.178	0.178
52	518	0.652	0.012
53	517	0.777	0.190
54	514	0.866	0.012
55	513/1	1.230	0.060
56	512/1	1.230	0.185
57	496	1.627	0.665
58	497	1.052	0.202
59	510	1.206	0.080
60	492/2/2	1.228	0.227
61	494	0.927	0.405
62	489/1	1.954	0.008
63	489/2	1.619	0.056
64	489/3	1.619	0.056
65	485	0.040	0.040
66	486	0.170	0.170
67	484	0.142	0.142
68	483	0.081	0.081
69	478	0.490	0.068
70	480	0.036	0.036
71	481	0.012	0.012
72	482	0.024	0.024
73	479/1	0.096	0.096
74	479/2	0.092	0.092
75	471	0.113	0.055
76	470	0.308	0.101
77	467	0.518	0.080
78	463/1	0.060	0.060
79	463/2	0.530	0.023



80	454/1	0.526	0.080
81	453	0.688	0.180
82	452/2	0.486	0.110
83	448/1	0.279	0.016
84	448/2	0.280	0.186
85	449/1	0.286	0.048
86	449/2	0.277	0.102
87	450/1	0.280	0.088
88	450/2	0.283	0.052
89	451	0.563	0.004

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि ग्राम अनघोरा
- भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

क्र. 3548-भू-अर्जन-2022-23

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023) }

—00—

प्र.क्र. 0004/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (क) ग्राम             | :- बासखेडा ( डूब क्षेत्र से प्रभावित ) |
| (ख) तहसील             | :- उदयपुरा                             |
| (ग) जिला              | :- रायसेन                              |
| (घ) भूमि का क्षेत्रफल | :- 16.390 हे.                          |

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

क्रं	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	50/1/1/1	1.214	0.061
2	50/1/1/2	1.214	0.053
3	50/1/1/3	0.911	0.016
4	55	0.991	0.132
5	57	0.024	0.024
6	58	0.125	0.125
7	60/1	1.016	0.183
8	60/3	0.405	0.268
9	60/4	0.602	0.374
10	61/2/1	1.362	0.044
11	62/1	0.383	0.066

12	62/2	0.384	0.069
13	103/1	1.214	0.028
14	104	1.105	0.032
15	108	0.425	0.202
16	109	0.856	0.068
17	119	0.942	0.068
18	120	2.347	0.036
19	121	0.312	0.060
20	123	0.081	0.004
21	127/1	2.777	0.032
22	128/1	0.016	0.016
23	128/2	0.016	0.004
24	129	0.174	0.040
25	130	0.154	0.024
26	131	1.145	0.024
27	132/2	0.194	0.004
28	132/3	0.199	0.008
29	133/1/1	0.307	0.081
30	133/1/2	0.307	0.069
31	133/1/3	0.307	0.065
32	133/2	0.924	0.065
33	134	0.045	0.045
34	135/1	0.024	0.024
35	135/2	0.069	0.069
36	135/3	0.069	0.069
37	136/1	0.045	0.045
38	136/2	0.045	0.045
39	136/3	0.041	0.041
40	137	0.178	0.178
41	139/1/1	0.809	0.430
42	139/1/2/2	0.405	0.122
43	139/1/2/1	0.400	0.053
44	139/2	0.405	0.284
45	139/3	0.405	0.405
46	140/2	1.125	0.124
47	142/2	0.457	0.101
48	144	1.457	0.260
49	146	0.469	0.469
50	147	0.454	0.454
51	148	0.154	0.154
52	150/2	1.333	0.081
53	150/3	1.334	0.324
54	151	2.578	0.008
55	152/217	0.020	0.020
56	152/2	1.817	0.425
57	153/1	1.821	0.104
58	153/2/1	0.429	0.008

59	153/2/2	1.401	0.028
60	154/1/1	1.590	0.036
61	154/1/2	0.845	0.073
62	154/3/2	0.922	0.202
63	154/3/3	0.474	0.104
64	156/1/1	1.214	0.588
65	156/1/2/1	1.323	0.446
66	156/1/2/2	0.154	0.154
67	156/2	0.243	0.210
68	158	0.117	0.117
69	160	0.603	0.603
70	162	0.210	0.210
71	163	0.271	0.271
72	164/1	0.611	0.041
73	164/2	0.615	0.283
74	165	0.049	0.049
75	166	0.226	0.226
76	167	0.551	0.551
77	168	0.101	0.101
78	169	1.007	1.007
79	169/218	0.607	0.607
80	170	1.732	0.080
81	172/1	2.271	0.916
82	172/2	0.720	0.314
83	172/3	1.404	0.244
84	175	0.344	0.344
85	176	0.789	0.101
86	177/1	0.405	0.008
87	177/2/2	0.124	0.004
88	177/2/4	0.305	0.008
89	178	0.206	0.008
90	185/1/2	0.299	0.024
91	209	0.866	0.032
92	210/1	0.607	0.169
93	210/2	0.311	0.311
94	211/2	0.955	0.009
95	211/3	0.665	0.090
96	211/4	0.809	0.025
97	213/2/1/1	0.455	0.049
98	213/2/1/2	0.455	0.106
99	213/2/2/4/1	0.334	0.012
100	213/2/2/4/3	0.334	0.016
101	213/2/2/4/2	0.789	0.029
102	213/2/2/4/4	0.334	0.016
103	213/2/2/4/5	0.108	0.008
104	213/2/2/4/6	0.108	0.005
105	213/2/2/5	1.999	0.284
106	213/2/2/7	2.011	0.325
107	214	0.259	0.259

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम बासखेडा
- भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

क्र. 3547-भू-अर्जन-2022-23

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023) }

—00—

प्र.क्र. 0003/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

## 1. भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम	:- कैलकच्छ ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
(ख) तहसील	:- उदयपुरा
(ग) जिला	:- रायसेन
(घ) भूमि का क्षेत्रफल	:- 8.464 हे.

## अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

कं	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	300/2	0.127	0.025
2	300/1	0.128	0.025
3	301/1	0.760	0.113
4	301/2	0.757	0.115
5	303/2	1.481	0.178
6	304/1/1	0.461	0.004
7	305	0.105	0.016
8	306	0.364	0.073
9	307	0.376	0.005
10	308/1	0.535	0.061
11	308/2	0.538	0.057
12	309	1.052	0.227
13	310	1.133	0.210
14	327	0.453	0.042
15	328	0.498	0.040
16	329	0.146	0.100
17	330	0.129	0.004

18	383	1.453	0.040
19	384	0.813	0.324
20	387	0.789	0.465
21	388	0.271	0.121
22	389	0.324	0.324
23	390	0.267	0.267
24	392	0.198	0.198
25	393	0.983	0.235
26	394	1.117	0.093
27	395/1	1.215	0.102
28	395/2	0.405	0.041
29	395/3	0.202	0.033
30	395/4	0.280	0.041
31	395/5	0.136	0.017
32	396	0.494	0.194
33	397	1.077	0.120
34	404/1/2/1/2	1.125	0.040
35	404/1/1	0.526	0.061
36	404/1/2/2	0.560	0.065
37	409	3.250	0.260
38	410	0.449	0.449
39	411	0.275	0.076
40	412	0.652	0.004
41	413	0.053	0.053
42	414	0.053	0.053
43	416	1.850	0.098
44	417	0.474	0.474
45	418	0.101	0.101
46	419	0.632	0.250
47	420	0.241	0.241
48	421	0.951	0.098
49	426/1	0.309	0.052
50	427	0.081	0.081
51	476/2	0.581	0.041
52	478	0.110	0.072
53	479/2	0.048	0.020
54	479/1	0.114	0.041
55	482/3	0.115	0.032
56	480/1	0.384	0.020
57	484/1/1	0.510	0.398
58	484/1/2	0.255	0.255
59	484/1/3	0.044	0.044
60	484/2	0.215	0.215
61	485/3/1	0.635	0.175
62	485/3/2	0.809	0.080
63	486/1	1.214	0.050
64	488	2.808	0.190
65	489	2.696	0.462

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि ग्राम कैलकच्छ
- भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन चंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

क्र. 3551-भू-अर्जन-2022-23

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023) }

—00—

प्र.क्र. 00010/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- टिमरावन ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )  
 (ख) तहसील :- देवरी  
 (ग) जिला :- रायसेन  
 (घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 13.894 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

कं	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	584	1.825	0.008
2	591	1.400	0.101
3	607/1	1.008	0.228
4	607/2	3.148	0.154
5	484/1	0.782	0.105
6	484/2	1.146	0.066
7	485	0.781	0.080
8	608	0.992	0.405
9	609	1.906	0.798
10	611	0.287	0.060
11	630/1	0.405	0.008
12	641	0.113	0.056
13	640/3/1	0.221	0.146
14	640/3/2	0.252	0.040
15	606	0.562	0.008
16	473	2.853	0.305
17	637	1.194	0.024
18	636	0.599	0.060
19	624	0.599	0.024
20	623	1.797	0.202
21	622/1	0.232	0.057
22	622/2	0.236	0.101
23	622/3	0.236	0.077
24	622/4	0.236	0.101
25	622/5	0.300	0.053
26	622/6	0.300	0.028

27	622/7	0.300	0.028
28	621/1	0.829	0.467
29	621/2	0.832	0.416
30	621/3	0.599	0.315
31	620	0.231	0.133
32	619	0.348	0.032
33	614/1/1	1.618	0.032
34	479/1/2	1.348	0.242
35	479/1/3	1.351	0.016
36	479/2/1	0.765	0.016
37	479/2/2	0.449	0.008
38	478	1.408	0.008
39	475/1	0.265	
40	475/2	0.263	0.146
41	475/3	0.260	
42	474	0.340	0.340
43	469	0.567	0.567
44	470	2.396	0.200
45	430/1/1	0.809	0.084
46	430/2	1.665	0.260
47	432/1	2.023	
48	432/2	2.023	0.060
49	336	0.239	0.008
50	338	1.145	0.130
51	429/2	1.943	0.950
52	428	0.850	0.125
53	426	2.311	0.425
54	427/1/1	0.105	0.024
55	427/2	0.445	0.024
56	427/1/2	0.105	0.018
57	427/3	0.445	0.042
58	427/1/3	0.109	0.020
59	427/4	0.445	0.025
60	427/1/4	0.109	0.019
61	427/5	0.445	0.022
62	425/1	1.121	0.040
63	422	0.202	0.090
64	424	2.651	0.130
65	421	0.255	0.064
66	420	0.279	0.101
67	419	0.563	0.180
68	418	0.502	0.160
69	417/1	0.247	0.041
70	417/2	0.251	0.064
71	406	2.226	0.008
72	416	0.356	0.356
73	415	0.611	0.004
74	413	0.384	0.384
75	414	0.461	0.160
76	412	0.097	0.097
77	411	5.941	0.539
78	394/1	0.156	0.080
79	401	1.016	0.550

80	402	1.012	0.068
81	403	2.027	0.064
82	397	1.987	0.263
83	400/1	1.331	1.110
84	400/2	1.331	
85	400/3	1.332	
86	400/4	1.332	
87	396	1.360	0.004
88	395	0.251	0.080
89	388	0.214	0.214
90	389	0.032	0.032
91	390/1/1	0.809	0.049
92	390/1/2	0.303	0.025
93	390/1/3	0.930	0.106
94	386/2	1.619	0.040
95	385/1	0.303	0.289
96	385/5	0.024	0.020
97	385/2	0.219	0.068
98	385/4	0.160	0.088
99	380	3.063	0.709

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि ग्राम टिमरावन
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।



क्र. 3550-भू-अर्जन-2022-23

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023) }

—00—

प्र.क्र. 0009/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

## :: अनुसूची ::

## 1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- पिपलिया खुर्द ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )  
 (ख) तहसील :- देवरी  
 (ग) जिला :- रायसेन  
 (घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 4.386 हे.

## अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

क	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	207/2	0.546	0.050
2	207/3	0.607	0.028
3	207/1	0.506	0.065
4	208	0.283	0.283
5	210/1	0.344	0.344
6	210/2	0.065	0.065
7	211	0.648	0.525
8	240	0.555	0.555
9	212/1/1	0.544	0.008
10	213/3	0.210	0.134
11	213/1/1	0.417	0.090
12	213/1/2	0.405	0.160
13	213/2/1	0.809	0.101
14	214/1/1	0.696	0.020
15	214/1/2	0.348	0.030
16	237	0.105	0.105
17	238/1	0.052	0.052
18	238/2	0.053	0.053
19	239	0.210	0.210
20	241/2	0.380	0.015
21	244/1	0.186	0.186
22	245/1	0.728	0.020
23	244/2	0.202	0.202
24	255/1	0.381	0.381
25	255/2	0.311	0.311
26	254/2/3	1.728	0.121
27	254/1	0.202	0.112
28	253/1	1.295	0.160

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुसददेशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम पिपलिया खुर्द  
 3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

क्र. 3546-भू-अर्जन-2022-23

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023) }

—00—

प्र.क्र. 0002/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- अडिया ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )  
 (ख) तहसील :- उदयपुरा  
 (ग) जिला :- रायसेन  
 (घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 4.472 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

क	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	208/2/1/2	0.506	0.040
2	209	0.081	0.081
3	210/1/1	0.530	0.045
4	210/2	1.060	0.137
5	218	0.081	0.020
6	223	0.684	0.270
7	224	0.170	0.102
8	225/1	0.114	0.114
9	225/2	0.109	0.109
10	226/1	0.288	0.040
11	226/2	0.206	0.034
12	302/1/1	0.273	0.062
13	351	0.223	0.093
14	352/2/2/2	0.408	0.100
15	353/2/1	1.214	0.470
16	354	0.385	0.145
17	355	0.360	0.360
18	356	0.158	0.040
19	357	0.049	0.049
20	358	0.878	0.287
21	359	348	0.030
22	360	0.453	0.044

23	361	0.283	0.283
24	362	0.360	0.360
25	363/1/1	0.226	0.020
26	363/1/2	0.226	0.020
27	363/1/3	0.226	0.020
28	363/1/4	0.225	0.020
29	363/1/5	0.225	0.052
30	363/1/6	0.675	0.144
31	363/2/1	0.202	0.020
32	363/2/2	0.202	0.020
33	363/2/3	0.202	0.020
34	363/2/5	0.809	0.052
35	363/2/6	0.184	0.020
36	367	0.967	0.073
37	370/2	0.975	0.032
38	371/1	0.729	0.062
39	374/1/2	0.405	0.122
40	374/2	1.141	0.202
41	376/1	1.712	0.088
42	376/2/2	0.607	0.122
43	395/2	0.405	0.048

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि ग्राम अंडिया
- भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

क्र. 3552-भू-अर्जन-2022-23

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023) }

—00—

प्र.क्र. 0011/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- रमपुरा ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )  
 (ख) तहसील :- देवरी  
 (ग) जिला :- रायसेन  
 (घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 4.038 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

क्र	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	488	1.161	0.048
2	489/1	0.028	0.028
3	489/2	0.097	0.097
4	490/1	0.623	0.135
5	490/2	0.591	0.135
6	493/1	0.708	0.220
7	493/2	0.708	0.060
8	494	3.585	0.155
9	497	2.428	0.044
10	498/2/2	1.619	0.020
11	498/3/1/2	0.809	0.121
12	498/5	1.165	0.099
13	504/1/1	3.469	0.138
14	504/1/2	1.821	0.436
15	504/2/1	0.105	0.105
16	504/2/2	0.607	0.130
17	505/1	0.097	0.097
18	505/2	0.287	0.287
19	506	2.133	0.405
20	507/1/1	0.308	0.308
21	507/1/2/1	0.156	0.156
22	507/1/2/3	0.158	0.158
23	507/1/2/2	0.005	0.005
24	507/1/3/1/1	0.156	0.156
25	507/1/3/1/2	0.152	0.152
26	507/1/3/2	0.303	0.303
27	507/2	0.032	0.032
28	507/3	0.008	0.008

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम रमपुरा  
 3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

क्र. 3554-भू-अर्जन-2022-23

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023) }

—00—

प्र.क्र. 0013/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- रिछावर ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )  
 (ख) तहसील :- देवरी  
 (ग) जिला :- रायसेन  
 (घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 2.797 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

क	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	279/2	1.182	0.010
2	279/1	1.177	0.010
3	280	0.878	0.202
4	281/1	0.607	0.120
5	281/2/2	0.284	0.120
6	282/1/1	0.413	0.138
7	282/1/2	0.012	0.012
8	282/2/2	0.296	0.118
9	282/2/1	0.129	0.092
10	283	1.526	0.599
11	287	0.825	0.242
12	297	3.035	0.024
13	301	2.671	0.020
14	312	0.275	0.008
15	374/1/1	1.619	0.025
16	374/1/2	0.354	0.115
17	375/1/1/1	0.312	0.015
18	375/2/1	1.406	0.009
19	376/1	0.037	0.037
20	376/2	0.036	0.036
21	377	0.166	0.166
22	380	1.011	0.437
23	381	0.146	0.146
24	382	0.016	0.016
25	379	1.157	0.080

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम रिछावर  
 3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

क्र. 3553-भू-अर्जन-2022-23

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023) }

—00—

प्र.क्र. 0012/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- नयाखेडा ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )  
 (ख) तहसील :- देवरी  
 (ग) जिला :- रायसेन  
 (घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 6.831 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

कं	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	302	2.201	0.080
2	303/1	2.007	0.164
3	311	0.343	0.024
4	312	1.673	0.445
5	313/1	1.264	0.110
6	314/1	1.113	0.224
7	314/2	1.117	0.256
8	314/3	1.117	0.101
9	314/4	1.117	0.303
10	316	0.397	0.160
11	318	0.809	0.050
12	319/1	0.259	0.104
13	319/2	0.955	0.036
14	322	0.235	0.098
15	464	0.332	0.028
16	466/1	0.854	0.116
17	467/1	1.004	0.553
18	467/2	1.003	0.142
19	470/2	0.717	0.101
20	476/2	1.008	0.032
21	480/2	1.010	0.064
22	481	0.170	0.170
23	482	0.263	0.130
24	497/3/1/1	4.856	0.080
25	499	0.522	0.522
26	500/1	0.182	0.182

27	500/2	0.182	0.182
28	500/3	0.186	0.186
29	500/4	0.182	0.182
30	501/1	0.272	0.272
31	501/2	0.272	0.272
32	502/1	0.542	0.020
33	502/2	0.542	0.164
34	502/3	0.538	0.201
35	502/4	0.542	0.180
36	504/1	0.506	0.135
37	506	0.567	0.120
38	507/1/1/1/1	0.567	0.028
39	507/1/1/1/2	0.506	0.028
40	507/1/1/2	0.506	0.063
41	507/2	1.032	0.020
42	507/3	1.032	0.041
43	514/1	0.453	0.146
44	514/2	0.449	0.204
45	528	0.518	0.016
46	529/1	0.591	0.020
47	529/2	0.590	0.020
48	530	0.725	0.028
49	541/1	0.884	0.008
50	542/2	0.890	0.012
51	544	0.737	0.008

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम नयाखेडा
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 776-भू-अर्जन-1-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

### 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- सारोठ प0ह0न-30 ब.न.-554 रा.नि.म.-सावरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	51	0.134
2	52	0.097
3	53	0.097
4	54	0.166
5	55 / 1	0.025
6	55 / 2	0.040
7	56 / 3	0.054
8	55 / 3 / 1	0.020
9	56 / 2	0.054
10	55 / 3 / 2	0.020



11	55/4	0.016
12	56/1	0.054
	<b>योग :-</b>	<b>कुल रकबा-0.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां</b>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस - 6 निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- मोहखेड, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग तामिया जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 777-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- बोडी प0ह0न-59/72 ब.न.-424 रा.नि.मं.-ईकलबिहरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा--08.984 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	244 / 6	0.364
2	245	0.036
3	262	0.187
4	261	0.074
5	259 / 1	0.042
6	259 / 2	0.573
7	257	0.901
8	255	0.162
9	254	01.060
10	248 / 2	0.552

11	249	0.642
12	253	0.016
13	251	0.271
14	252	0.049
15	230	0.182
16	227	0.162
17	226	0.089
18	223	0.243
19	232/2	0.769
20	222	0.388
21	232/1	0.425
22	234/1	0.295
23	235/3	0.073
24	234/2	0.243
25	204/1	0.399
26	204/2	0.271
27	217/2	0.139
28	217/3	0.122
29	204/3	0.255
	<b>योग :-</b>	<b>कुल रकबा-08.984 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां</b>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-बोडी जलाशय (नहर रहित) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- मोहखेड, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग सौसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 778-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- नवलगांव प0ह0न-59/72 ब.न.-289 रा.नि.मं.-ईकलबिहरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.611 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	13	0.200
2	105/3	0.040
3	109/1	0.150
4	153/1	0.240
5	154/1	0.200
6	154/2	0.350
7	161/4	0.350
8	105/2	0.081
	योग :-	कुल रकबा-01.611 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—बोडी जलाशय (नहर रहित) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील— मोहखेड, जिला—छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग सौसर जिला—छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 13-अ-82-22-23-भू-अर्जन-चकोरा-1312

बैतूल, दिनांक 2 फरवरी 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

**अनुसूची-1**  
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	प्रभातपट्टन	चकोरा	27.897	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला- बैतूल (म.प्र.)	चकोरा लघु जलाशय के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन

**अनुसूची -2**  
(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	चैतू पिता बाजी, किको, लिको, चेती, पारबती बाजी, कमली बेवा चैतराम निलेश पिता चैतराम	373/1	0.453	0.453
2	सोहन सिंग पिता ओझी गोण्ड	373/2	0.222	0.222
		375	0.882	0.639

3	सुकाली पिता ओझी गोण्ड	373/3	0.227	0.227
4	तेजी उर्फ गुणवन्त पुत्र विक्रम गोण्ड	374	1.518	1.518
5	फगना पिता देऊ गोण्ड	376/1	0.279	0.279
6	समली बेवा कोडडी, झुलमा पिता रिंगू, फूंदी बेवा कज्जा	376/2	7.356	4.518
7	रिंगू पिता झिडू, रमली बेवा कोडी, कुन्दो बेवा कज्जा	377	0.247	0.247
8	सीताराम पिता भैया	399/1 /5	1.231	0.372
9	देमा बे. झामसा, रूपलाल पुत्र झामसा, सकड़ो, सकड़ी, सुकड़ी, रामकला, चन्दो, शिवरती, सीमा पुत्री झामसा चिन्धी बे. चन्दरसा, पंकज, प्रशान्त, लवकुश पुत्र चन्दरसा, अंकेश्वरी पुत्री चन्दरसा गोण्ड	378	7.640	2.304
10	चैतू पिता सकडु गोण्ड	400	0.061	0.061
		404/1	1.522	0.291
		401/2	0.570	0.570
11	बारीकराम, सकुराम, बिसराम, मंदराम, सुरजी पिता रोडू. मेहरा, अनिल पिता भोला मेहरा, रामू, बिसन, गेन्दराव पिता डीमर मेहरा	398	1.084	0.097
12	अनिता बेवा जंगली, पवन, रामभाऊ, लवकुश, राजकुमार पिता जंगली, रामरती राजो पिता जंगली गोंड	396/4	0.564	0.564
13	फगो बाई बेवा जुंगी, मिलाप, राजन, कृष्णा पिता जुंगी, शान्ति, भूते, गुन्ता, पर्मी पिता जुंगी गोंड	396/3	0.564	0.564
14	गुलाब पिता ओझी गोंड	396/2	0.564	0.564
15	केशोराव पिता बाजी गोंड	363/1	2.363	1.012
16	बलवन्त उर्फ भोग पिता ओझी गोंड	363/2	0.200	0.200
		396/1	0.202	0.202
17	ईमला जौ. गेन्दराव मेहरा	368/4	1.996	0.223
18	गेन्दराव पिता डीमर मेहरा	368/3	1.997	0.364
19	रामकिसन पिता डीमर मेहरा	368/2	0.504	0.235
20	इंदिरा बे. गुणवन्तराव, मोरेश्वर पिता गुणवन्तराव, कविता, सविता, मोना, नीतिका, दीपिका पिता गुणवन्त राव कुन्बी	370/1	0.520	0.520
		127/4	2.023	0.897
		127/9	0.542	0.542
21	संतोष पिता माधोराव	370/2	0.415	0.415
		370/5	0.300	0.300
		127/5	0.510	0.470
22	रमेश पिता माधोराव कुन्बी	370/3	0.481	0.481
		370/6	0.280	0.280
		127/6	0.526	0.426

23	गुलाबराव पिता माधोराव कुन्बी	370/4	0.460	0.460
		127/7	0.567	0.367
		127/8	0.546	0.546
24	धनराज व. सन्तोषराव	127/10	0.536	0.230
25	श्यामजी उर्फ पंजाबराव पिता केशोराव महेरा	128/1	3.709	0.400
26	भाऊराव पिता धनाराम, सेवन्ती बेवा धनाराम, कृष्णराव, विष्णु, वामनराव पिता धनाराम, इन्दु पि. वामनराव महेरा	128/2	3.345	0.550
27	नामदेव पिता सकड्डु गोंड	401/1	0.235	0.235
		401/3	0.235	0.235
28	देवीदास पिता सीताराम गोड	371/1	1.196	1.196
29	अमरदास पिता सीताराम गोंड	371/2	1.196	1.196
30	जमना पिता सीताराम गोंड	371/3	1.196	0.502
31	जमनी पिता सीताराम गोंड	371/4	1.196	0.607
32	मधबीरचन्द्र पिता मैखचन्द्र	380	0.587	0.283
33	शकुंतला बे. नत्थू परमेश्वर, रामेश्वर पिता नत्थू ममता माया पिता नत्थू	397/1	1.010	0.142
34	सैयवन्ती, शान्ता पिता बाबू रामकला जौ. सुन्दर, सुन्दर शिवचरण व. तेजी, गुलाबराव, बलवन्त, अशोक मंचितराव व. निम्बा, गेन्दलाल, अमरलाल, तेजी व टिटडी तेली, चैती बेवा गब्बा, संजु, गणेश, दिनेश मनोहर, जगदीश व. गब्बा धनकला, इमला, प्रमिला, कमला पिता गब्बा, पंचम पिता छोटेलाल, मीरा पुत्री छोटेलाल	126/1	12.574	0.891
	योग	47	66.431	27.897

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि चकोरा लघु जलाशय निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



क्र. 0001-अ-82-2021-22-बरेठा-व.ग्रा.-1314

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	शाहपुर	बरेठा व.ग्रा.	4.729	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)	मोखा जलाशय हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन

**अनुसूची -2**  
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.में.)	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
1	तुलसी व. रोवा सा. देह	191/2	1.239	0.200
2	धनसिंह व. सुकलू सा. देह	57	4.177	1.730
3	डोमा व. मोहन सा. देह	53	2.747	0.650
4	मनोहरी व. मुंशी सा. देह	59/1	0.744	0.300
5	इंदरसिंग व. मुंशी सा. देह	59/2	0.743	0.350
6	रामसिंग व. मुंशी सा. देह	59/3	0.744	0.360
7	दस्सू व. रतन सा. देह	77	2.176	0.399
8	कलिया बेवा मोहन जाति गौंड सा. देह	85	2.661	0.260
9	बाबूलाल व. बुद्ध जाति गौंड सा. देह	78/2	1.576	0.280
10	झामसिंग व. बिसराम जाति गौंड सा. देह	62	2.500	0.200
	योग		19.307	4.729

(2) चूंकि मोखा जलाशय (स्टोरेज) निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 930-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र. 01-अ-82-2023-24

पीथमपुर, दिनांक 22 जनवरी 2024

**(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013)**

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कारम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम जामन्दा तालाब के डूब में प्रभावित होने वाले ग्राम जामन्दा तहसील पीथमपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका भवन स्वामीवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य पूर्व से प्रचलित होकर निचे सूची में उल्लेखित भवन स्वामियों के त्रुटिवश पूर्व सर्वे में छूटे पुनः सर्वे करने पर डूब में प्रभावित होने से प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि में स्थित भवन कारम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम जामन्दा तालाब के डूब में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

**अनुसूची (1)**

ग्राम- जामन्दा		तहसील - पीथमपुर		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	कारम सिंचाई परियोजना अंतर्गत तालाब निर्माण से डूब में प्रभावित भवन ग्राम जामन्दा तालाब के डूब	-	-	कुल 17 भवन अनुसूची (2) में उल्लेखित सूची अनुसार

**अनुसूची (2)**

कारम सिंचाई परियोजना अंतर्गत तालाब निर्माण से डूब में प्रभावित भवन ग्राम जामन्दा तालाब के डूब में प्रभावित भूमि पर स्थित भवन स्वामियों का विवरण

ग्राम- जामन्दा

तहसील - पीथमपुर

क्र.	कृषक का नाम	भूमि सर्वे नम्बर	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मेहताब पिता सावलिया	3/3	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
2.	गोविन्द पिता गंगाराम	3/3	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
3.	लक्ष्मण पिता गंगाराम	3/3	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
4.	उर्मिला(संजय, अजय, ना.बा.) पिता सोहन	6	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
5.	रामप्रसाद पिता छगन	6	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
6.	दिलीप पिता कन्हैया	6	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
7.	विकास पिता नानुराम	6	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
8.	रमेश पिता चम्पालाल	6	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान

9.	सुभाष पिता रमेश	6	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
10.	सुनील पिता सीताराम	3/2	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
11.	भूरिबाई पिता रमेश	6	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
12.	सुनील पिता चन्द्र	12/1	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
13.	खुमान पिता सेवाराम	12/2/1	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
14.	रामलाल पिता हीरालाल	3/3	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
15.	जगदीश पिता हीरालाल	3/3	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
16.	कैलाश पिता बुदिया	12/2/1	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान
17.	जामसिंह पिता बुदिया	12/2/2	0	मकान	मकान	0	मकान	मकान

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 16-भू-अर्जन-2024

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2024

ग्राम कोलूखेडी पटवारी हल्का नं 04 तहसील बैरसिया

चुंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चुंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175/2015/मध्यम/31/752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है। एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132/PS-MS/MPPCB/SEAC-1/TOR(286)/2016, नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अनेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामों की 9990 हे० भूमि सिंचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

--: अनुसूची (1) :-

तहसील : बैरसिया

जिला: भोपाल

टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- कोलूखेडी

स. क्र	विवरण	भूमि का रकबा (हे० में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम - कोलूखेडी की भूमि की आवश्यकता	19.493	1.3872
	कुल योग	19.493	1.3872

--: अनुसूची (2) :-

स.क्र	भूमि स्वामी का नाम	कक्ष क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	भूरी बाई पत्नि बहादुर सिंह	172803689	2.865	0.0684
2	रिन्जयसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	172804088	0.972	0.1530
3	देवीसिंह पुत्र मांगीलाल	172803680	3.153	0.1839
4	तोरनसिंह पुत्र भूराजी	172803722	1.754	0.0763
5	धानसिंह पुत्र भूराजी	172803718	0.470	0.470
6	मेताबसिंह पुत्र मानसिंह	172803468	0.376	0.0131
7	तोफान सिंह पुत्र नारायणसिंह	172803752	1.012	0.0617
8	अंगरिया बाई पत्नि कमरलाल	172803733	2.993	0.0829
9	कुंगरलाल पुत्र मल्थु	172803750	1.770	0.0062

10	जगदीश पुत्र मल्हू	172803751	2.183	0.1020
11	शशि बाई पत्नि कन्हैया लाल	172803732	1.143	0.163
12	हजारीलाल पुत्र प्रतापसिंह	172803472	0.802	0.0067
	कुल योग		19.493	1.3872

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 -(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियावित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा भोपाल को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला भोपाल के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 -(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला भोपाल अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सुजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 17-भू-अर्जन-2024

ग्राम मजीदगढ पटवारी हल्का नं 03 तहसील बैरसिया

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175/2015/मध्यम/31/752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है। एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132/PS-MS/MPPCB/SEAC-1/TOR(286)/2016, नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अनेकित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामों की 9990 हे० भूमि सिंचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

-:: अनुसूची (1) ::-

तहसील : बैरसिया

जिला: मोपाल

टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- मजीदगढ

स. क्र	विवरण	भूमि का रकबा (हे० में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम - मजीदगढ की भूमि की आवश्यकता	13.7670	13.034
	कुल योग	13.7670	13.034

-:: अनुसूची (2) ::-

स.क्र	भूमि स्वामी का नाम	खसरा	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	हरिसिंह पुत्र आशीराम जाति देशवाली ग्राम मजीदगढ	3/1/2	2.0230	2.0230
2	चन्द्र सिंह पुत्र बंशीलाल जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ	3/2/1	1.2140	1.2140
3	मूलीबाई बेवा बंशीलाल जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ	3/2/2	1.6190	1.6190
4	कमलसिंह पुत्र अमरसिंह जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ	3/3/3	0.8720	0.8720
5	विनयसिंह पुत्र अमरसिंह जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ	3/3/4	0.7230	0.7230
6	फतेहरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ	3/3/5	0.0640	0.0640
7	दयाराम पर्यतसिंह जमनालाल पुत्रगण देवीलाल, कंचनबाई पुत्री देवीलाल, फुलियाबाई बेवा देवीलाल, मथरुलाल चुन्नीलाल हल्केराम पिता मिश्रीलाल मुलियाबाई बेवा मिश्रीलाल चन्दन बाई मोमतीबाई राजबाई पुत्र पुत्री मिश्रीलाल कैलाशबाई चन्दाबाई धापूबाई भूरीबाई केशरबाई	5/1/2	2.023	2.023

	पुत्र पुत्री जगन्नाथ जाति भोई ग्राम मजीदगढ़			
8	मगीलाल, हीरालाल पिता बैरोसिंह, धुरसिंह पुत्र मोहरसिंह ग्राम मजीदगढ़	5/6/1	2.0230	1.290
9	गजराज सिंह पुत्र मोतीलाल जाति गूजर ग्राम मजीदगढ़	9/2	0.9640	0.9640
10	रामकिशन पुत्र सुखराम जाति चमार ग्राम मजीदगढ़	15/1/1/2	0.332	0.332
11	दयाराम पर्वतसिंह जमनालाल पुत्रगण देवीलाल, कंचनबाई पुत्री देवीलाल, फुलियाबाई बेवा देवीलाल, मथरूलाल चुन्नीलाल हल्केराम पिता मिश्रीलाल मुलियाबाई बेवा मिश्रीलाल चन्दन बाई मोमतीबाई राजबाई पुत्र पुत्री मिश्रीलाल कैलाशबाई चन्दाबाई धापूबाई भूरीबाई केशरबाई पुत्र पुत्री जगन्नाथ जाति भोई ग्राम मजीदगढ़	134	0.3600	0.3600
12	सिंगारबाई बेवा रामसिंह तोरणसिंह चरणसिंह विमलाबाई रकमबाई पुत्र पुत्री रामसिंह भूरा पुत्र उंकार ग्राम मजीदगढ़	212/73	1.5500	1.5500
		कुल रकबा	13.7670	13.034

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 -(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियावित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा भोपाल को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला भोपाल के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 -(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला भोपाल अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 18-भू-अर्जन-2024

ग्राम खेडली पटवारी हल्का नं 03 तहसील बैरसिया

चुंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चुंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175/2015/मध्यम/31/752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है। एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132/PS-MS/MPPCB/SEAC-1/TOR(286)/2016, नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अनेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामों की 9990 हे० भूमि सिंचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

--: अनुसूची (1) :-

तहसील : बैरसिया

जिला: भोपाल

टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- खेडली

स. क्र	विवरण	भूमि का रकबा (हे० में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम - खेडली की भूमि की आवश्यकता	5.649	1.0511
	कुल योग	5.649	1.0511

--: अनुसूची (2) :-

स.क्र	भूमि स्वामी का नाम	कक्ष क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	मिश्रीलाल पुत्र फूलसिंह	172804093	3.713	0.168
2	मांगीलाल पुत्र फूलसिंह	172804096	0.656	0.1931
3	कमोदसिंह पुत्र खुशाल	172803570	0.881	0.670
4	किशनसिंह पुत्र कालूराम	172803533	0.399	0.020
		कुल योग	5.649	1.0511

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 -(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर



अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियावित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा भोपाल को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला भोपाल के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक— एफ 16-15 -(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला भोपाल अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र. ए-04-अ-82-2021-22

राजगढ़, दिनांक 8 फरवरी 2024

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कर्माक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम - कायथा (द्वितीय पूरक प्रकरण)		तहसील - जीरापुर		जिला - राजगढ़	
स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर			
		कुल रकबा	अर्जित रकबा		
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	1.265	0.134		

अनुसूची (2)

## 1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स.कं.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	शिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रेमसिंह पिता बैजनाथ, सेतानबाई पिता बैजनाथ, नन्दूबाई बेवा बैजनाथ जाति गुर्जर सम-भाग हिस्सा 1/3 निवासी ग्राम कायथा	4/5/2	1.265	0	0.134	0.134	
योग:-			1.265	0	0.134	0.134	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 6 फरवरी 2024

प्रकरण क्रमांक 002/अ-82/2021-2022, चूकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख) तहसील - जावर

(ग) ग्राम - कौशोपुर

(घ) क्षेत्रफल - 10317.14 वर्ग मीटर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	सर्वे नंबर	मकान नंबर	रकबा (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5
1	कैलाश पिता भवाना	366/2	2	97.49
2	आत्माराम पिता भवाना	366/2	3	115.68
3	फुलसिंह पिता भवाना	366/2	4	98.13
4	मनोहर पिता पदमसिंह	366/2	5	44.47
5	विजयसिंह पिता दिलीप सिंह	366/2	6	123.02
6	कैलाशसिंह पिता दिलीपसिंह	366/2	7	50.31
7	मानसिंह पिता घासीराम	366/2	8	47.18
8	जीवनसिंह पिता घासीराम	366/2	9	34.64
9	विक्रमसिंह पिता घासीराम	366/2	10	34.64
10	संकट मोचन हनुमान मंदिर ( ग्राम समिति ) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह	366/2	11	117.40

11	देव स्थान (ग्राम समिति) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह	366/2	12	126.89
12	रामदेव बाबा मंदिर (ग्राम समिति) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह	366/2	13	92.34
13	कमल सिंह पिता रसुल जी	366/2	14	99.00
14	मायाराम पिता रसुल जी	366/2	15	99.54
15	गौरीशंकर पिता मायाराम	366/2	16	113.60
16	जीवनसिंह पिता रसुलजी	366/2	17	56.82
17	ममलेश कुमार पिता रसुलजी	366/2	18	111.93
18	प्रेमबाई पति भैयालाल	366/2	19	83.54
19	विजेन्द्र पिता चरणलाल	366/2	20	59.98
20	विनोद पिता चरणलाल	366/2	21	59.37
21	अनिल पिता उदलसिंह	366/2	22	50.65
22	सुनील पिता उदलसिंह	366/2	23/1	56.81
23	जितेंद्र पिता उदलसिंह		23/2	25.08
24	उदलसिंह पिता रसूलसिंह		23/3	60.40
25	केशर बाई पति भवाना	366/2	24	83.74
26	बेगमबाई पति तिरपालसिंह	366/2	25/1	48.51
27	राजलबाई पति पद्मसिंह		25/2	28.39
28	कृपालसिंह पिता पद्मसिंह		25/3	210.71
29	पिन्टू पिता कृपालसिंह		25/4	25.08
30	मेहरबानसिंह पिता गंगाराम	366/2	26	168.63
31	नाथुलाल पिता भवाना	366/2	27	112.40
32	राहुल पिता नाथुसिंह	366/2	28	85.75
33	बाबुलाल पिता कन्हैयालाल	366/2	29	30.30
34	ममलेश पिता रसुलजी	366/2	30	49.70
35	चेतनसिंह पिता फतेहसिंह	176	33	47.27
36	योगेन्द्र पिता फतेहसिंह	176	34	82.11
37	करणसिंह पिता उमरावसिंह	176	35	88.74

38	मनोहर सिंह पिता दिलीपसिंह	176	36	113.87
39	भेरूसिंह पिता शेर सिंह	176	37	150.52
40	देवेन्द्र पिता जिवनसिंह	176	38	228.98
41	दोलतसिंह पिता हिम्मतसिंह	176	39	74.49
42	राजेन्द्र सिंह पिता दोलतसिंह	176	40	29.73
43	मानसिंह पिता घासीराम	176	41 / 1	27.92
44	विक्रम पिता घासीराम		41 / 2	54.68
45	जिवनसिंह पिता घासीराम		41 / 3	84.83
46	मानसिंह पिता तकतसिंह	176	42	126.67
47	अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह	176	43	103.47
48	कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिंह	176	44	100.89
49	प्रीतिपाल पिता भूरेसिंह	176	45	50.19
50	कैलाश पिता दिलीपसिंह	176	46	111.62
51	हरेण ठाकुर पिता मेहरबानसिंह	176	47	92.96
52	राजेन्द्र सिंह पिता दोलतसिंह	176	48	25.31
53	मोहब्बतसिंह पिता भागीरथ सिंह	176	49	87.03
54	कृष्णाबाई पति बाबूलाल	176	50	95.34
55	गुलाबसिंह पिता भागीरथ	176	51 / 1	75.54
56	लखनसिंह पिता तखत		51 / 2	41.71
57	धर्मेन्द्रसिंह पिता अजाबसिंह		51 / 3	24.12
58	कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिंह		51 / 4	34.97
59	शिशुपाल पिता लखनसिंह	176	52	94.21
60	बाबुलाल पिता देवीसिंह	176	53	117.65
61	बाबुलाल पिता देवीसिंह	176	54	56.10
62	कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिंह	176	55 / 1	28.05
63	अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह		55 / 2	28.05
64	लखनसिंह पिता तखत	176	56 / 1	17.25
65	मानसिंह पिता तखतसिंह		56 / 2	33.74
66	घीसूलाल पिता ढोकलसिंह	176	57	110.32

67	फुलसिंह पिता ढोकलसिंह	176	58	98.77
68	गुलाबसिंह पिता भागीरथ	176	59	108.27
69	नरेन्द्र सिंह पिता बाबुलाल	176	60	183.81
70	महेन्द्र पिता बाबुलाल	176	61	136.25
71	महेन्द्र पिता बाबुलाल	176	62	21.93
72	नरेन्द्रसिंह पिता बाबुलाल	176	63	200.68
73	मोहनसिंह पिता ढोकलसिंह	176	64	208.27
74	बलवानसिंह पिता फुलसिंह	176	65	34.41
75	लालजीराम पिता गंगाराम	176	81	60.89
76	हरिसिंह पिता अमरसिंह	176	82	21.18
77	कमलसिंह पिता लालजी राम	176	83	88.16
78	फुलसिंह पिता हरनाथ	176	84	136.06
79	हरनाथ सिंह पिता लक्ष्मणसिंह	176	85	93.90
80	रवि पिता बलवंत सिंह	176	86	12.60
81	भागीरथ पिता बापुसिंह	176	87	69.40
82	विक्रमसिंह पिता कन्हैयालाल	176	88	52.98
83	विक्रमसिंह पिता कन्हैयालाल	176	89	83.07
84	चन्द्र पिता कन्हैयालाल	176	90	67.72
85	धर्मेन्द्रसिंह पिता बाबूलाल	176	91	69.60
86	ज्ञानसिंह पिता शंकरलान	176	93	46.40
87	गप्पूलाल पिता मंदरूप जी	176	94	116.34
88	भेरूसिंह पिता शंकरलाल	176	95	23.60
89	शंकरलाल पिता मंदरूप सिंह	176	96	95.49
90	लखनसिंह पिता देवीसिंह	176	97	205.26
91	चेतनसिंह पिता नारायणसिंह	176	98 / 1	10.65
92	नारायणसिंह पिता रघुनाथसिंह		98 / 2	26.09
93	भादरसिंह पिता नारायणसिंह	176	99	46.75
94	परसराम पिता नारायण सिंह	176	100	72.98

95	चन्द्रसिंह पिता कन्हैयालाल	176	101	103.21
96	रायसिंह पिता भागीरथ	176	102	43.44
97	बलवान सिंह पिता भागीरथ	176	103	61.27
98	रामसिंह पिता दरियावसिंह	176	104 / 1,	57.42
99	रामसिंह पिता दरियावसिंह		104 / 2,	28.52
100	नारायण सिंह पिता रघुनाथसिंह	176	105	44.72
101	भादरसिंह पिता नारायण सिंह	176	106	33.00
102	रतनसिंह पिता दरियावसिंह	176	107 / 1,	44.13
103	रतनसिंह पिता दरियावसिंह		107 / 2	25.52
104	बजेसिंह पिता देवकरण	176	108	193.73
105	भीमसिंह पिता हरनाथसिंह	176	109	213.10
106	पवित्रा पति ज्ञानसिंह	176	110	194.80
107	कान्ताबाई पति रूपसिंह	176	111	205.00
108	चेतनसिंह पिता कुमेरसिंह	176	112	154.11
109	देवेन्द्र पिता मनोहरसिंह	176	114	131.52
110	ज्ञानसिंह पिता पुरणसिंह	176	115	115.13
111	दोलतसिंह पिता हिम्मतसिंह	176	116	51.60
112	घासीराम पिता मोतीसिंह	176	117	51.60
113	ज्ञानसिंह पिता पुरणसिंह	176	118	78.76
114	मेहरबानसिंह पिता हिम्मतसिंह	176	119	72.44
115	राजेन्द्र पिता दोलतसिंह	176	120	93.51
116	मांगीलाल पिता हरनाथसिंह	176	121 / 1	53.47
117	मानसिंह पिता हरनाथसिंह		121 / 2	148.31
118	मनोहरसिंह पिता दिलीपसिंह	176	122	83.88
119	भेरूसिंह पिता शेरसिंह	176	123	74.41
120	फतेसिंह पिता उमरावसिंह	176	124	99.70
121	करणसिंह पिता उमरणसिंह	176	125	86.45
122	बाबूलाल पिता पूरणसिंह	176	126	69.88

123	गुलाबसिंह पिता पुरणसिंह	176	127	68.13
124	सवाईसिंह पिता बाबूलाल	176	128	16.98
125	बद्रीलाल पिता पुरणसिंह	176	129	87.44
	योग		वर्ग मी.	10317.14

**ग्राम कैशोपुर के पुनर्वास हेतु प्रभावित परिवारों की सूची**

मकान नंबर	परिवार के मुखिया का नाम / पिता का नाम / पति का नाम	परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	उम्र	परिवार संख्या
1	2	3	4	5	6
2	कैलाश पिता भवाना	कैलाश पिता भवाना	स्वयं	36 वर्ष	1
		ममता पति कैलाश	पत्नि	31 वर्ष	
		राजकुमारी पिता कैलाश	पुत्री	15 वर्ष	
		अभिषेक पिता कैलाश	पुत्र	19 वर्ष	
3	आत्माराम पिता भवाना	आत्माराम पिता भवाना	स्वयं	49 वर्ष	1
		एलम बाई पति आत्माराम	पत्नि	45 वर्ष	
		सुलोचना पिता आत्माराम	पुत्री	16 वर्ष	
		कृष्णपाल पिता आत्माराम	पुत्र	16 वर्ष	
		राजपाल पिता आत्माराम	पुत्र	24 वर्ष	
		मीना पति राजपाल	पुत्रवधु	17 वर्ष	
4	फूलसिंह पिता भवाना	फूलसिंह पिता भवाना	स्वयं	43 वर्ष	1
		रेशमाबाई पति फूलसिंह	पत्नि	30 वर्ष	
		अमन पिता फूलसिंह	पुत्र	16 वर्ष	
		रवि पिता फूलसिंह	पुत्र	22 वर्ष	
		निकिता पति रवि	पौत्री	14 वर्ष	
5	मनोहर पिता पदमसिंह	मनोहर पिता पदमसिंह	स्वयं	38 वर्ष	1
		मुन्नीबाई पति मनोहर	पत्नि	36 वर्ष	
		किरण पिता मनोहर	पुत्री	17 वर्ष	
		टीना पिता मनोहर	पुत्री	13 वर्ष	



		पायल पिता मनोहर	पुत्री	9 वर्ष	
		सचिन पिता मनोहर	पुत्र	10 वर्ष	
6	विजयसिंह पिता दिलीपसिंह	विजयसिंह पिता दिलीपसिंह	स्वयं	48 वर्ष	1
		सुनीता पति विजयसिंह	पत्नि	46 वर्ष	
		स्मिता पिता विजयसिंह	पुत्री	19 वर्ष	
		तन्नु पिता विजय सिंह	पुत्री	15 वर्ष	
		दीपक पिता विजयसिंह	पुत्र	11 वर्ष	
7	कैलाशसिंह पिता दिलीपसिंह	कैलाशसिंह पिता दिलीपसिंह	स्वयं	49 वर्ष	1
		कृष्णाबाई पति कैलाशसिंह	पत्नि	48 वर्ष	
14	कमल सिंह पिता रसुलजी	कमल सिंह पिता रसुलजी	स्वयं	46 वर्ष	1
		सुनीताबाई पति कमलसिंह	पत्नि	43 वर्ष	
		अंजली बाई पिता कमलसिंह	पुत्री	15 वर्ष	
		पायल पिता कमलसिंह	पुत्री	17 वर्ष	
		रोहित पिता कमलसिंह	पुत्र	18 वर्ष	
15	मायाराम पिता रसूल	मायाराम पिता रसूल	स्वयं	56 वर्ष	1
		प्रेमबाई पति मायाराम	पत्नि	54 वर्ष	
		राकेश पिता मायाराम	पुत्र	7 वर्ष	
16	गौरीशंकर पिता मायाराम	गौरीशंकर पिता मायाराम	स्वयं	19 वर्ष	1
		शबनम पति गौरीशंकर	पत्नि	21 वर्ष	
17	जीवनसिंह पिता रसुलजी	जीवनसिंह पिता रसुलजी	स्वयं	48 वर्ष	1
		संगीता बाई पति जीवन सिंह	पत्नि	37 वर्ष	
		किरण पिता जीवन सिंह	पुत्री	6 वर्ष	
18	ममलेश पिता रसुलजी	ममलेश पिता रसुलजी	स्वयं	41 वर्ष	1
		सीमाबाई पति ममलेश कुमार	पत्नि	43 वर्ष	
		निकिता पिता ममलेश	पुत्री	15 वर्ष	
		राघवेन्द्र पिता ममलेश	पुत्र	12 वर्ष	
19	प्रेमबाई पति भैय्यालाल	प्रेमबाई पति भैय्यालाल	स्वयं	66 वर्ष	1
20	विजेन्द्र पिता चरणलाल	विजेन्द्र पिता चरणलाल	स्वयं	32 वर्ष	1
		बन्टी बाई पति विजेन्द्र	पत्नि	31 वर्ष	

		प्रीति पिता विजेन्द्र	पुत्री	10 वर्ष	
		अंकित पिता विजेन्द्र	पुत्र	9 वर्ष	
		गोविंदबाई पति चरणलाल	माता	58 वर्ष	1
21	विनोद पिता चरणलाल	विनोद पिता चरणलाल	स्वयं	26 वर्ष	1
		मनीषा पति चरणलाल	पत्नि	29 वर्ष	
		प्रियंका पिता चरणलाल	भाई	04 वर्ष	
		अभिषेक पिता चरणलाल	बहन	02 वर्ष	
22	अनिल पिता उदलसिंह	अनिल पिता उदलसिंह	स्वयं	29 वर्ष	1
		पूजा बाई पति अनिल	पत्नि	25 वर्ष	
		सावन पिता अनिल	पुत्र	06 वर्ष	
		करण पिता अनिल	पुत्र	04 वर्ष	
23/1	सुनील पिता उदलसिंह	सुनील पिता उदलसिंह	स्वयं	33 वर्ष	1
		मीना पति सुनील	पत्नि	30 वर्ष	
		आयुषि पिता सुनील	पुत्री	9 वर्ष	
		आरती पिता सुनील	पुत्री	07 वर्ष	
		शिवम पिता सुनील	पुत्र	05 वर्ष	
23/2	जितेन्द्र पिता उदलसिंह	जितेन्द्र पिता उदलसिंह	स्वयं	25 वर्ष	1
23/3	उदल सिंह पिता रसूलसिंह	उदल सिंह पिता रसूलसिंह	स्वयं	54 वर्ष	1
		बसंता बाई पति रसूल	पत्नि	51 वर्ष	
24	केशर बाई पति भवाना	केशर बाई पति भवाना	स्वयं	93 वर्ष	1
25/1	बेगम बाई पिता पदम सिंह पति तिरपाल सिंह	बेगम बाई पिता पदम सिंह पति तिरपाल सिंह	स्वयं	42 वर्ष	1
25/2	राजल बाई पति पदम सिंह	राजल बाई पति पदम सिंह	स्वयं	73 वर्ष	1
25/3	कृपालसिंह पिता पदमसिंह	कृपालसिंह पिता पदमसिंह	स्वयं	50 वर्ष	1
		मेमकला पति कृपाल सिंह	पत्नि	48 वर्ष	
		देवेन्द्र पिता कृपाल सिंह	पुत्र	19 वर्ष	
25/4	पिन्दू पिता कृपाल सिंह	पिन्दू पिता कृपाल सिंह	स्वयं	22 वर्ष	1
		लक्ष्मी पति पिन्दू	पत्नि	20 वर्ष	
26	मेहरबान सिंह पिता गंगाराम	मेहरबान सिंह पिता गंगाराम	स्वयं	53 वर्ष	1
		गीताबाई पति मेहरबान	पत्नि	49 वर्ष	

		सिंह			
		पवित्रा पिता मेहरबान सिंह	पुत्री	21 वर्ष	
		रेशम बाई पति गंगाराम	माता	86 वर्ष	1
		सुरेन्द्र पिता मेहरबान सिंह	पुत्र	27 वर्ष	
		भावना पति सुरेन्द्र	पुत्रवधु	25 वर्ष	1
		समर्थ पिता सुरेन्द्र	पौत्र	06 वर्ष	
		साहिल पिता सुरेन्द्र	पौत्र	3 वर्ष	
27	नाथूलाल पिता भवाना	नाथूलाल पिता भवाना	स्वयं	58 वर्ष	1
		मुन्नी बाई पति नाथूलाल	पत्नि	53 वर्ष	
		जीतू सिंह पिता नाथूलाल	पुत्र	28 वर्ष	1
28	राहुल पिता नाथू सिंह	राहुल पिता नाथू सिंह	स्वयं	30 वर्ष	
		लाडकुवर बाई पति राहुल	पत्नि	31 वर्ष	1
		वर्षा पिता राहुल	पुत्री	08 वर्ष	
		रोहन पिता राहुल	पुत्र	04 वर्ष	
29	बाबूलाल पिता कन्हैया लाल	बाबूलाल पिता कन्हैया लाल	स्वयं	55 वर्ष	1
		अयोध्या बाई पति बाबूलाल	पत्नि	53 वर्ष	
33	चेतन सिंह पिता फतेह सिंह	चेतन सिंह पिता फतेह सिंह	स्वयं	39 वर्ष	
		मेमकला पति चेतन	पत्नि	34 वर्ष	1
		सुजल पिता चेतन	पुत्री	11 वर्ष	
		साक्षी पिता चेतन	पुत्री	10 वर्ष	
34	योगेन्द्र पिता फतेह सिंह	योगेन्द्र पिता फतेह सिंह	स्वयं	37 वर्ष	
		सुलोचना पति योगेन्द्र	पत्नि	33 वर्ष	1
		लक्ष्मी पिता योगेन्द्र	पुत्री	11 वर्ष	
		ऋषि पिता योगेन्द्र	पुत्री	9 वर्ष	
35	करण सिंह पिता उमराव सिंह	करण सिंह पिता उमराव सिंह	स्वयं	66 वर्ष	1
		कुन्ताबाई पति करण सिंह	पत्नि	64 वर्ष	
		अर्जुन पिता करण सिंह	पुत्र	29 वर्ष	
		संगीता पति अर्जुन	पुत्रवधु	27 वर्ष	1
		आदर्श पिता अर्जुन	पौत्र	11 वर्ष	

		वैशाली पिता अर्जुन	पौत्री	8 वर्ष	
36	मनोहर सिंह पिता दिलीप सिंह	मनोहर सिंह पिता दिलीप सिंह	स्वयं	54 वर्ष	1
		चिंता बाई पति मनोहर सिंह	पत्नि	56 वर्ष	
		राधा ठाकुर पिता मनोहर सिंह	पुत्री	19 वर्ष	
		गुलाब बाई पति दिलीप सिंह	माता	92 वर्ष	1
		हेमंत पिता मनोहर सिंह	पुत्र	18 वर्ष	1
37	भेरूसिंह पिता शेर सिंह	भेरूसिंह पिता शेर सिंह	स्वयं	54 वर्ष	1
		तेजु बाई पति भेरूसिंह	पत्नि	43 वर्ष	
		स्वाती पिता भेरूसिंह	पुत्री	21 वर्ष	
		प्रीतिपाल पिता भेरूसिंह	पुत्र	23 वर्ष	1
		मधु पिता प्रतिपाल	पुत्रवधु	20 वर्ष	
		पवन पिता भेरूसिंह	पुत्र	20 वर्ष	
38	देवेन्द्र पिता जीवन सिंह	देवेन्द्र पिता जीवन सिंह	स्वयं	26 वर्ष	1
		अन्जना पति देवेन्द्र सिंह	पत्नि	23 वर्ष	
39	दौलतसिंह पिता हिम्मतसिंह	दौलतसिंह पिता हिम्मतसिंह	स्वयं	68 वर्ष	1
		सुगनबाई पति दौलतसिंह	पत्नि	66 वर्ष	
		रुकमाबाई पति हिम्मतसिंह	माता	91 वर्ष	
40	राजेन्द्र सिंह पिता दौलतसिंह	राजेन्द्र सिंह पिता दौलतसिंह	स्वयं	41 वर्ष	1
		सीमाबाई पति राजेन्द्र सिंह	पत्नि	39 वर्ष	
		अंकित पिता राजेन्द्र सिंह	पुत्र	19 वर्ष	
41/1	मानसिंह पिता घासीराम	मानसिंह पिता घासीराम	स्वयं	58 वर्ष	1
		भूरी बाई पति मानसिंह	पत्नि	54 वर्ष	
		माया बाई पिता मानसिंह	पुत्री	16 वर्ष	
		आदर्श पिता मानसिंह	पुत्र	11 वर्ष	
41/2	विक्रमसिंह पिता घासीराम	विक्रमसिंह पिता घासीराम	स्वयं	50 वर्ष	1
		प्रेम बाई पति विक्रम	पत्नि	45 वर्ष	
		नीलेश पिता विक्रम	पुत्र	27 वर्ष	1
		पूजा ठाकुर पति नीलेश	पुत्री	23 वर्ष	

41/3	जीवनसिंह पिता घासीराम	जीवनसिंह पिता घासीराम	स्वयं	54 वर्ष	1
		रामसभा बाई पति जीवन सिंह	पत्नि	48 वर्ष	
		देवेन्द्र सिंह पिता जीवन सिंह	पुत्र	26 वर्ष	1
		अंजना पति देवेन्द्र सिंह	पुत्री	23 वर्ष	1
		सचिन पिता जीवन सिंह	पुत्र	22 वर्ष	
42	मानसिंह पिता तखत सिंह	मानसिंह पिता तखत सिंह	स्वयं	58 वर्ष	1
		ललिता बाई पति मानसिंह	पत्नि	56 वर्ष	
		कृष्णपाल पिता मानसिंह	पुत्र	34 वर्ष	1
		टीना पिता कृष्णपाल	पुत्रवधु	28 वर्ष	
		रुद्रवीर पिता कृष्णपाल	पौत्र	04 वर्ष	
43	अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह	अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह	स्वयं	58 वर्ष	1
		उर्मिला पति अजाबसिंह	पत्नि	56 वर्ष	
		पुष्पराज पिता अजाबसिंह	पुत्र	23 वर्ष	1
44	कृपाल सिंह पिता मोहब्बत सिंह	कृपाल सिंह पिता मोहब्बत सिंह	स्वयं	51 वर्ष	1
		अलका बाई पति कृपाल सिंह	पत्नि	48 वर्ष	
		नीतू ठाकुर पिता कृपाल सिंह	पुत्री	22 वर्ष	
		रोहन ठाकुर पिता कृपाल सिंह	पुत्र	18 वर्ष	1
46	कैलाश पिता दिलीपसिंह	कैलाश पिता दिलीपसिंह	स्वयं	49 वर्ष	1
		कृष्णाबाई पति कैलाश	पत्नि	48 वर्ष	
		वर्षा पिता कैलाश	पुत्री	19 वर्ष	1
		संदीप पिता कैलाश	पुत्र	26 वर्ष	
49	मोहब्बत सिंह पिता भागीरथ	मोहब्बत सिंह पिता भागीरथ	स्वयं	98 वर्ष	1
		कमला बाई पति भागीरथ	पत्नि	96 वर्ष	
50	कृष्णा बाई पति बाबूलाल	कृष्णा बाई पति बाबूलाल	स्वयं	50 वर्ष	1
51/1	गुलाब सिंह पिता भागीरथ	गुलाब सिंह पिता भागीरथ	स्वयं	64 वर्ष	1
		तेजु बाई पति गुलाब सिंह	पत्नि	57 वर्ष	

		यशवंत सिंह पिता गुलाब सिंह	पुत्र	28 वर्ष	1	
		अविका पिता यशवंत सिंह	पौत्री	4 वर्ष		
51/2	लखन सिंह पिता तखत सिंह	लखन सिंह पिता तखत सिंह	स्वयं	49 वर्ष	1	
		सुनग बाई पति लखन सिंह	पत्नि	47 वर्ष		
		रेशम बाई पति तखत सिंह	माता	86 वर्ष	1	
		चन्द्रपाल पिता लखन	पुत्र	27 वर्ष	1	
		रानु बाई पति चन्द्रपाल	पुत्रवधु	20 वर्ष		
		51/3	धर्मेन्द्र सिंह पिता अजाब सिंह	धर्मेन्द्र सिंह पिता अजाब सिंह	स्वयं	26 वर्ष
अर्चना पति धर्मेन्द्र	पत्नि			24 वर्ष		
52	शिशुपाल पिता लखन सिंह	शिशुपाल पिता लखन सिंह	स्वयं	30 वर्ष	1	
		सीमा पति शिशुपाल	पत्नि	24 वर्ष		
		भविका पिता शिशुपाल	पुत्री	5 वर्ष		
		रुद्रिका पिता शिशुपाल	पुत्री	2 वर्ष		
53	बाबूलाल पिता देवी सिंह	बाबूलाल पिता देवी सिंह	स्वयं	58 वर्ष	1	
		शांता बाई पति बाबूलाल	पत्नि	56 वर्ष		
57	घीसूलाल पिता ढोकल सिंह	घीसूलाल पिता ढोकल सिंह	स्वयं	76 वर्ष	1	
		घीसी बाई पति घीसूलाल	पत्नि	71 वर्ष		
		तेज सिंह पिता घीसूलाल	पुत्र	38 वर्ष		1
		प्रेमसिंह पिता घीसूलाल	पुत्र	34 वर्ष		1
58	फूलसिंह पिता ढोकल सिंह	फूलसिंह पिता ढोकल सिंह	स्वयं	68 वर्ष	1	
		धापूबाई पति फूलसिंह	पत्नि	66 वर्ष		
		रूपाली पिता नरेश	पुत्री	16 वर्ष		
60	नरेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल	नरेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल	स्वयं	37 वर्ष	1	
		ममता पति नरेन्द्र	पत्नि	31 वर्ष		
		हर्षवर्धन सिंह ठाकुर पिता नरेन्द्रसिंह	पुत्र	06 वर्ष		
		जयश्री पिता नरेन्द्र सिंह	पुत्री	12 वर्ष		

		राजश्री पिता नरेन्द्र सिंह	पुत्री	09 वर्ष		
61	महेन्द्र पिता बाबूलाल	महेन्द्र पिता बाबूलाल	स्वयं	25 वर्ष	1	
		मोना पति महेन्द्र	पत्नि	24 वर्ष		
		यक्षप्रताप पिता महेन्द्र	पुत्र	2 वर्ष		
64	मोहन सिंह पिता ढोकल सिंह	मोहन सिंह पिता ढोकल सिंह	स्वयं	65 वर्ष	1	
		सुनीता पति मोहन सिंह	पत्नि	44 वर्ष		
		रेणुका पिता मोहन सिंह	पुत्री	21 वर्ष		
65	बलवान सिंह पिता फूल सिंह	बलवान सिंह पिता फूल सिंह	स्वयं	37 वर्ष	1	
		सुनीता बाई पति बलवान सिंह	पत्नि	37 वर्ष		
		साधना पिता बलवान	पुत्री	13 वर्ष		
		लक्ष्मी पिता बलवान	पुत्री	10 वर्ष		
		भुपेन पिता बलवान	पुत्र	09 वर्ष		
67	देवेन्द्र पिता मोहन सिंह	देवेन्द्र पिता मोहन सिंह	स्वयं	23 वर्ष	1	
		गोपाल पिता मोहन सिंह	भाई	18 वर्ष	1	
68/1	विजेन्द्र पिता मेहरबान सिंह	विजेन्द्र पिता मेहरबान सिंह	स्वयं	43 वर्ष	1	
		अभिलाषा पति विजेन्द्र सिंह	पत्नि	42 वर्ष		
		शेलेन्द्र पिता विजेन्द्र सिंह	पुत्र	21 वर्ष		1
		अंकित पिता विजेन्द्र	पुत्र	18 वर्ष		1
68/2	भेरूसिंह पिता मेहरबान सिंह	भेरूसिंह पिता मेहरबान सिंह	स्वयं	45 वर्ष	1	
		अनिता पति भेरूसिंह	पत्नि	38 वर्ष		
		मधु पिता भेरूसिंह	पुत्री	17 वर्ष		
		भूमिका पिता भेरूसिंह	पुत्री	15 वर्ष		
		नैनसा पिता भेरूसिंह	पुत्री	11 वर्ष		
		सौम्या पिता भेरूसिंह	पुत्री	7 वर्ष		
		आरोही पिता भेरूसिंह	पुत्री	4 वर्ष		
68/3	महेन्द्र सिंह पिता मेहरबान सिंह	महेन्द्र सिंह पिता मेहरबान सिंह	स्वयं	39 वर्ष	1	
		सुनीता बाई पति महेन्द्र सिंह	पत्नि	39 वर्ष		

		एश्वर्या पिता महेन्द्र सिंह	पुत्री	16 वर्ष	
		कुन्ता बाई पति मेहरबान सिंह	माता	74 वर्ष	1
		अभिषेक पिता महेन्द्र सिंह	पुत्र	21 वर्ष	1
71	अर्जुन पिता करण सिंह	अर्जुन पिता करण सिंह	स्वयं	27 वर्ष	1
74	अजाब सिंह पिता हरनाथ सिंह	अजाब सिंह पिता हरनाथ सिंह	स्वयं	50 वर्ष	1
		बबिता बाई पति अजाब सिंह	पत्नि	48 वर्ष	
		कुन्दन पिता अजाब सिंह	पुत्र	21 वर्ष	1
75	इन्दर सिंह पिता हरनाथ सिंह	इन्दर सिंह पिता हरनाथ सिंह	स्वयं	46 वर्ष	1
		मेघा ठाकुर पिता इन्दर सिंह	पत्नि	19 वर्ष	
77	मनोहर सिंह पिता नरवत सिंह	मनोहर सिंह पिता नरवत सिंह	स्वयं	61 वर्ष	1
		गुलाब बाई पति मनोहर सिंह	पत्नि	57 वर्ष	
		कमला बाई पति नरवत सिंह	माता	87 वर्ष	1
		अनिल पिता मनोहर सिंह	पुत्र	19 वर्ष	1
81	लालजी राम पिता गंगाराम	लालजी राम पिता गंगाराम	स्वयं	64 वर्ष	1
		नादान बाई पति गंगाराम	पत्नि	88 वर्ष	1
83	कमल सिंह पिता लालजी राम	कमल सिंह पिता लालजी राम	स्वयं	40 वर्ष	1
		अनिता पति कमलसिंह	पत्नि	35 वर्ष	
		निकिता पिता कमल सिंह	पुत्री	18 वर्ष	
		अंकिता पिता कमल सिंह	पुत्री	18 वर्ष	
		अंगुरबाला पिता कमल सिंह	पुत्री	15 वर्ष	
		बसकन्या पिता कमल सिंह	पुत्री	12 वर्ष	
		अनमोल पिता कमल सिंह	पुत्र	10 वर्ष	
84	फूलसिंह पिता हरनाथ	फूलसिंह पिता हरनाथ	स्वयं	36 वर्ष	1
		कृष्णा बाई पति फूलसिंह	पत्नि	40 वर्ष	



		तन्नु पिता फूलसिंह	पुत्री	15 वर्ष	
		तमन्ना पिता फूलसिंह	पुत्री	10 वर्ष	
		तनिष्क पिता फूलसिंह	पुत्र	8 वर्ष	
		बसकन्या पिता फूलसिंह	पुत्री	5 वर्ष	
		प्रिन्स पिता फूलसिंह	पुत्र	2 वर्ष	
85	हरनाथ सिंह पिता लक्ष्मण सिंह	हरनाथ सिंह पिता लक्ष्मण सिंह	स्वयं	67 वर्ष	1
		पिराग बाई पति हरनाथ सिंह	पत्नि	64 वर्ष	
		यशवंत पिता हरनाथ	पुत्र	23 वर्ष	1
87	भागीरथ पिता बापूसिंह	भागीरथ पिता बापूसिंह	स्वयं	72 वर्ष	1
		प्रेम बाई पति भागीरथ	पत्नि	71 वर्ष	
89	विक्रम सिंह पिता कन्हैयालाल	विक्रम सिंह पिता कन्हैयालाल	स्वयं	52 वर्ष	1
		राजकुंवर बाई पति विक्रम सिंह	पत्नि	47 वर्ष	
		भूपेन्द्र पिता विक्रम सिंह	पुत्र	17 वर्ष	
		अरविंद पिता विक्रम सिंह	पुत्र	25 वर्ष	1
		बबिता पति अरविंद	पुत्रवधु	26 वर्ष	
		अर्पिता पिता अरविंद	पौत्री	5 वर्ष	
		आदेश पिता अरविंद	पौत्र	1 वर्ष	
90	चन्द्र पिता कन्हैयालाल	चन्द्र पिता कन्हैयालाल	स्वयं	45 वर्ष	1
		पूजा पिता चन्द्र	पुत्री	21 वर्ष	
		मधु पिता चन्द्र	पुत्री	16 वर्ष	
		लोकेन्द्र पिता चन्द्र	पुत्र	18 वर्ष	1
91	धर्मेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल	धर्मेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल	स्वयं	31 वर्ष	1
		रानी बाई पति धर्मेन्द्र	पत्नि	24 वर्ष	
		दिव्यांश पिता धर्मेन्द्र	पुत्र	6 वर्ष	
		धीरज सिंह पिता बाबूलाल	भाई	30 वर्ष	1
		ममता बाई पति धीरज सिंह	भाई की पत्नि	28 वर्ष	
		प्रियांश पिता धीरज सिंह	भतीजा	4 वर्ष	
		वैदिक परमार पिता धीरज सिंह	भतीजा	1 वर्ष	
93	ज्ञान सिंह पिता	ज्ञान सिंह पिता	स्वयं	37 वर्ष	1

	शंकरलाल	शंकरलाल					
		ममता बाई पति ज्ञान सिंह	पत्नि	39 वर्ष			
		सपना पिता ज्ञान सिंह	पुत्री	16 वर्ष			
		शीतल पिता ज्ञान सिंह	पुत्री	15 वर्ष			
		सोहन पिता ज्ञान सिंह	पुत्र	11 वर्ष			
94	गप्पूलाल पिता मंदरूप जी	गप्पूलाल पिता मंदरूप जी	स्वयं	58 वर्ष	1		
		पिरागबाई पति गप्पूलाल	पत्नि	56 वर्ष			
		कैलाश पिता गप्पूलाल	पुत्र	38 वर्ष	1		
		रीना बाई पति कैलाश	पुत्रवधु	36 वर्ष			
		कुमकुम पिता कैलाश	पौत्री	15 वर्ष			
		भविष्य पिता कैलाश	पौत्र	13 वर्ष			
				राजेन्द्र पिता गप्पूलाल	पुत्र	40 वर्ष	1
				रामसभा पति राजेन्द्र	पुत्रवधु	38 वर्ष	
				मनीषा पिता राजेन्द्र	पौत्री	16 वर्ष	
				पायल पिता राजेन्द्र	पौत्री	13 वर्ष	
				विनोद पिता राजेन्द्र	पौत्र	20 वर्ष	1
		95	भेरूसिंह पिता शंकरलाल	भेरूसिंह पिता शंकरलाल	स्वयं	42 वर्ष	1
सुनीता बाई पति भेरूसिंह	पत्नि			38 वर्ष			
मुस्कान पिता भेरूसिंह	पुत्री			15 वर्ष			
अभिषेक पिता भेरूसिंह	पुत्र			17 वर्ष			
96	शंकरलाल पिता मंदरूप सिंह	शंकरलाल पिता मंदरूप सिंह	स्वयं	65 वर्ष	1		
		रमा बाई पति शंकरलाल	पत्नि	76 वर्ष			
		जितेन्द्र पिता शंकरलाल	पुत्र	31 वर्ष	1		
		बबिता पति जितेन्द्र	पुत्रवधु	28 वर्ष			
		नगीना पिता जितेन्द्र	पौत्री	09 वर्ष			
		शिवानी पिता जितेन्द्र	पौत्री	7 वर्ष			
				त्रिशा पिता जितेन्द्र	पौत्री	2 वर्ष	1
				अर्जुन पिता शंकरलाल	पुत्र	28 वर्ष	
				द्रोपदी पति अर्जुन	पुत्रवधु	26 वर्ष	
				वत्सय पिता अर्जुन	पौत्र	4 वर्ष	
		आरव पिता अर्जुन	पौत्र	7 वर्ष			
97	लखनसिंह पिता	लखनसिंह पिता देवीसिंह	स्वयं	40 वर्ष	1		

	देवीसिंह	कुन्ताबाई पति लखन सिंह	पत्नि	37 वर्ष	
		अनुराधा पिता लखन सिंह	पुत्री	18 वर्ष	
		देवेन्द्र पिता लखन सिंह	पुत्र	15 वर्ष	
		अंजना पिता लखन सिंह	पुत्री	12 वर्ष	
		देव सिंह पिता रूगनाथ सिंह	पिता	79 वर्ष	1
		सूरजबाई पति देव सिंह	माता	76 वर्ष	
98/1	चेतन सिंह पिता नारायण सिंह	चेतन सिंह पिता नारायण सिंह	स्वयं	35 वर्ष	1
		बबिता पति चेतनसिंह	पत्नि	32 वर्ष	
		बुलबुल पिता चेतनसिंह	पुत्री	10 वर्ष	
		राजकुमार पिता चेतनसिंह	पुत्र	12 वर्ष	
98/2	नारायण सिंह पिता रघुनाथ सिंह	नारायण सिंह पिता रघुनाथ सिंह	स्वयं	73 वर्ष	1
		मानूबाई पति नारायण सिंह	पत्नि	71 वर्ष	
		घनश्याम पिता नारायण सिंह	पुत्र	27 वर्ष	1
99	भादरसिंह पिता नारायणसिंह	भादरसिंह पिता नारायणसिंह	स्वयं	44 वर्ष	1
		सुनीता बाई पति भादर सिंह	पत्नि	42 वर्ष	
		निकिता पिता भादर सिंह	पुत्री	21 वर्ष	
		पवन पिता भादर सिंह	पुत्र	27 वर्ष	1
		राजकुमार पिता भादर सिंह	पुत्र	22 वर्ष	1
100	परसराम पिता नारायण सिंह	परसराम पिता नारायण सिंह	स्वयं	44 वर्ष	1
		सुनीता बाई पति परसराम	पत्नि	38 वर्ष	
		विकास पिता परसराम	पुत्र	19 वर्ष	1
		अंकित पिता परसराम	पुत्र	18 वर्ष	1
102	राय सिंह पिता भागीरथ	राय सिंह पिता भागीरथ	स्वयं	39 वर्ष	1
		अलका बाई पति राय सिंह	पत्नि	36 वर्ष	
		शिवानी पिता राय सिंह	पुत्री	16 वर्ष	

		सुमित पिता राय सिंह	पुत्र	12 वर्ष	
103	बलवान सिंह पिता भागीरथ	बलवान सिंह पिता भागीरथ	स्वयं	40 वर्ष	1
		शारदा बाई पति बलवानसिंह	पत्नि	37 वर्ष	
		नीलम पिता बलवान सिंह	पुत्री	16 वर्ष	
		रवि पिता बलवानसिंह	पुत्र	18 वर्ष	1
104/1	रामसिंह पिता दरियाव सिंह	रामसिंह पिता दरियाव सिंह	स्वयं	63 वर्ष	1
		नर्मदा बाई पति राम सिंह	पत्नि	51 वर्ष	1
		उदय सिंह पिता राजाराम	पुत्र	24 वर्ष	
		सावित्रा पति उदय सिंह	पुत्रवधु	23 वर्ष	
		अविराज पिता उदय सिंह	पौत्र	3 वर्ष	
107/1	रतन सिंह पिता दरियाव सिंह	रतन सिंह पिता दरियाव सिंह	स्वयं	41 वर्ष	1
		सुशीला पति रतन सिंह	पत्नि	43 वर्ष	1
		आनंद पिता रतन सिंह	पुत्र	19 वर्ष	
108	बजे सिंह पिता देवकरण	बजे सिंह पिता देवकरण	स्वयं	41 वर्ष	1
		सीमा बाई पति बजे सिंह	पत्नि	37 वर्ष	
		टीना पिता बजे सिंह	पुत्री	15 वर्ष	
		गीता बाई पति देवकरण	माता	61 वर्ष	1
		रोहित पिता बजे सिंह	पुत्र	18 वर्ष	1
109	भीम सिंह पिता हरनाथ सिंह	भीम सिंह पिता हरनाथ सिंह	स्वयं	47 वर्ष	1
		बेगम बाई पति भीम सिंह	पत्नि	46 वर्ष	1
		यशवंत पिता भीम सिंह	पुत्र	24 वर्ष	
		रानु ठाकुर पति यशवंत	पुत्रवधु	20 वर्ष	
		अर्धव ठाकुर पिता यशवंत	पौत्र	4 माह	
		भूपेन्द्र पिता भीम सिंह	पुत्र	23 वर्ष	1
		मनीषा पति भूपेन्द्र	पुत्रवधु	23 वर्ष	
		विवान पिता भूपेन्द्र	पौत्र	2 वर्ष	
110	पवित्रा पति ज्ञान सिंह	पवित्रा पति ज्ञान सिंह	स्वयं	66 वर्ष	1
		मनीषा पिता ज्ञान सिंह	पत्नि	22 वर्ष	
		नेहा पिता ज्ञान सिंह	पुत्री	21 वर्ष	

		सचिन पिता ज्ञान सिंह	पुत्र	20 वर्ष	1
111	कान्ताबाई पति रूप सिंह	कान्ताबाई पति रूप सिंह	स्वयं	59 वर्ष	1
		संगीता बाई पति पंकज सिंह	पुत्रवधु	28 वर्ष	1
		आदित्य पिता पंकज	पौत्र	11 वर्ष	
		अवनि पिता पंकज	पौत्री	9 वर्ष	
		पंकज सिंह पिता रूप सिंह	पुत्र	30 वर्ष	
112	चेतन सिंह पिता कुमेर सिंह	चेतन सिंह पिता कुमेर सिंह	स्वयं	34 वर्ष	1
		दशरथ बाई पति कुमेर सिंह	माता	66 वर्ष	1
		जितेन्द्र पिता कुमेर सिंह	भाई	35 वर्ष	1
		धर्मेन्द्र सिंह पिता कुमेर सिंह	भाई	32 वर्ष	1
114	देवेन्द्र पिता मनोहर सिंह	देवेन्द्र पिता मनोहर सिंह	स्वयं	19 वर्ष	1
		शीतल पति देवेन्द्र	पत्नि	16 वर्ष	
115	ज्ञान सिंह पिता पूरण सिंह	ज्ञान सिंह पिता पूरण सिंह	स्वयं	54 वर्ष	1
		चिंताबाई पति ज्ञान सिंह	पत्नि	41 वर्ष	
		सौम्या पिता ज्ञान सिंह	पुत्री	6 वर्ष	
		सरजु बाई पति पूरण सिंह	माता	58 वर्ष	1
119	मेहरबान सिंह पिता हिम्मत सिंह	मेहरबान सिंह पिता हिम्मत सिंह	स्वयं	61 वर्ष	1
		कान्ता बाई पति मेहरबान सिंह	पत्नि	59 वर्ष	
		पुष्पेन्द्र सिंह पिता मेहरबान सिंह	पुत्र	26 वर्ष	1
		सीमा पति पुष्पेन्द्र सिंह	पुत्रवधु	23 वर्ष	
		हरेन्द्र सिंह पिता मेहरबान सिंह	पुत्र	25 वर्ष	
		पूजा पति हरेन्द्र सिंह	पुत्रवधु	26 वर्ष	
121/1	मांगीलाल पिता हरनाथ सिंह	मांगीलाल पिता हरनाथ सिंह	स्वयं	64 वर्ष	1
		सौरभ बाई पति मांगीलाल	पत्नि	66 वर्ष	
		सुनीता बाई पति	पत्नि	38 वर्ष	

		मांगीलाल			
		दशरथ सिंह पिता मांगीलाल	पुत्र	44 वर्ष	1
		देवन्द्र सिंह पिता दशरथ	पौत्र	13 वर्ष	
		सुरेन्द्र सिंह पिता मांगीलाल	पुत्र	44 वर्ष	
		सरिता पति सुरेन्द्र सिंह	पुत्रवधु	38 वर्ष	1
		लक्ष्मी पिता सुरेन्द्र	पौत्री	13 वर्ष	
		जोगेन्द्र सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह	पौत्र	10 वर्ष	
121/2	मानसिंह पिता हरनाथ सिंह	मानसिंह पिता हरनाथ सिंह	स्वयं	57 वर्ष	1
		मिठुबाई पति मानसिंह	पत्नि	51 वर्ष	
		विरेन्द्र पिता मानसिंह	पुत्र	22 वर्ष	1
		पूजा पति विरेन्द्र	पुत्रवधु	20 वर्ष	
124	फतेसिंह पिता उमराव सिंह	फतेसिंह पिता उमराव सिंह	स्वयं	67 वर्ष	1
		अयोध्या बाई पति फतेसिंह	पत्नि	66 वर्ष	
126	बाबूलाल पिता पूरण सिंह	बाबूलाल पिता पूरण सिंह	स्वयं	66 वर्ष	1
		कुन्ताबाई पति बाबूलाल	पत्नि	64 वर्ष	
		कमल पिता बाबूलाल	पुत्र	40 वर्ष	
		शोभा पति कमल	पुत्रवधु	38 वर्ष	1
		सरस्वती पिता कमल	पौत्री	8 वर्ष	
		माखनसिंह पिता बाबूलाल	पुत्र	41 वर्ष	1
127	गुलाबसिंह पिता पूरण सिंह	गुलाबसिंह पिता पूरण सिंह	स्वयं	50 वर्ष	1
		सुशीला बाई पति गुलाब सिंह	पत्नि	46 वर्ष	
		राजेन्द्र पिता गुलाब सिंह	पुत्र	25 वर्ष	
		शीतल पति राजेन्द्र	पुत्रवधु	18 वर्ष	1
		रोहित पिता गुलाब सिंह	पुत्र	22 वर्ष	1
128	सवाई सिंह पिता बाबूलाल	सवाई सिंह पिता बाबूलाल	स्वयं	37 वर्ष	
		उमा पति सवाई सिंह	पत्नि	35 वर्ष	1
		अमन पिता सवाई सिंह	पुत्र	14 वर्ष	

129	बद्रीलाल पिता पूरण सिंह	बद्रीलाल पिता पूरण सिंह	स्वयं	62 वर्ष	1
		कृष्णा पति बद्रीलाल	पत्नि	58 वर्ष	
		लोकेन्द्र पिता बद्रीलाल	पुत्र	33 वर्ष	1
		कविता पति लोकेन्द्र	पुत्रवधु	26 वर्ष	
		हिदांत पिता लोकेन्द्र	पौत्र	5 वर्ष	
		देवन्द्र पिता बद्रीलाल	पुत्र	29 वर्ष	
130	पीरू खां पिता रहीम खा	पीरू खां पिता रहीम खा	स्वयं	60 वर्ष	1
		जलील खां पिता पीरू खां	पुत्र	35 वर्ष	1

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील जावर के ग्राम कैशोपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 376/58/1 हे. भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 011/अ-3/एसी/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 08/12/2022 द्वारा कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित ग्राम कैशोपुर के पुनर्वास एवं विस्थापन हेतु आबादी भूमि आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुंबो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिश्नर भोपाल के पत्र क्रमांक 5939/23/राजस्व-2/19 भोपाल दिनांक 06/जुलाई/23 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
2. कंडिका-1 में वर्णित फायदो को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबो को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा।
3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुंबों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है।  
(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाये, व्यवस्था किया जाना।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय।

## या

(ग) वार्षिकी पॉलिसियां, जिनके द्वारा कृषक श्रमिकों के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जायेगा।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपये की सहायता प्राप्त करेगा।
7. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी।
8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपये पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा।
10. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम से होगा।  
अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जन समुदाय के पुर्नव्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधायें, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध करायी जाएंगी कि नये गांव या कालोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुये अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सडक और पक्की सडक, मार्ग से जुडी बारहमासी सडक और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था।
13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये।
14. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिये सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
15. पशु के लिये पेयजल व्यवस्था।
16. उचित मुल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।



17. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित हैं।
18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाहग्रह।
19. स्वच्छता के लिए सुविधायें जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।
20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर0 परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।
21. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी।
22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने पर उपस्वास्थ्य केन्द्र।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
25. बच्चों के लिये क्रीडा क्षेत्र।
26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
28. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये यदि आवश्यक हों।
29. मानकों के अनुसार पशुपालन संवा केन्द्र।
30. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील जावर के ग्राम कैशोपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 376/58/1 है। भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 011/अ-3/एसी/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 08/12/2022 द्वारा कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित ग्राम कैशोपुर के पुनर्वास एवं विस्थापन हेतु आबादी भूमि आवंटित की गई है।  
कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों द्वारा 20X40 वर्गफीट (900 वर्गफीट) के स्थान पर 30X50 वर्गफीट (1500 वर्गफीट) की मांग की गई। समिति अवगत हुई। उपरोक्तानुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को एक 30X50 वर्गफीट (1500 वर्गफीट) का आवासीय भूखण्ड मौजा कैशोपुर की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार प्रदान किया जावे। आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।
31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्धून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्धून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों का होगा।  
अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

1- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं- कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

3- अधिसूचना में प्रकाशित मकान/परिवार के सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी-वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र/अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता हैं या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधि अनुरूप ना हो तो निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग आष्टा के पास सुरक्षित रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी भीकनगांव,  
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. 698-भू-अर्जन-री-1-2024-रा.प्र.क्र.-बी-121-2023-24

भीकनगांव, दिनांक 7 फरवरी 2024

**:: संशोधित अधिसूचना ::**  
**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खोई, प.ह.नं.- 15, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में अक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- खोई, प.ह.नं.- 15	22/3	0.009
			23/3	0.010
			24/4/1	0.078
			24/4/2	0.051
			25/4/2	
			26/1	0.045

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- खोई, प.ह.नं.- 15	26/2	0.007
			37/3	0.041
			35/1	0.061
			32/5	0.038
			33/5	
			34/5	
			32/6/2	0.029
			31/2	0.048
			29/1	0.032
			30/1	
			44/3	0.024
			47	
			44/200/1	0.026
			176/1	0.060
			176/2	0.045
			176/5	0.021
			176/4	0.061
176/3	0.043			
177/2/1	0.090			
177/1				
कुल योग			20	0.819

क्र. 700-भू-अर्जन-री-1-2024-रा.प्र.क्र.-बी-121-2023-24

**:: संशोधित अधिसूचना ::**  
**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बुड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 व 43 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुन्देल प.ह.नं.-66, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सुन्देल प.ह.नं.-66,	591/1	0.063
			568	0.113
			563/1/2	0.007
			563/1/1	0.036
			550/3	0.058

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सुन्देल प.ह.नं.-66,	550/4	0.048
			552/1	0.058
			556/1	0.003
			555/1	0.109
			555/2	0.033
			526/1	0.041
			524/1	0.024
			520	0.041
			519/2/2	0.017
			519/2/1	0.039
			518/2	0.036
			518/1	0.044
			516/1/1	0.111
			516/5	0.127
			512/2	0.091
			298	0.061
			25/2	0.085
			224/7	0.018
			224/8	0.019
			224/9	0.018
			224/10	0.019
			224/11	0.012
			224/12	0.010
225/2/1	0.063			
225/3	0.006			
46/1/3	0.115			
46/2				
511/1	0.076			
512/3				

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सुन्देल प.ह.नं.-66,	46/1/2	0.076
			46/2	
			68/1	0.048
			68/2	0.040
			70	0.084
			72/1	0.030
			73/2	0.042
			73/3	0.025
			74/3	0.050
			73/4/1	0.009
			74/1/1	
			74/2/1	0.030
			111/1	0.103
			107	0.140
			108/2	0.024
			109	0.040
106/1	0.043			
106/2	0.017			
118/1	0.020			
<b>कुल योग</b>			<b>51</b>	<b>2.422</b>

बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2024

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम हिरणखेडी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम हिरणखेडी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	राधेश्याम पिता भंवरजी जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	45/2	0.569	0.569
	योग -	1	0.569	0.569
2	बापूलाल पिता प्यारेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	59/3/1/1	0.580	0.580
	योग -	1	0.580	0.580
3	लक्ष्मण पिता जगन्नाथ जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	59/3/2/1	0.196	0.196
		107/1/6	0.575	0.336
	योग -	2	0.771	0.532
4	शिवप्रसाद पिता जगन्नाथ जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	59/3/3/1	0.579	0.579
	योग -	1	0.579	0.579
5	किशनलाल पिता शंकरलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	64/8/1/1	0.547	0.054
	योग -	1	0.547	0.054

6	हरिनारायण पिता मूलचंद जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	64/8/2/1	0.662	0.104
	योग -	1	0.662	0.104
7	भारतसिंह पिता नन्नूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	107/1/5	0.850	0.507
	योग -	1	0.850	0.507
	महायोग -	8	4.558	2.925

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

## -: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०५/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०५/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सेवांस जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

## -: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सेवांस जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	मोजीलाल पिता जुगलकिशोर जाति बृजा हि. 1/2, राजलबाई पत्नि मोजीलाल जाति बृजा हि. 1/2 पता नि. ग्रा भूस्वामी	25/1/1	0.417	0.417
	<b>योग -</b>	<b>1</b>	<b>0.417</b>	<b>0.417</b>
2	यासीनखां पिता गफुरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25/2/2	0.751	0.751
	<b>योग -</b>	<b>1</b>	<b>0.751</b>	<b>0.751</b>
3	नबीबाई पुत्री कास्या पति जयराम जाति बृजा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25/7/2	0.632	0.120
	<b>योग -</b>	<b>1</b>	<b>0.632</b>	<b>0.120</b>
4	भेरुसिंह पिता नन्नूलाल जाति घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53/1/2/3	0.222	0.100
	<b>योग -</b>	<b>1</b>	<b>0.222</b>	<b>0.100</b>
	<b>महायोग -</b>	<b>4</b>	<b>2.022</b>	<b>1.388</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 412-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 8 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - कटिया

(घ) क्षेत्रफल- 0.9670 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	1	0.2160
2	2	0.0300
3	3	0.0470
4	5/2	0.0940
5	17/2	0.0090
6	18/2	0.1200
7	19	0.0320
8	22/2	0.0140
9	23	0.0760
10	24	0.0760
11	27	0.0140
12	29	0.0090
13	57	0.0100
14	59/1	0.0550
15	59/2	0.0550
16	59/3	0.0550
17	59/4	0.0550
	कुल योग :-	0.9670 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-07 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 413-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - गोबराव कला

(घ) क्षेत्रफल- 1.4670 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	275/1/1	0.0950
2	276/2	0.0050
3	277/1	0.0330
4	277/2	0.0970
5	277/3	0.1300
6	281/2	0.1930
7	281/3	0.0160
8	281/4	0.0260
9	280	0.1650
10	287	0.0030
11	288	0.0730
12	322/1	0.0440
13	322/2	0.0180
14	289	0.0840
15	291	0.0680
16	292/2	0.2550
17	304	0.0600
18	311/2	0.1020
19	311/3	
कुल योग :-		1.4670. हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-07 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 414-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - पिपरीकला

(घ) क्षेत्रफल- 6.5626 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
1	1890/1/2	0.0750
2	1890/5	0.8100
3	1891/1	0.0140
4	1895/1	0.2120
5	1898/1	0.1410
6	1899/1	0.0160
7	1901/1	0.0040
8	1901/2	0.0100
9	1902/1	0.1610
10	1902/2	0.0230
11	1912/1/1	0.1150
12	1912/1/2	0.1060
13	1912/2	0.0330
14	2050/1/1	0.0040
15	2050/1/2	0.0060
16	2051/1/1/1	0.0100
17	2051/1/2/1	0.0740
18	2051/1/2/2	0.0620
19	2049/1/1	0.1330
20	2049/1/2	0.0330
21	2048/1/1	0.0130
22	2042	0.0940
23	2046	0.0550
24	2044/1	0.0120
25	2045/1	0.0760
26	2045/2	0.0750
27	2037	0.1700
28	2032	0.0100
29	2031/2	0.2630
30	2030/2	0.0090
31	1652/2	0.0190

32	1652/3	0.0740
33	1652/4	0.0600
34	1649/1/1/1	0.0360
35	1650	0.0010
36	1648/1/1/1	0.0010
37	1544	0.0500
38	1543	0.0760
39	1531	0.0080
40	1532/2	0.0180
41	1525/1/1	0.0740
42	1525/1/2	0.0410
43	1525/1/3	0.0150
44	1525/2/1/1	0.0380
45	1525/2/1/2	0.0720
46	1524/1	0.0020
47	1526/1	0.0016
48	1006/1	0.0020
49	1005/1/1	0.0100
50	1005/1/2	0.0740
51	1005/2/1	0.0740
52	1005/2/2	0.0750
53	929/2	0.0850
54	1001	0.0120
55	1002	0.0700
56	1003	0.0900
57	1021	0.0090
58	1022	0.2780
59	1023	0.0010
60	1024/1	0.0850
61	1033/1	0.0660
62	1033/2/3	0.0470
63	1032	0.0660
64	1031/1	0.1030
65	1039/1	0.0170
66	1055	0.0120
67	1056	0.0080
68	1058	0.0380
69	1115	0.0170
70	1116	0.0220
71	1134	0.0240
72	1135	0.0760
73	1106/1	0.0020
74	1142/1	0.0540
75	1143	0.0200

76	1144/1/1	0.0100
77	1144/1/2	0.0060
78	1144/2	0.0120
79	1145	0.0270
80	1146/1	0.0230
81	1146/2	0.0200
82	1147	0.0260
83	1148/2	0.0160
84	1149	0.0700
85	1171/1	0.0360
86	1171/2	0.0360
87	1172	0.0130
88	649/3	0.0090
89	650/1	0.2020
90	650/2	0.1430
91	650/3	0.1380
92	651/2	0.1510
93	652/2	0.1230
94	639/2/1	0.0040
95	639/2/2	0.0090
96	639/2/3	0.0050
97	638/2	0.2800
98	642	0.0540
99	637/2	0.0140
100	640/1/1	0.1500
101	640/2/1	0.0080
102	640/2/6	0.0040
103	640/2/7	0.0040
104	640/2/8	0.0040
105	609/1/2	0.1230
	कुल योग :-	6.5626 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-07 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 415-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)  
 (क) जिला -सतना  
 (ख) तहसील- उचेहरा  
 (ग) नगर /ग्राम - खूझा  
 (घ) क्षेत्रफल- 2.8890 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	302/1	0.0770
2	302/2	0.0290
3	306/1	0.0450
4	306/2/1	0.1170
5	306/2/2	0.0210
6	306/2/3	0.0840
7	339	0.0740
8	340	0.0250
9	337	0.0210
10	341/1/1	0.0160
11	341/1/2	0.0170
12	341/2	0.0030
13	303/1	0.0680
14	303/2	0.0430
15	332	0.0020
16	350	0.1570
17	351	0.0220
18	349	0.0100
19	352	0.0520
20	353/1/1/3	0.0050
21	353/1/1/4	0.0050

22	353/1/2	0.0100
23	353/2	0.0100
24	354/1/3	0.0400
25	354/1/1/4	0.0020
26	554	0.3720
27	553	0.0320
28	517/1	0.0010
29	552	0.0230
30	551	0.0110
31	518	0.0760
32	519/1	0.0680
33	519/2	0.0200
34	504	0.0180
35	503/1	0.0770
36	503/2	0.0420
37	505/2	0.0110
38	502/2	0.0220
39	491	0.0030
40	492/1	0.0680
41	492/2	0.0370
42	488	0.0940
43	487	0.0010
44	485	0.0280
45	486	0.0880
46	482/1	0.0250
47	482/2	0.1030
48	481/1	0.0250
49	483	0.0100
50	432/3	0.0010
51	630/1	0.0230
52	630/2	0.0210
53	631/1/1/1	0.0100
54	631/1/1/2	0.0520
55	631/1/2	0.0310
56	631/2	0.0210
57	631/3	0.0210
58	634	0.0360
59	635	0.0360
60	639/1/1	0.0020
61	639/1/2	0.0990
62	636	0.0340
63	629/2	0.0150
64	637/1/1	0.0640
65	637/1/2	0.0660
66	637/1/3	0.0800
67	637/2	0.0670
	<b>कुल योग :-</b>	<b>2.8890 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 416-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला --सतना  
(ख) तहसील-- उचेहरा  
(ग) नगर /ग्राम -- बंदरहा  
(घ) क्षेत्रफल-- 1.0070 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	715/1/2	0.0110
2	715/2	0.0500
3	719	0.1030
4	720/1	0.0380
5	724	0.0800
6	725	0.1600
7	733	0.0420
8	734	0.0700
9	782	0.0940
10	781	0.0370
11	790	0.0020
12	791	0.0220
13	798	0.0450
14	799	0.0100
15	797	0.0100
16	800	0.0450
17	801	0.0260
18	802	0.0660
19	803	0.0030
20	805	0.0080
21	806	0.0850
	<b>कुल योग :-</b>	<b>1.0070हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की खूझा माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।



क्र. 417-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना  
 (ख) तहसील- उचेहरा  
 (ग) नगर /ग्राम - अकही  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.4320 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	477/1/1	0.1230
2	477/1/2	0.1020
3	461/1	0.0080
4	462/2	0.0170
5	463	0.1820
	<b>कुल योग :-</b>	<b>0.4320 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-07 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर एवं मतरी माइनर नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 418-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना  
 (ख) तहसील- उचेहरा  
 (ग) नगर /ग्राम - देवार  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.6010 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	879/2/2	0.0330
2	879/2/3	0.0150
3	916	0.2800
4	1099	0.0180
5	1100	0.0050
6	919/1	0.1480
7	919/2	0.0890
8	1097	0.0130
	<b>कुल योग :-</b>	<b>0.6010 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-07 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 01-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 12 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - नादन टोला

(घ) क्षेत्रफल- 9.431 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	598	0.846
2	590	0.044
3	596	0.077
4	597	0.890
5	595	0.890
6	594	0.070
7	599	0.038
8	617	0.553
9	618/1	0.008
10	619/1	0.016
11	616	0.059
12	608/2	0.042
13	609	0.020
14	612	0.856
15	611/1	0.021
16	708/1	0.050
17	708/2	0.024
18	708/3	0.005
19	709/1	0.135
20	709/2	0.257
21	709/3	0.225
22	708/1644	0.583
23	708/1645	0.172
24	708/1646/2	0.172
25	708/1647/2	0.003
26	1513/1	0.060
27	1512/2	0.070
28	1511/1	0.004
29	1511/2	0.547
30	1512/1	0.002
31	1521	0.509
32	1522/1	0.230
33	1522/2	0.206

34	1502/1	0.021
35	1524/1	0.318
36	1501/1	0.081
37	1501/3	0.044
38	1500/1	0.060
39	1500/3	0.190
40	1500/2/1	0.125
41	1501/2	0.022
42	1496/1	0.015
43	1497/1	0.194
44	1497/2	0.150
45	1497/3	0.187
46	1497/4	0.065
47	1489/1	0.057
48	1489/2	0.003
49	1491	0.025
50	1488/1	0.083
51	1490	0.107
	<b>कुल योग :-</b>	<b>9.431 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 02-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -मैहर
- (ख) तहसील- अमरपाटन
- (ग) नगर /ग्राम - पडहा
- (घ) क्षेत्रफल- 5.278 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	178/1/1	0.183
2	178/1/2	0.737
3	178/2	0.013
4	179	0.017
5	185/1	0.205
6	185/2	0.079
7	187/1/2	0.178
8	187/2	0.104
9	187/3	0.195
10	174/2/2/1	0.008
11	172/2	0.008
12	40/1/1/1	0.072
13	40/1/2	0.006
14	43/1/1/1	0.035
15	43/1/1/2	0.060
16	43/1/1/3	0.088
17	30/2	0.309
18	29/1	0.186
19	29/2	0.040
20	28	0.030
21	27	0.054
22	26	0.624
23	25	0.001
24	52/2	0.018
25	53	0.008
26	54	0.169
27	56	0.028
28	60/1	0.250
29	60/2	0.525
30	60/3	0.260
31	60/4	0.230
32	76/1	0.040
33	76/2	0.020
34	74	0.004
35	72	0.056
36	89	0.013
37	88/1	0.425
	<b>कुल योग :-</b>	<b>5.278 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 03-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - मौहरिया लालन

(घ) क्षेत्रफल- 0.7095 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	12	0.0360
2	13	0.0400
3	15	0.1780
4	16	0.1630
5	17	0.0210
6	14/1	0.2163
7	14/2/2	0.0552
निजी खाता भूमि योग रकबा - 0.7095 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 04-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - बर्रह अकठाटोला

(घ) क्षेत्रफल- 2.295 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	73	0.072
2	72	0.776
3	70	0.048
4	68	0.485
5	69	0.054
6	77/1	0.037
7	77/2	0.037
8	76/1	0.002
9	76/2	0.136
10	76/3	0.247
11	76/4/1	0.003
12	75/1	0.012
13	75/2	0.037
14	74/1	0.143
15	74/2	0.206
	कुल योग :-	2.295 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 05-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - बारी

(घ) क्षेत्रफल- 12.274 हे०

क्र.	आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा
1	2	3
1	274/2	0.053
2	253/1/1	0.320
3	253/1/2	0.941
4	253/1/4	0.247
5	253/1/7/2	0.245
6	252/1	0.002
7	255/1/4	0.230
8	255/1/5	0.028
9	255/2	0.678
10	257/1	0.268
11	257/2	0.268
12	258/1/1	0.497
13	258/2	0.073
14	246/1/1	0.116
15	246/1/2	0.021
16	246/2	0.060
17	245/1/1	0.055
18	245/1/2	0.207
19	245/1/3	0.160
20	245/2	0.198
21	244/2	0.014
22	233	0.001
23	234/1	0.089



24	234/2	0.104
25	227/1	0.059
26	227/511/1	0.053
27	227/511/2	0.053
28	227/511/3	0.045
29	237	0.046
30	236	0.001
31	238/1	0.053
32	238/2	0.053
33	238/3	0.049
34	239/1	0.026
35	239/2	0.077
36	239/3	0.008
37	226/1	0.006
38	221/510/1	0.049
39	221/510/2	0.026
40	220/2/2	0.001
41	221/1/1	0.004
42	221/1/2	0.030
43	221/1/3	0.081
44	221/2	0.029
45	221/3	0.030
46	221/4	0.022
47	221/5	0.020
48	221/6	0.020
49	222/1/2	0.186
50	222/2/1	0.130
51	222/2/2	0.177
52	223/1/2	0.004
53	223/2/2	0.060
54	223/2/3	0.048
55	192	0.972
56	187/1/1	0.026
57	187/1/2	0.027
58	187/1/3	0.025
59	187/2/1	0.031
60	187/2/2	0.012

61	188/1	0.374
62	188/2	0.085
63	171	0.011
64	170	0.148
65	189/2/1	0.162
66	168	0.130
67	159	0.040
68	167	0.151
69	163/2	0.017
70	87/1	0.017
71	165/1/2	0.018
72	165/1/3	0.007
73	161/2	0.134
74	160/1	0.020
75	160/2	0.020
76	158	0.071
77	157/1	0.076
78	157/2	0.129
79	156/1	0.098
80	156/2	0.135
81	152/2	0.009
82	153/2	0.038
83	155/1	0.063
84	154/1	0.051
85	154/2	0.027
86	154/3	0.075
87	134/1	0.029
88	134/2	0.182
89	134/3	0.198
90	131/507/1	0.057
91	131/507/2	0.022
92	130/2	0.004
93	131	0.089
94	132/1/1	0.020
95	132/1/2	0.032
96	132/1/3	0.006
97	132/2	0.004

98	132/3	0.016
99	121/1	0.055
100	121/2	0.069
101	120/2	0.012
102	122/1	0.077
103	122/2	0.081
104	130/505/1	0.040
105	123/1/1	0.024
106	123/2	0.063
107	124	0.156
108	118	0.212
109	125/1	0.004
110	125/2	0.002
111	125/3	0.002
112	117	0.145
113	115/2	0.218
114	114/1	0.198
115	114/2	0.096
116	107/1	0.012
117	108/3	0.075
118	109/1	0.123
119	109/2	0.174
120	110/1/2	0.017
121	110/2/1	0.076
122	110/2/2	0.163
123	105/2	0.001
	कुल रकबा	12.274

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 06-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर  
(ख) तहसील- अमरपाटन  
(ग) नगर /ग्राम - जुड़मनिया  
(घ) क्षेत्रफल- 6.790 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. मी)
1	125	0.101
2	126/1	0.006
3	126/2/1	0.026
4	126/2/2	0.027
5	127	0.190
6	135	0.065
7	136/1	0.067
8	136/2	0.008
9	137	0.013
10	134	0.092
11	129	0.001
12	146	0.008
13	133	0.129
14	132	0.077
15	282/3	0.004
16	147	0.062
17	148	0.093
18	149	0.043
19	154	0.057
20	155	0.101
21	152	0.002
22	153	0.057
23	158	0.258
24	159/1/1	0.019
25	159/1/2	0.034
26	159/1/3	0.052
27	159/2	0.010
28	166	0.269
29	167	0.123
30	165/1/1	0.064
31	165/1/2	0.060
32	165/1/3	0.008
33	165/2/1	0.060

34	165/2/2	0.026
35	165/2/3	0.082
36	164	0.120
37	200	0.045
38	201	0.236
39	102/1	0.022
40	202	0.001
41	101	0.446
42	99/1	0.045
43	99/2	0.045
44	100/1	0.094
45	100/2	0.073
46	97	0.209
47	98	0.107
48	94	0.246
49	93/1	0.020
50	93/2	0.030
51	77	0.020
52	78	0.322
53	81/1	0.093
54	81/2	0.036
55	81/3	0.093
56	82/1	0.112
57	82/2	0.046
58	83	0.011
59	84	0.035
60	85	0.098
61	86	0.135
62	87	0.084
63	88	0.089
64	89/2	0.130
65	89/3	0.182
66	90	0.046
67	37	0.005
68	38/1	0.104
69	38/2	0.073
70	38/3	0.050
71	31/1/1	0.188
72	31/1/2	0.314
73	31/2	0.262
74	31/3/1	0.088
75	31/3/2	0.088
76	31/4	0.053
	<b>कुल योग :-</b>	<b>6.790 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 07-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर  
(ख) तहसील- अमरपाटन  
(ग) नगर /ग्राम - सरवका  
(घ) क्षेत्रफल- 6.997 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	656	0.081
2	655	0.120
3	653	0.032
4	652	0.132
5	657	0.023
6	642/1	0.519
7	642/2/2	0.065
8	654	0.008
9	658/1	0.004
10	668/2	0.008
11	641/1/1	0.040
12	641/1/2	0.036
13	641/2	0.257
14	669/1	0.006
15	632	0.026
16	633	0.047
17	635	0.035
18	634	0.059
19	631	0.043
20	627	0.185
21	630	0.081
22	629	0.032
23	626	0.231
24	626/723	0.013
25	672/2	0.012
26	675	0.006
27	625	0.150
28	622	0.005
29	676	0.017
30	677	0.020
31	679	0.005
32	558	0.204
33	559	0.001
34	519	0.065
35	557	0.147
36	520	0.199
37	518/2	0.034

38	516	0.054
39	513	0.024
40	512/1/2	0.077
41	512/2/1	0.040
42	512/2/2	0.020
43	512/3	0.115
44	521	0.073
45	522/1/1	0.038
46	511/1	0.235
47	511/2	0.012
48	509/1	0.056
49	490/2/1	0.032
50	490/3/1	0.040
51	490/3/2	0.040
52	490/5/1	0.049
53	490/5/2	0.020
54	458/1	0.123
55	458/2	0.136
56	457	0.432
57	455/1	0.008
58	454/2	0.102
59	453/1	0.253
60	453/2/2	0.206
61	446/1	0.170
62	446/2	0.170
63	445	0.040
64	443	0.353
65	442	0.033
66	131	0.302
67	129	0.045
68	128	0.346
69	126	0.015
70	121/1	0.147
71	121/2	0.120
72	121/730	0.084
73	119/2	0.039
कुल योग :-		6.997 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 08-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - खरमसेडा

(घ) क्षेत्रफल- 22.961 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	174/1	0.130
2	175/1	0.041
3	172/1	0.155
4	176	0.009
5	177/1/1	0.444
6	177/1/2	
7	177/2	
8	177/3	
9	170/1	0.205
10	170/2	
11	170/3	
12	163/1	0.152
13	163/2	0.034
14	3180/163	0.130
15	164	0.723
16	160/8	0.020
17	159/8	0.004
18	165/1	0.060
19	165/2	0.219
20	166/1	0.332
21	166/2	
22	158/2	0.065
23	157/2	0.104
24	212	0.105
25	211	0.018
26	213	0.129
27	214	0.065
28	215	0.729
29	208/1	0.077



30	216/1	0.100	
31	216/3		
32	216/4		
33	216/5		
34	217/2	1.241	
35	217/3		
36	217/4		
37	217/5		
38	207		
39	285/1	0.035	
40	285/2	0.043	
41	284/1	0.011	
42	297/1/1	0.217	
43	297/1/2		
44	297/1/3		
45	297/1/4		
46	297/1/6		
47	297/2/1		
48	297/2/2		
49	297/2/3		
50	155/1		0.022
51	156		0.027
52	286/1	0.047	
53	286/2	0.350	
54	287	0.119	
55	294	0.064	
56	288	0.154	
57	289/1	0.221	
58	289/2	0.239	
59	290/1	0.041	
60	290/2	0.050	
61	291	0.069	
62	292	0.088	
63	334/1/1	0.265	
64	335	0.291	
65	336/1	0.170	
66	336/1/2		
67	336/2/1		
68	336/2/2		
69	336/2/3		
70	331	0.199	
71	339	0.328	
72	337/2/2/2	0.182	
73	330	0.064	
74	340	0.312	
75	341/1	0.087	
76	341/2	0.087	
77	342	0.093	
78	326	0.163	

79	325	0.370
80	343/1/1	0.627
81	343/1/2	
82	343/2/1	
83	343/2/2	
84	319	0.340
85	318	0.122
86	629	0.222
87	628	0.322
88	621/1	0.017
89	621/2	0.154
90	621/3	0.154
91	404	0.760
92	401/2	0.083
93	346	0.231
94	344	0.063
95	345	0.164
96	620	0.109
97	407	0.343
98	408/1/2	0.402
99	408/1/3	
100	408/2	
101	609	0.125
102	610/2	0.207
103	611	0.029
104	603	0.006
105	605/1	0.180
106	605/2	0.333
107	604/1	0.442
108	595/1/1/1	0.262
109	595/1/1/2	0.052
110	594	0.175
111	490/2/1	0.044
112	490/2/2	0.188
113	494/1/1/1	0.092
114	494/1/1/2	0.054
115	494/1/2	0.115
116	494/1/3	0.115
117	494/2	0.138
118	504/1	0.048
119	504/2	0.255
120	504/3	0.130
121	501/1	0.227
122	503/1	0.002
123	502/2	0.002
124	554/1	0.113
125	554/2	0.226
126	554/3	0.105
127	558/1	0.077
128	560/1/1	0.052

129	556	0.060	
130	557	0.029	
131	559/1/1	0.051	
132	559/1/2	0.049	
133	550	0.313	
134	487	0.102	
135	486/1	0.247	
136	486/2	0.178	
137	488/1	0.717	
138	488/2		
139	480	0.018	
140	489/1	0.032	
141	489/2		
142	476/2/1	0.013	
143	476/2/2	0.014	
144	476/2/3	0.027	
145	477/1/1/1/2/2	0.136	
146	477/1/1/1/2/3	0.319	
147	474/1/1	0.736	
148	474/1/2		
149	474/2/1		
150	474/2/2		
151	474/2/3/1		
152	474/2/3/2		
153	472		0.024
154	473		0.160
155	471/1	0.055	
156	471/2	0.046	
157	466/1	0.540	
158	466/2		
159	466/3		
160	465/1/1	0.027	
161	465/1/2		
162	465/2/1		
163	465/2/2		
164	465/2/3		
165	465/2/4	0.025	
166	464/1/1		
167	464/1/2		
168	464/2/1		
169	464/2/2		
170	464/2/3		
171	464/2/4	0.200	
172	467/1/1		
173	467/1/2		
174	467/2/1		
175	467/2/2		
176	467/2/3		
177	467/2/4		
178	491/1/1	0.018	

179	491/1/2	0.044
180	463/1	0.014
181	463/2	0.013
182	463/3	0.013
183	462/1	0.098
184	462/2	0.058
185	462/3	0.038
186	405/3/3	0.210
187	406/1	0.268
188	3172/608	0.462
189	468	0.001
	<b>कुल योग :-</b>	<b>22.961 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 09-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला - मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - सिरमिली

(घ) क्षेत्रफल- 1.7430 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	6/2	0.1070
2	5/4	0.0560
3	5/3	0.0220
4	4/3	0.0340
5	4/2	0.0630
6	7/1/1	0.0140
7	7/1/2	0.0140
8	7/1/3	0.0140
9	9/3	0.0310
10	9/1/2	0.0110

11	9/1/3	0.0110
12	9/1/1	0.0110
13	12/1/3	0.0250
14	12/1/1	0.0430
15	12/1/2	0.0510
16	12/2	0.0600
17	13/2	0.0540
18	17/1	0.2130
19	20/3	0.0670
20	30/2	0.0520
21	32/2	0.0060
22	32/1	0.2120
23	57/1/1	0.0850
24	57/1/2	0.1430
25	118/5	0.1380
26	118/4	0.1580
27	131/1	0.0210
28	21/3	0.0240
29	18	0.0030
निजी खाता भूमि योग रकवा - 1.7430 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका एवं नरौरा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 10-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के द (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - ककरा

(घ) क्षेत्रफल- 18.140 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	233/1/1	0.151
2	233/1/2	0.072
3	233/2	0.116
4	234/2	0.040
5	234/1477/1	0.683
6	234/1477/2/1	0.024
7	215/3/1	0.006
8	215/3/2	0.229
9	215/5	0.323
10	216	0.349
11	218	0.160
12	217	0.010
13	143	0.049
14	144	1.172
15	148	0.179
16	147	0.149
17	149	0.015
18	151	0.014
19	140/1	0.367
20	156/4/1	0.113
21	156/4/2	0.584
22	137/1	0.276
23	131	0.566
24	134/1	0.072
25	133/2	0.045
26	133/6	0.005
27	133/7	0.012
28	132/1/1	0.423
29	132/1/3	0.290
30	119/4/1	0.068
31	119/4/3	0.043
32	84/1/1	1.131
33	87/1	0.445
34	86/2/1/1	0.131
35	86/2/1/2	0.411

36	100	0.142
37	61/1/1	0.256
38	61/1/2	0.123
39	61/2/2	0.093
40	62/2	0.417
41	58/3	0.005
42	27	0.002
43	23	0.584
44	24	0.075
45	21/2	0.140
46	21/3	0.045
47	334/1	0.033
48	332	0.100
49	333/1	0.024
50	333/2/1	0.008
51	333/2/2	0.004
52	326/1	0.055
53	328/1	0.132
54	328/2/1	0.085
55	328/2/2	0.083
56	328/2/3/2	0.030
57	358/1	0.030
58	358/2	0.085
59	358/3	0.110
60	359/1/1	0.104
61	359/1/2	0.118
62	359/1/3	0.080
63	359/2	0.209
64	357/1	0.040
65	360/1	0.913
66	355/1	0.004
67	355/2	0.117
68	353	0.036
69	377	0.043
70	378	0.326
71	376/1	0.040
72	376/2	0.110
73	375/1	0.026
74	379/1	0.129
75	379/2	0.177
76	380	0.083
77	381	0.059
78	382/1/1/2	0.046
79	383/1/1	0.238
80	383/1/2/1	0.097
81	383/1/3/1	0.098
82	384/2/1	0.006
83	437/1	0.120
84	436/1/1	0.054
85	434/1	0.066
86	435/1	0.059

87	435/2	0.059
88	438/1	0.085
89	438/2	0.001
90	433/2	0.132
91	432/1	0.068
92	432/2	0.030
93	432/4	0.069
94	431	0.141
95	430	0.096
96	429	0.185
97	428	0.146
98	420	0.034
99	421/1	0.011
100	419/1/1	0.046
101	419/1/2	0.046
102	419/2	0.086
103	419/3/1	0.069
104	419/3/2	0.056
105	419/4	0.105
106	417/3	0.031
107	414/1	0.071
108	414/2	0.105
109	414/3	0.085
110	415/1	0.012
111	415/2	0.046
112	415/3	0.081
113	412/1	0.081
114	412/2	0.006
115	412/3	0.010
116	410	0.140
117	411	0.081
118	753/1479/2/1	0.004
119	754	0.379
120	756	0.001
121	755	0.042
122	142/1	0.194
123	59	0.524
	<b>कुल योग :-</b>	<b>18.140 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।



क्र. 11-भू-अर्जन-2024

भू-अर्जन प्र0क्र0 11 अ82/23-24 पत्र क्र0...../भू-अर्जन/24 दि0 12/02/2024  
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
मैहर	अमरपाटन	उमराही बिहारीराम	4.7432 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा सब ब्रांच कैनाल नं-2 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 12-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - मौहरिया केसई

(घ) क्षेत्रफल- 0.5300 हे0

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	154/1	0.0080
2	155/1	0.2600
3	155/2	0.0420
4	156	0.1680
5	157/1/3	0.0470
6	159	0.0050

निजी खाता भूमि योग रकबा - 0.5300 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 13-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - लालपुर

(घ) क्षेत्रफल- 7.040 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	1178/2/4	0.018
2	1177/2	0.476
3	1175/1	0.236
4	1175/2	0.327
5	1170	0.041
6	1166	1.559
7	1165	0.044
8	1162/2	0.186
9	947/1/2	0.440
10	947/2	0.204
11	947/3/1	0.220
12	947/4	0.025
13	949/2	0.114
14	950/1/3	0.155
15	951/2	0.019
16	967/1	0.101
17	967/2	0.300
18	967/3	0.342
19	966/1	0.019
20	965/1/1	0.115
21	965/1/2	0.007
22	965/2/1	0.250
23	965/2/2	0.204
24	964/1	0.053
25	963/3	0.002
26	980	0.290
27	981/1	0.015
28	981/2	0.015
29	982/1	0.128
30	982/2	0.492
31	983/1	0.016
32	983/2	0.073
33	984	0.209
34	1027/3	0.032
35	1028/3	0.129
36	1175/1248	0.184
	<b>कुल योग :-</b>	<b>7.040 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 14-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर  
 (ख) तहसील- अमरपाटन  
 (ग) नगर /ग्राम - सुआ  
 (घ) क्षेत्रफल- 8.800 हे०

क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा
1	3	5
1	639/1	0.303
2	639/2/1	0.186
3	633/1/1	0.002
4	638/1	0.058
5	646/1	0.011
6	637/1/1	0.063
7	647/1	0.217
8	648/1	0.214
9	648/2	0.068
10	649/1	0.250
11	650	0.026
12	616/1/1	0.168
13	616/1/2/2	0.046
14	616/1/4	0.085
15	616/2/1	0.044
16	616/2/2	0.043
17	616/2/3	0.048
18	615/1/2/2	0.009
19	615/1/4	0.008
20	614/1	0.162
21	614/2	0.145
22	614/3	0.133
23	617	0.046

24	618	0.040
25	113/1/1	0.092
26	113/1/3	0.072
27	113/1/4	0.200
28	113/2/1	0.038
29	113/2/2	0.104
30	113/2/3	0.100
31	114/2/1	0.009
32	112/1	0.048
33	111/1	0.228
34	111/2/1	0.136
35	111/2/2	0.137
36	143	0.024
37	142/2	0.051
38	150/787	0.060
39	150	0.771
40	91/1/1	0.074
41	91/1/2	0.121
42	91/2/2	0.124
43	91/2/3	0.053
44	91/3/1	0.084
45	91/3/2	0.067
46	90/2/2	0.030
47	90/3/1	0.031
48	89/1/1	0.049
49	89/1/2	0.052
50	89/1/3	0.053
51	89/2/2	0.003
52	85/2	0.022
53	88/1/1	0.014
54	88/1/2	0.010
55	86/1/1	0.002
56	86/1/2	0.564
57	87/1/2	0.018
58	198	0.621
59	199	0.029
60	42/1/2	0.346
61	42/2/1	0.241
62	42/2/2	0.097

63	41/1	0.024
64	41/2/1	0.008
65	43	0.032
66	45/1	0.013
67	46/1/1/1/1	0.003
68	40/785/1	0.059
69	39/2	0.014
70	44/1	0.085
71	44/3	0.089
72	38/1	0.183
73	38/2	0.183
74	37	0.363
75	36	0.075
76	31/1	0.030
77	31/2	0.084
78	32/2	0.019
79	35	0.039
80	33	0.326
81	34	0.021
	<b>कुल रकबा</b>	<b>8.800</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 15-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - परसवाही

(घ) क्षेत्रफल- 6.497 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. मे)
1	423	0.040
2	363/1	0.008
3	363/3/1	0.015
4	363/3/2	0.008
5	362/1	0.164
6	362/2	0.164
7	362/3	0.163
8	364	0.019
9	416/1	0.482
10	416/2	0.002
11	365/1/1	0.101
12	365/1/2	0.056
13	415/1	0.065
14	415/2	0.193
15	414	0.065
16	412/1/1	0.065
17	412/1/2	0.184
18	411/1	0.014
19	411/2/1	0.037
20	411/2/2	0.052
21	411/2/3	0.018
22	410	0.225
23	409/1	0.142
24	409/2	0.153
25	409/3	0.154
26	456/3	0.010
27	457/1	0.117
28	408/2	0.173
29	458	0.489
30	503/907/1	0.182
31	503/907/2	0.182
32	503/1	0.512
33	503/2	0.512

34	502/1	0.015
35	502/2	0.015
36	501/1	0.049
37	571/2/1	0.076
38	537	0.421
39	538	0.057
40	566/2/3	0.095
41	564/1/1	0.008
42	564/1/2	0.008
43	564/2	0.016
44	562/1	0.012
45	562/2/1/1	0.003
46	562/2/1/2	0.003
47	562/2/2	0.003
48	561/1	0.077
49	561/2/1	0.118
50	561/2/2/1/1	0.033
51	561/2/2/1/2	0.037
52	561/2/2/2	0.073
53	551	0.046
54	550/1/1	0.051
55	550/1/2	0.050
56	549/1/1	0.143
57	549/1/2	0.144
58	548/1/1	0.011
59	548/1/2	0.011
60	547	0.158
	<b>कुल योग :-</b>	<b>6.497 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 16-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - खोधरा

(घ) क्षेत्रफल- 3.0280 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	147	0.1350
2	159/1	0.0170
3	159/2	0.1180
4	160/1	0.0110
5	160/2	0.0200
6	166	0.0180
7	167	0.1170
8	185/1	0.0020
9	186/2	0.0590
10	186/3	0.1650
11	187	0.0110
12	190	0.0420
13	195	0.2600
14	196	0.0040
15	197	0.0950
16	200	0.0410
17	201	0.0980
18	205	0.0210
19	206	0.1370
20	280/2	0.1660
21	293/1	0.0480
22	293/2	0.1280



23	309/1/2	0.1830
24	309/2	0.1830
25	309/3/1	0.0140
26	309/3/2	0.0140
27	309/3/3	0.0130
28	310/1	0.0140
29	312/1/1/1	0.0520
30	312/1/1/2	0.1050
31	312/2/2/2	0.0600
32	313/1/1/2	0.0080
33	322	0.0110
34	323	0.0260
35	149/1	0.1020
36	149/2	0.0400
37	311/2	0.2460
38	165	0.0050
39	168/1	0.1500
40	168/3	0.0890
निजी खाता भूमि योग रकवा -- 3.0280 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत नरौरा वितरिका एवं नरौरा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 17-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - मूडी

(घ) क्षेत्रफल- 4.167 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे)
1	50/1	0.041
2	60/1	0.089
3	60/2	0.527
4	64/1	0.056
5	64/2	0.035
6	64/3	0.056
7	74/1	0.141
8	20/1	0.010
9	20/2	0.468
10	77/2	0.012
11	79/1	0.013
12	79/3	0.006
13	80/1	0.084
14	80/2	0.262
15	80/3	0.523
16	81/2/1	0.065
17	81/2/4	0.015
18	81/2/5	0.084
19	109/2/1	0.271
20	109/2/2	0.418
21	109/2/3	0.366
22	110/2	0.176
23	107/1	0.032
24	107/3	0.209
25	107/4	0.208
	<b>कुल योग रकवा-</b>	<b>4.167 हे.</b>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 18-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 24 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - सिलौटी

(घ) क्षेत्रफल- 3.5409 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	234/1	0.0140
2	146/2/2	0.0360
3	146/1/2	0.0140
4	146/1/1	0.0290
5	94	0.1270
6	110/1	0.2050
7	96/2	0.1800
8	61	0.0250
9	60	0.0484
10	59	0.0416
11	83	0.0599
12	82	0.0310
13	81	0.0200
14	78	0.0030
15	80	0.0290
16	68	0.0580
17	67	0.0650
18	65	0.0020
19	64	0.0380
20	49/1	0.0670
21	49/2	0.0220
22	48/2	0.0140

23	48/1	0.0390
24	47/1	0.0300
25	45/4	0.0480
26	45/3	0.0060
27	45/2	0.0360
28	34/1	0.0370
29	33/2	0.0970
30	33/1/1	0.0970
31	31/2	0.0020
32	31/1/2	0.0040
33	27/2	0.1690
34	27/1	0.1920
35	26/2	0.0020
36	26/1	0.1840
37	20	0.1400
38	19/2/3	0.0680
39	19/1	0.0240
40	16/2	0.0120
41	16/1/3	0.0190
42	16/1/1	0.0800
43	14	0.0890
44	15/2	0.0630
45	15/1	0.0730
46	13/2	0.0170
47	11	0.0890
48	10	0.0730
49	57	0.0720
50	54/2/2	0.3860
51	7/2	0.0020
52	36/1/2	0.0030
53	359	0.1160
54	358	0.0050
55	357	0.0330

56	356	0.0330
57	72	0.0040
58	58	0.0030
59	85	0.0210
60	86	0.0180
61	146/2/1	0.0260
निजी खाता भूमि योग रकवा - 3.5409 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत नरौरा सब माइनर, सिलौटी माइनर एवं सिलौटी सब माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 19-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला - मैहर  
(ख) तहसील- मैहर  
(ग) नगर / ग्राम - भेड़ा  
(घ) क्षेत्रफल- 0.5400 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकवा
1	2051/2/2	0.0040
2	2050	0.0030
3	2049/2/1/1	0.0110
4	2049/2/1/2	0.0110
5	2048/1/2/2	0.0570
6	2048/1/2/1	0.0770
7	2048/2/2	0.0100
8	2047/1/1	0.1470
9	2047/2/1	0.1400
10	2046/1	0.0140
11	2045/1/2	0.0660
निजी खाता भूमि योग रकवा - 0.5400 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत नरौरा वितरिका की सिलौटी माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 20-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर  
(ख) तहसील- मैहर  
(ग) नगर /ग्राम - तमोरिया  
(घ) क्षेत्रफल- 1.9400 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	154	0.0020
2	155	0.1900
3	156	0.1340
4	160	0.1880
5	161	0.0010
6	172	0.0150
7	173	0.1400
8	170	0.0070
9	171/1	0.2070
10	171/2	0.0120
11	196/2	0.0700
12	209/1	0.1660
13	209/2	0.1560
14	210/3	0.0040
15	205/1	0.0090
16	206	0.0980
17	207	0.1600
18	210/3	0.0040
19	250/1	0.3770
निजी खाता भूमि योग रकबा - 1.9400 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत जरमोहरा वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 21-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - दुबेही

(घ) क्षेत्रफल- 4.886 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे)
1	185/1	0.079
2	185/2	0.079
3	185/3	0.078
4	186/1	0.042
5	186/2	0.041
6	186/3	0.042
7	187	0.274
8	192/2	0.021
9	193/2	0.100
10	190	0.021
11	191	0.052
12	189	0.172
13	326	0.644
14	215/3/1	0.001
15	215/3/2	0.001
16	215/4	0.019
17	215/5	0.046
18	325/1/4/2	0.099
19	325/1/7	0.100
20	325/1/8	0.100
21	325/1/9/1	0.100
22	325/1/9/2/1	0.099
23	325/1/9/2/2	0.099
24	325/1/9/2/3	0.100
25	325/1/10	0.100
26	330/1	0.454
27	330/2	0.397
28	331/1	0.066
29	332/1	0.042

30	332/2	0.041
31	335/1	0.021
32	335/2	0.022
33	335/3	0.022
34	335/4	0.022
35	334/1	0.012
36	340/3	0.003
37	338/2	0.003
38	336	0.618
39	337	0.041
40	516/1	0.004
41	516/2	0.005
42	516/3	0.004
43	411/3	0.077
44	412/3	0.057
45	515	0.084
46	514	0.058
47	513/1	0.162
48	513/2	0.162
<b>कुल योग रकबा-</b>		<b>4.886 हे.</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 22-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -मैहर
- (ख) तहसील- मैहर
- (ग) नगर /ग्राम - बठिया
- (घ) क्षेत्रफल- 7.2340 हे०



स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	1129	0.3000
2	1119/1	0.0620
3	1119/2	0.0620
4	1119/3	0.0630
5	1119/4	0.0630
6	1119/5	0.1220
7	1119/6	0.1210
8	1119/7	0.1210
9	1119/8	0.1220
10	1119/9	0.2420
11	1119/10	0.2420
12	1119/11	0.2420
13	1119/12	0.2420
14	1114/1/1/1	0.1000
15	1114/1/1/2	0.1000
16	1114/1/1/3	0.1000
17	1114/2/1	1.0200
18	1114/2/2	0.4050
19	1114/3/1	0.3860
20	1114/3/2	0.0290
21	1115/1/4	0.0150
22	1115/3/1	0.0040

23	1115/3/2	0.0290
24	1086	0.3720
25	1128	0.6740
26	1127	0.5420
27	1132	0.3700
28	1133/2/1	0.5420
29	1133/2/2	0.5420

निजी खाता भूमि योग रकबा - 7.2340 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की सोनौरा उप शाखा नहर क्रमांक 1 के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 82- भू-अर्जन-2024

रायसेन, दिनांक 13 फरवरी 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु में तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के ग्राम सराकिया, खामखेड़ा, हमीरी, मुड़ला, वमुलिया पवार, धनखेड़ी, पोलाहा एवं नादौर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	गौहरगंज	1. सराकिया 2. खामखेड़ा 3. हमीरी 4. मुड़ला 5. वमुलिया पवार 6. धनखेड़ी 7. पोलाहा 8. नादौर	79.308	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- सराकिया तहसील गौहरगंज जिला:- रायसेन					
क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	मो शकील खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया हरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144/2/1	0.235	0.235	सिंचित
2	मो सोहेल अनवरखाँ पिता जलील खाँ पता नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144/2/2	0.231	0.231	सिंचित
3	मो इरफान खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144/2/3	0.231	0.231	सिंचित
4	मो जमील खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144/2/4	0.231	0.231	सिंचित

5	मो फरीद खॉं पिता हसन खॉं जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144/2/5	0.231	0.231	सिंचित
6	मो शकील खॉं पिता हसन खॉं जाति मेवाती पता सराकिया हरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144/2/6	2.065	1.958	सिंचित
7	मो इरफान खॉं पिता हसन खॉं जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144/2/7	1.075	1.067	सिंचित
8	इरशाद खॉं, नौशाद खॉं, असफाक खॉं, साजिद खॉं, माजिद खॉं, पिता यासीन खॉं, जैद खॉं पिता सादिक खॉं सरंक्षक इरशाद खॉं पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/1/1	1.940	1.006	सिंचित
9	रामकुंवर सिंह यादव पिता सूरत सिंह यादव जाति यादव पता मंडीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/1/2	0.024	0.002	सिंचित
10	मो साजिद खॉं, मो माजिद खॉं, पिता यासीन खॉं पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/2	3.237	1.724	सिंचित
11	साजिदा पत्नी वी पत्नि स्व. मो सादिक ना. वा. मो जैद खान आ. सादिक खॉं सरंक्षक माता स्वयं हिस्सा ५० पैसा पता नि. नयापुरा मेवाती मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2, मो असफाक पिता आ यासीन खॉं हिस्सा ५० पैसा पता नि नयापुरा मेवाती मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2.	147/3/1	2.428	0.291	सिंचित
12	साजिदा वी पत्नि स्व मो0 सादिक ना0 वा0 मो0 जैद खान आ0 सादिक खॉं सरंक्षक माता स्वयं हिस्सा 0.50 पैसा मो0 असफाक आ0 यासीन खॉं हिस्सा 0.50 पैसा जाति .... पता नि0नयापुरा मेवाती भूमि स्वामी	147/3/2	0.809	0.128	व्यावसायिक
13	मो0इरशाद खॉं मो0नौशाद खॉं आ0यासीन खॉं जाति मुसलमान पता नि0-नयापुरा मेवाती भूमि स्वामी	147/4/1	0.809	0.091	व्यावसायिक
14	मोहम्मद इरशादखॉं, मोहम्मद नौशादखॉं, पिता यासीन खॉं पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/4/2/2/1/1	0.187	0.010	व्यावसायिक
15	अशरफवी वी पत्नी समशेर खॉं पता नयापुरा मेवाती मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/4/2/2/1/2	0.011	0.004	व्यावसायिक
16	अशरफवी वी पत्नी समशेर खॉं पता नयापुरा मेवाती मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/4/2/2/1/3	0.045	0.011	व्यावसायिक
17	इकबाल अली पिता शौकत अली पता मंडीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/4/2/1/2	0.315	0.028	व्यावसायिक
18	शाविया वी बेवा चन्दू खॉं 1/8, मोहम्मद मोहसिन खान पिता चन्दू खॉं हिस्सा आधा एवं रानी खान पत्नि मोहसिन खान 1/8, मोहम्मद मेहफूज खान पिता चन्दू खॉं 1/8, मोहम्मद मेहबूब खान पिता चन्दू खॉं 1/8, मोहम्मद आजम खान पिता चन्दू खॉं 1/8, शौरिन खान पिता चन्दू खॉं 1/8, शाहीन खान पिता चन्दू खॉं 1/8, मोहम्मद अमजद खान पिता चन्दू खॉं 1/8 जाति मुसलमान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	148/1/1	0.242	0.030	व्यावसायिक
19	शाविया वी बेवा चन्दू खॉं 1/8, मोहम्मद मोहसिन खान पिता चन्दू खॉं हिस्सा आधा एवं रानी खान पत्नि मोहसिन खान 1/8, मोहम्मद मेहफूज खान पिता चन्दू खॉं 1/8, मोहम्मद मेहबूब खान पिता चन्दू खॉं 1/8, मोहम्मद आजम खान पिता चन्दू खॉं 1/8, शौरिन खान पिता चन्दू खॉं 1/8, शाहीन खान पिता चन्दू खॉं 1/8, मोहम्मद अमजद खान पिता चन्दू खॉं 1/8 जाति मुसलमान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	148/1/2	0.722		व्यावसायिक
20	मेहफूज खान पिता आ चन्दू खॉं जाति मुसलमान पता नि. नयापुरा मेवाती मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	148/2/1	0.405	0.029	व्यावसायिक
21	श्रीमति इंगिता विन्दल पत्नि मनीष विन्दल पता नि. अरेरा कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	149/1	0.720	0.038	व्यावसायिक
22	मनीष विंदल पुत्र संतोष कुमार विंदल 1/2, इंगिता विंदल पत्नी मनीष विंदल 1/2, पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	149/2	0.725	0.027	व्यावसायिक
23	जलील खान पिता हसन खॉं 1/12, फरीद खान पिता हसन खॉं 1/12, इरफान खान पिता हसन खॉं 1/12, जमील खान पिता हसन खॉं 1/12, शकील खान पिता हसन खॉं 1/12, रुखसाना बी पुत्री हसन खॉं 1/12, रेहाना बी पुत्री हसन खॉं 1/12, नफीसा बी पुत्री हसन खॉं 1/12, अनीसा बी पुत्री हसन खॉं 1/12, रईसा बी पुत्री हसन खॉं 1/12, फरीदा बी पुत्री हसन खॉं 1/12, फरजाना बी पुत्री हसन खॉं 1/12, पता नयापुरा मेवाती रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	142/2	0.068	0.068	सिंचित
24	रिजवान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	141/2/6	0.631	0.062	सिंचित
25	रिजवान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	141/2/3	0.572	0.003	सिंचित

26	इमरान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	141/2/4/1	0.847	0.445	सिंचित
27	इमरान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	141/2/4/2	0.405	0.403	सिंचित
28	एहसान खान उस्मान खान रिजवान खान इमरान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	141/2/7	0.174	0.026	सिंचित
29	फरीद खॉं पिता हसन खॉं जाति मेवाती पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	174/1/2	0.008	0.005	व्यावसायिक
30	फरीद खॉं पिता हसन खॉं जाति मेवाती पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	174/2/1/2	0.280	0.029	सिंचित
31	जमील खॉं पिता हसनखॉं जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	174/2/2/2	0.349	0.013	सिंचित
32	जलील खॉं पिता हसन खॉं जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	174/2/3/2	0.387	0.076	व्यावसायिक
33	शकील खॉं पिता हसनखॉं पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	174/2/4	0.457	0.232	सिंचित
34	संजीव कुमार पिता मुन्नालाल जाति जैन पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	151/1/1/1	0.255	0.016	सिंचित
35	विनय किशोर श्रीवास्तव पिता उमा शंकर श्रीवास्तव पता बकतरा सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4, ओमप्रकाश श्रीवास्तव पिता उमा शंकर श्रीवास्तव पता रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4, गौरव श्रीवास्तव पिता प्रेमनारायण श्रीवास्तव पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4, राहुल श्रीवास्तव पिता रूपनारायण श्रीवास्तव पता जबलपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4,	151/1/1/2	0.251	0.003	व्यावसायिक
36	नन्नुलाल पिता आ भवानीप्रसाद जाति पाटीदार पता नि0 बगली तह0हूजूर, मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	150/3/1	0.024	0.002	व्यावसायिक
37	नन्नुलाल पिता आ भवानीप्रसाद जाति पाटीदार पता नि0 बगली तह0हूजूर, मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	150/3/2	0.304	0.022	व्यावसायिक
			<b>योग</b>	<b>9.008</b>	

**ग्राम:- खामखेड़ा तहसील गौहरगंज जिला:- रायसेन**

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हें. मे	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	ममताबाई पत्नी नरवद सिंह जाति राजपूत पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/1	1.011	0.787	सिंचित
2	ममताबाई पत्नी नरवद सिंह जाति राजपूत पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/2/1	0.202	0.103	सिंचित
3	बंशीलाल पिता नानाजी जाति गुर्जर पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/2/2	2.292	0.853	सिंचित
4	मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर्स मारुत चाडक पिता राजेश चाडक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	164/1	0.336	0.036	आवासीय
5	मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर्स मारुत चाडक पिता राजेश चाडक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	164/4/1	0.221	0.011	आवासीय
6	शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि0नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165/1/1	2.023	0.214	सिंचित
7	शाहिद खॉं जाहिदखॉं पिता शफीक खॉं जाति मुस्लिम पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165/1/2	0.751	0.644	सिंचित
8	शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि0नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165/2/1	2.023	0.023	सिंचित
9	शाहिद खॉं जाहिदखॉं पिता शफीक खॉं जाति मुस्लिम पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165/2/2	0.751	0.702	सिंचित
10	अर्जुनसिंह पिता बाबूलाल जाति परमार पता लहाडपुर रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी	33	0.809	0.503	सिंचित

11	चन्द्र सिंह पिता बाबूलाल जाति गुर्जर पता खामखेड़ा गौहरगंज गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15/2/2/1	0.403	0.297	सिंचित
12	अपूर्वा वैद्य पुत्री संजय जैन संजय जैन पिता स्व श्री डी एल जैन पता वार्ड नम्बर 62 वार्ड नम्बर 62 हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15/2/2/2	0.264	0.238	सिंचित
13	संजय जैन पिता डी एल जैन 1/2, गीता जैन पत्नी संजय जैन 1/2, जाति जैन पता ई-8 एक्सटेंशन 62 बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15/2/2/1	0.304	0.155	सिंचित
14	तारा पाटीदार पत्नी लीलाकिशन पाटीदार जाति पाटीदार पता ई-8/132 भारत नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/3/3	0.405	0.029	सिंचित
15	श्यामलाल पिता धनलाल जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51/1/1/1	2.635	1.124	सिंचित
16	आदित्य प्रताप सिंह पिता शमशेर बहादुर सिंह जाति राजपुत पता निर्मल छाया खुटही रोवा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51/1/1/2	0.303	0.166	सिंचित
17	मोहित कुमार पाटीदार पिता श्यामलाल पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51/1/2	2.635	0.176	सिंचित
18	गनेशराम पिता पूरनसिंह जाति गोंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	160/1	0.299	0.028	सिंचित
19	सुशीलाबाई पत्नी तुलाराम 1/5, रंजीत पिता तुलाराम 1/5, दुर्गेश पिता तुलाराम 1/5, सूरज पिता तुलाराम 1/5, दीपक पिता तुलाराम 1/5, जाति गोंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	160/2	0.607	0.229	सिंचित
20	गेंदालाल पिता पूरन सिंह जाति गोंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	160/3	0.607	0.393	सिंचित
21	संजय जैन पिता डी एल जैन 1/2, मीमांस जैन पत्नी संजय जैन 1/2, जाति जैन पता बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/1/1/1	0.809	0.301	सिंचित
22	रामकली पत्नि मदनलाल जाती पाटीदार पता मिसरोद भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/1/1/2	0.405	0.001	सिंचित
23	हरिसिंह राजपूत पिता गुट्टीलाल जाति राजपूत पता मकान न. 39 वार्ड न. 20 मकसी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/1/2	0.405	0.105	सिंचित
24	मीता जैन पत्नी संजय जैन जाति जैन पता 72ई 8 एक्सटेंशन बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, संजय जैन पिता धनलाल जाति जैन पता 72ई 8 एक्सटेंशन बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/2/2	0.809	0.018	सिंचित
25	अर्जुनसिंह पिता बाबूलाल जाति परमार पता लहाडपुर रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी	34/1	1.214	0.291	सिंचित
26	दिवेक परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47/1	1.991	0.357	सिंचित
27	विनय परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47/2	1.991	0.152	सिंचित
28	सत्यप्रकाश पाण्डे डॉ अदित्य प्रकाश पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे 1/2, डॉ वेदप्रकाश पाण्डे पिता आ रामप्रकाश पाण्डे 1/2, जाति ब्राह्मण पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	163/1	1.416	0.083	सिंचित
29	मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारुत चार्डक पिता राजेश चार्डक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	163/2	0.280	0.091	सिंचित
30	राकेश परमार पिता बाबूलाल जाति परमार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन म. प्र.भूमि स्वामी	29	0.991	0.677	सिंचित
31	श्रीमति धापूबाई पत्नी प्रेमनारायण पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/2/1	1.392	0.221	सिंचित
32	राजेश कुमार पिता मुरलीधर 1/2, ताराबाई पति प्रदीप पाटिल 1/2, पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/2/3/1/2	0.692	0.667	सिंचित
33	श्रीमति धापूबाई पत्नी प्रेमनारायण पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/2/3/2/2	0.223	0.147	सिंचित
34	मो अली जकरिया पिता अ समद खॉ 1/2, दुर्रदारुल जलालवानो पिता असमद खॉ 1/2, पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/3/2	3.299	0.515	सिंचित
35	संतोक सिंह पिता माछी सिंह पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/2/3/2/1	0.223	0.004	सिंचित
36	संतोक सिंह पिता माछी सिंह पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/3/1/3	0.112	0.112	सिंचित
37	शिव प्रसाद पाटीदार पिता भगवान सिंह पाटीदार पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/3/1/1	0.409	0.119	सिंचित
38	सत्यप्रकाश पाण्डे, डॉ. आदित्यप्रकाश पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राह्मण पता भोपाल 1/2, डॉ.वेदप्रकाश पाण्डे पिता रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राह्मण पता भोपाल 1/2.	162	1.700	0.016	सिंचित

39	यमक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	161/1/2	2.043	0.487	सिंचित
40	मो अली जकरिया पिता असमद खाँ 1/2, दुर्रदारुल जलालवानो पिता असमद खाँ 1/2, पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	161/3/2	3.485	0.752	सिंचित
41	यमक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	161/1/1/1	1.817	0.270	सिंचित
42	मो अली जकरिया पिता असमद खाँ 1/2, दुर्रदारुल जलालवानो पिता असमद खाँ 1/2, पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	161/1/1/2	0.227	0.002	सिंचित
43	ममताबाई पत्नी नरवद सिंह जाति राजपूत पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50/1	0.202	0.128	सिंचित
44	गुलरेज खाँ पिता मुजफ्फर खाँ पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	150/2/5	0.130	0.002	सिंचित
45	इरशादखाँ नोशादखाँ असफाकखाँ साजिदखाँ माजिदखाँ पिता यासीन खाँ जैद खाँ पिता सादिक खाँ सरखंक इरशाद खाँ पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	152/2	0.350	0.009	सिंचित
46	एहसान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	155/2/1	0.589	0.036	सिंचित
47	उसमान खान पिता शरीफ खान पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	155/2/2	0.427	0.020	सिंचित
48	रिजवान खान पिता शरीफ खान पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	155/2/3	0.049	0.011	सिंचित
49	इकबालअली, रिजवानअली, सलमानअली, शाहबाजअली पिता शौकतअली पता मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	136	0.450	0.064	व्यावसायिक
50	मेसर्स दुग्गल आटोमोबाइल प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री मनीष चडडा आ0 श्री सतीश चडडा जाति पता नि0ई-7 एम.आई.जी.200अरेरा कालोनी भोपाल भूमि स्वामी	157/4/1/1	0.162	0.038	व्यावसायिक
51	मेसर्स दुग्गल आटोमोबाइल्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मनीषचडडा पिता स्व श्रीसतीषचडडा पता ई7 एम आई जी 200 अरेरा कालोनी भोपाल भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	157/3/1	0.858	0.034	व्यावसायिक
52	जसपाल सिंह पिता सरदार करतारसिंह 1/2, हरेन्द्र सिंह पिता सरदार करतारसिंह 1/2, जाति सिख्ख पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	157/2/1	0.518	0.035	सिंचित
53	सत्यप्रकाश पाण्डे पिता रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राह्मण पता ई-3-64 अरेरा कालोनी रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	157/2/2	0.405	0.018	सिंचित
54	मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चार्डक पिता राजेश चार्डक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्यप्रदेश निजी संस्था	157/1/1	0.275	0.038	आवासीय
55	विनय परमार पिता धीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	28/2	1.447	0.032	सिंचित
56	संजय जैन पिता डी एल जैन मीमांस जैन पिता संजय जैन पता बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/1	0.094	0.059	सिंचित
57	अर्जुन सिंह पिता बाबूलाल परमार जाति परमार पता लहाडपूर रायसेनमध्य प्रदेश भूमि स्वामी "	17/2	0.400	0.029	सिंचित
			<b>योग</b>	<b>12.651</b>	

**ग्राम:- हमीरी तहसील गौहरगंज जिला:- रायसेन**

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	पन्नालाल पुत्र रामरतन जाति चमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	96/3	0.797	0.170	सिंचित
2	रुप सिंह पुत्र पन्नालाल पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	96/2	3.035	0.774	सिंचित
3	शंकरलाल पुत्र पन्नालाल पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	96/1	3.035	0.989	सिंचित
4	प्रताप सिंह पुत्र रतीराम जाति गुर्जर पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	95/1/3/1	3.648	0.373	सिंचित
5	भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति भीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	86/1	0.676	0.216	सिंचित

6	जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह मीणा जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	86/2	0.676	0.304	सिंचित
7	जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	91/2	0.712	0.557	सिंचित
8	भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिंह मीणा जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	91/1	0.716	0.047	सिंचित
9	भारतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	84	0.461	0.100	सिंचित
10	जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85/2	1.688	1.353	सिंचित
11	अर्जुनसिंह पुत्र ज्ञानसिंहमीणा जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85/3/1	1.422	0.088	सिंचित
12	अवधनारायण पुत्र बालमुकुन्द पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	83/2/2/1	0.590	0.097	सिंचित
13	वंदना चौकसे पत्नी संजय चौकसे 1/2, शीला मीना पत्नी महेश प्रसाद मीना 1/2 पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी.	83/2/2/2	0.567	0.521	सिंचित
14	वंदना चौकसे पत्नी संजय चौकसे 1/2, शीला मीना पत्नी महेश प्रसाद मीना 1/2 पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी.	83/3	0.405	0.002	सिंचित
15	मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/3	1.068	0.009	सिंचित
16	आमिष खान नाबालिग संरक्षक पुत्र तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/2/4	0.944	0.384	सिंचित
17	सानिया खान नाबालिग संरक्षक पुत्री तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/2/3	0.944	0.413	सिंचित
18	आबिदा बेगम पत्नी तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/2/2	0.944	0.413	सिंचित
19	तवरेज खां पुत्र मुजफ्फर खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/2/1	0.943	0.221	सिंचित
20	मुनवर खां पुत्र मुजफ्फर खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/1/1	0.339	0.002	सिंचित
21	गजराज सिंह पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/1	1.955	0.483	सिंचित
22	बालाप्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/2	2.428	0.473	सिंचित
23	शेरसिंह पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/3	2.428	0.443	सिंचित
24	पदम सिंह पिता रामलाल 6/150, कालूराम पुत्र रामलाल 36/150, मान सिंह पुत्र रामलाल 36/150, हरिचरण पुत्र रामलाल 36/150, संतोष पुत्र चम्पालाल 9/150, कमलेश पुत्र चम्पालाल 9/150, शीलाबाई पुत्री चम्पालाल 9/150, शकुनबाई बेवा चम्पालाल 9/150 पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53	3.319	0.555	सिंचित
25	रामसिंह पुत्र पन्नालाल 1/2 भाग, संजय पुत्र गुमानसिंह 1/2 भाग पता हमीरी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	54	1.214	0.303	सिंचित
26	मिस्वाह खां पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80/1/1/1	1.416		सिंचित
27	मिस्वाह खां पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80/1/2	0.405		सिंचित
28	मिस्वाह खां पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80/2/1/1	0.607		सिंचित
29	मिस्वाह खां पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80/2/1/1/1	0.202		सिंचित
30	मो अरहम खान पुत्र मुनवर खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80/1/1/1	0.166		सिंचित
31	मुनवर खां पुत्र मुजफ्फर खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80/2/1/1/1	0.202	0.737	सिंचित
32	मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80/2/1/2	0.773		सिंचित
33	मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80/2/1/2/2	0.166		सिंचित
34	अतिका खान पत्नी मिस्वाह खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80/2/2	0.809		सिंचित
			<b>योग</b>	<b>10.027</b>	

## ग्राम:- मूडला तहसील गौहरगंज जिला:- रायसेन

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हें. मे	प्रमावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार	
1	2	3	4	5	6	
1	हेमराज पुत्र गनपतसिंह पता मूडला गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी।	97	1.214	0.533	सिंचित	
2	अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	96/2	1.623	0.221	सिंचित	
3	मेसर्स रागा एसोसिएट्स द्वारा पार्टनर रमन आनंद पुत्र अशोक आनंद पता निवासी भोपाल रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/1/1	2.481	2.190	सिंचित	
4	इकराम मो पुत्र अखलाकखॉ जाति मुस्लिम पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/1/2	1.811		सिंचित	
5	विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद 1/3, रोहतान पुत्र बालाप्रसाद 1/3, सुहागमल पुत्र बालाप्रसाद 1/3, पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/2/1	1.338		सिंचित	
6	दर्शन सिंह पुत्र शिव प्रसाद जाति मीना पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/2/2	1.342		सिंचित	
7	इकराम मो पुत्र अखलाकखॉ जाति मुस्लिम पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/2/3	0.998		सिंचित	
8	विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद 1/3, रोहतान पुत्र बालाप्रसाद 1/3, सुहागमल पुत्र बालाप्रसाद 1/3, पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/3/1	2.454		सिंचित	
9	दर्शन सिंह पुत्र शिव प्रसाद जाति मीना पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/3/2	2.438		सिंचित	
10	अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	86/2/2	0.870		0.406	सिंचित
11	सुनील पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	86/2/1	0.405		0.013	सिंचित
12	आशा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85/1/1	1.275	0.668	सिंचित	
13	बागमल पुत्र मानक सिंह जाति मीना पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85/1/2	1.153	0.088	सिंचित	
14	कृष्णाकांत पाटीदार पुत्र वैजनाथ पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/1	0.895	0.001	सिंचित	
15	रामस्वरूप पुत्र गबरु 1/2, प्रभुलाल पुत्र गबरु 1/2, जाति गाडरी पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/2	0.809	0.453	सिंचित	
16	मंजू पटेल पत्नी नीरज पटेल 1/2, गार्गी पटेल नाबालिग पुत्री नीरज पटेल 1/2, पता जाटखेड़ी गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/2/1/1/1	2.903	0.420	सिंचित	
17	अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी गौहरगंज भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	33/2/1/1/2	0.273	0.134	सिंचित	
18	अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी गौहरगंज भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	32	2.825	1.092	सिंचित	
19	घनश्याम पुत्र रामनारायण पाटीदार जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	31/1/3/1	1.420	0.148	सिंचित	
20	ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	31/1/3/2	1.425	0.858	सिंचित	
21	मनोज कुमार पुत्र रामनारायण पाटीदार जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	31/1/3/3	1.515	0.418	सिंचित	
22	ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/3/2	0.647	0.382	सिंचित	
23	विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद 1/3, रोहतान पुत्र बालाप्रसाद 1/3, सुहागमल पुत्र बालाप्रसाद 1/3, पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/1/1	0.429	0.267	सिंचित	
24	दर्शनसिंह पुत्र शिव प्रसाद जाति मीना पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/1/2	0.154		सिंचित	
25	इकराम मो पुत्र अखलाकखॉ जाति मुस्लिम पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/1/3	1.862		सिंचित	
26	संतोष कौशिक पत्नी विजयकुमार कौशिक पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/2	1.214		सिंचित	
			<b>योग</b>	<b>8.292</b>		



ग्राम:- वमूलिया पवार तहसील गौहरगंज जिला:- रायसेन					
क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा हैं. मे	प्रमावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	196	0.575	0.420	सिंचित
2	अरुणकान्त पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	173/1	1.214	0.150	सिंचित
3	वीरेन्द्रकुमार पिता तुलसीराम पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/2	1.214	0.920	सिंचित
4	उर्मिला जैन पत्नी ज्ञानचन्द्र 1/4, रजत पिता ज्ञानचन्द्र जैन 1/4, सुरमी पिता ज्ञानचन्द्र जैन 1/4, नुपूर पिता ज्ञानचन्द्र जैन 1/4, पता रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	190	7.485	1.076	सिंचित
5	धनसिंह पिता रामदयाल पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186/2	0.405	0.033	सिंचित
6	यशोदाबाई पुत्री रामदयाल पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186/3	0.182	0.128	सिंचित
7	रामवतीबाई पुत्री रामदयाल पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186/4	0.182	0.002	सिंचित
8	अरुणकांत पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	174	1.214	1.110	सिंचित
9	उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	197	2.059	0.513	सिंचित
10	कुसुम पाटीदार पत्नी संजय पाटीदार जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187/1	2.185	1.274	सिंचित
11	तुलसीराम पुत्री हरलाल जाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	175	1.214	0.188	सिंचित
12	मेसर्स श्रीजी रियलएस्टेट द्वारा लोकेश गर्ग पिता रमेशचंदजी गर्ग पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	199/1/2/1	2.140	0.088	सिंचित
13	मोहमद शाकिर पिता मोहमद कासिम पता बी-128 हाउसिंग बोर्ड कालोनी कोहेफिजा भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3/5, मनीष गोयल पिता इन्द्रनाथ गोयल पता जी-2 110सी एकता अपार्ट सर्वधर्म ऐ सेक्टर रामखेड़ा कोलर नगर पालिका हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/5, शैलेन्द्र सिंह पिता महेंद्र सिंह पता ऐ -2 /301 पैसेफिक ब्लू भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/5	192/1/1	3.546	0.272	सिंचित
14	उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी "	192/2	0.951	0.885	सिंचित
15	कमल सिंह पिता बैशीलाल पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	172/2	0.809	0.002	सिंचित
16	वीरेन्द्रकुमार पत्नी तुलसीराम 1/2, उदय पिता श्यामलाल 1/2, जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	172/3	0.809	0.493	सिंचित
17	मनोज पिता रामनारायण जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	188/1	1.118	0.427	सिंचित
18	पिनन चावला पिता राममल चावला पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	198/2/2	1.350	0.240	सिंचित
19	लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स पाटीदार पता मिसरोद भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	198/1/2/2	0.725	0.382	सिंचित
20	लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स पाटीदार पता मिसरोद भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	198/1/1/2/1	0.805	0.360	सिंचित
21	मेसर्स श्रीजी रियलएस्टेट द्वारा लोकेश गर्ग पिता रमेशचंदजी गर्ग पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	198/1/1/2/2	0.895	0.715	सिंचित
22	मेसर्स श्रीजी रियलएस्टेट द्वारा लोकेश गर्ग पिता रमेशचंदजी गर्ग पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	198/1/1/2/3	0.287	0.057	सिंचित
23	वीरेन्द्रकुमार पिता तुलसीराम 1/2, उदय पिता श्यामलाल 1/2, जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	171	1.214	0.004	सिंचित
24	श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊधोलाल संर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था	193/1	2.023	0.541	सिंचित
25	श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊधोलाल संर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था	193/2	1.012	0.781	सिंचित

26	श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊधोलाल संर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था	193/3	1.012	0.701	सिंचित	
27	श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊधोलाल संर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था	193/4	1.024	0.006	सिंचित	
28	श्यामलाल पिता हरलाल पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	152/1	2.497	0.130	सिंचित	
29	अरूणकान्त पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	152/2	1.011	0.013	सिंचित	
30	तुलसीराम पुत्री हरलाल जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	152/5	3.238	0.016	सिंचित	
				<b>योग</b>	<b>11.928</b>	
<b>ग्राम:- धनखेड़ी तहसील गौहरगंज जिला:- रायसेन</b>						
क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार	
1	2	3	4	5	6	
1	संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	60/2/1	1.052	0.752	सिंचित	
2	संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	60/2/2	0.530	0.172	सिंचित	
3	काशीप्रसाद पिता रामसेवक 1/4, संजीव पिता काशीराम शर्मा 1/4, अलका पुत्री काशीराम शर्मा 1/4, सुषमा पुत्री काशीराम शर्मा 1/4, जाति ब्राह्मण पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी समभाग	63/1/1	1.952	0.543	सिंचित	
4	गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	63/2/1/1/2	0.405	0.266	सिंचित	
5	गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति मीना पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	63/2/2	0.821	0.355	सिंचित	
6	जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	45	1.875	0.001	सिंचित	
7	जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	44/1	0.324	0.314	सिंचित	
8	जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	43/1/1	0.405	0.053	सिंचित	
9	सोनाबाई पत्नी चैन सिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	43/1/2	0.082	0.082	सिंचित	
10	अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	43/2/1	0.267	0.267	सिंचित	
11	महावीर प्रसाद पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	43/2/2/2	0.078	0.003	सिंचित	
12	कामताप्रसाद पिता घुडेलाल जाति मीणा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/2/1/1	1.214	0.638	सिंचित	
13	कामताप्रसाद, सतीशकुमार पिता फुन्दीलाल पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/2/2/2/3	1.619	1.072	सिंचित	
14	अरूण कुमार पिता गोकल प्रसाद जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/2/1/5	1.214	0.130	सिंचित	
15	अरूण कुमार पिता गोकल प्रसाद जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/2/2/4/1	0.809	0.309	सिंचित	
16	विमलाबाई बेवा मोहन सिंह 1/7, कपिल पिता मोहन सिंह 1/7, पुनियाबाई पुत्री मोहन सिंह 1/7, सुधाबाई पुत्री मोहन सिंह 1/7, आशा पुत्री मोहन सिंह 1/7, भूरी पुत्री मोहन सिंह 1/7, पप्पी पुत्री मोहन सिंह 1/7, पता धनखेड़ी रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/2/2/4/2	1.728	1.019	सिंचित	
17	अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	44/2/1/1	0.138	0.051	सिंचित	
18	महावीर प्रसाद पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	44/2/1/2	0.327	0.320	सिंचित	

19	लीलाकिशन पिता उमराव सिंह जाति पाटीदार पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/1/1/1	0.295	1.610	सिंचित
20	लीलाकिशन पिता उमराव सिंह 1/2, तरुण पिता लीलाकिशन 1/2, जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/1/1/2	0.514		सिंचित
21	रमेश कुमार पिता श्यामलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/1/2/1	0.615		सिंचित
22	ओमप्रकाश पिता उमराव सिंह पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/1/2/2/1	0.124		सिंचित
23	प्रदीप पिता उमराव सिंह पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/1/2/2/2	0.124		सिंचित
24	चिंताबाई पुत्री उमराव सिंह पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/1/2/2/3	0.124		सिंचित
25	पियूष नाबालिग पुत्र कमल सिंह संरक्षक कमल सिंह पिता 1/2, साक्षी नाबालिग पुत्री कमल सिंह संरक्षक कमल सिंह पिता 1/2, पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/1/2/2/4	0.124		सिंचित
26	प्रीतिबाई पुत्री उमराव सिंह पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/1/2/2/5	0.123		सिंचित
27	संतोष कुमार लोवंशी पिता रामचरणलोवंशी पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/2/2	0.085		सिंचित
28	चुन्नीलाल पिता बुद्धालाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/2/3/1	0.034		सिंचित
29	महेश कुमार पिता चुन्नीलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/2/3/2	0.226		सिंचित
30	ज्ञान सिंह पिता चुन्नीलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/2/3/3	0.226		सिंचित
31	राधेकिशन पिता चुन्नीलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/2/3/4	0.226		सिंचित
32	फूलचंद पिता चुन्नीलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/2/3/5	0.226		सिंचित
33	रामचरण पिता बुद्धा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/2/4	1.190	सिंचित	
<b>योग</b>				<b>7.957</b>	
<b>ग्राम:- पोलाहा तहसील गौहरगंज जिला:- रायसेन</b>					
क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा है. मे	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	राजकिशोर पुत्र भैयालाल जाति सेन पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	401/1/1	0.040	2.604	व्यावसायिक
2	राजकिशोर पुत्र भैयालाल जाति सेन पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	401/1/2	6.087		सिंचित
3	भागवतीबाई पत्नी भैयालाल जाति लोधी पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	401/2	4.047		सिंचित
4	भागवतीबाई पत्नी भैयालाल जाति लोधी पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	401/3	4.047		सिंचित
5	रईसा उद्दीन पुत्र जियाउद्दीन वली हलीम दादखां जाति मुसलमान पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	401/4	0.769		सिंचित
6	कोशल्या पाल बेवा फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	386/1	2.749	0.004	सिंचित
7	राजेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	386/2	0.550	0.373	सिंचित
8	रूपेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	386/3	0.550	0.550	सिंचित
9	दिनेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	386/4	0.550	0.545	सिंचित
10	अनीता मीना पति रूपसिंह मीना पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/1/1	0.226	0.209	सिंचित
11	राधेश्याम साहू पिता घासीराम साहू पता मंडीदीप रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/1/2	0.227	0.148	सिंचित
12	दीपिका गौंधी पत्नी अभिषेक गौंधी पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी	388/2/1/1	0.028	0.028	व्यावसायिक
13	विशाल गौंधी पिता उत्तमचंद गौंधी पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी	388/2/1/2	0.028	0.028	व्यावसायिक
14	चंद्रकांता गौंधी पिता उत्तमचंद गौंधी पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी	388/2/1/3	0.028	0.028	व्यावसायिक
15	अभिषेक गौंधी पिता उत्तम चंद गौंधी पता रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/2/1/4	0.017	0.017	व्यावसायिक

16	मंजुला देवी सेठिया पत्नी प्रमोद कुमार सेठिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी	388/2/2/1	0.028	0.024	व्यावसायिक
17	आस्था सेठिया पत्नी धीरज सेठिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी	388/2/2/2	0.028	0.017	व्यावसायिक
18	धीरज सेठिया पिता करनीधन पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी	388/2/2/3	0.028	0.010	व्यावसायिक
19	प्रमोद कुमार सेठिया पिता करनी धन सेठिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/2/2/4	0.016	0.002	व्यावसायिक
20	गिरीराज पिता राजेश लखोटिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/2/3/1	0.028	0.001	व्यावसायिक
21	चौखेलाल पुत्र फुंदीलाल जाति बढई पता नि०मण्डी दीप, मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/1/1	0.334	0.125	सिंचित
22	अशोक कुमार पुत्र इमरत सिंह जाति बढई पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/1/2/1	0.167	0.054	सिंचित
23	मनोज कुमार पुत्र इमरत सिंह जाति बढई पता मण्डीदीप रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/1/2/2	0.167	0.059	सिंचित
24	डिम्पल प्रजापति पत्नी राधेश्याम प्रजापति जाति प्रजापति पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/2/1	0.344	0.142	सिंचित
25	ज्ञानवती पत्नी गणेश प्रजापति पता नि०ग्राम भोपाल, मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/2/1/2	2.173	0.748	सिंचित
26	डिम्पल प्रजापति पत्नी राधेश्याम प्रजापति जाति प्रजापति पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/2/2	1.275	0.462	सिंचित
27	हेमकुमारी प्रजापति पत्नी नरेन्द्र कुमार प्रजापति पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/2/2/1	1.271	0.047	सिंचित
28	हेमकुमारी प्रजापति पत्नी नरेन्द्र कुमार प्रजापति पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/2/3	2.545	0.715	सिंचित
29	चौखेलाल पुत्र फुंदीलाल जाति बढई पता नि०मण्डी दीप, मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/3/1	3.484	1.408	सिंचित
30	अशोक कुमार पुत्र इमरत सिंह जाति बढई पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/3/2/1	1.742	0.399	सिंचित
31	मनोज कुमार पुत्र इमरत सिंह जाति बढई पता मण्डीदीप रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/3/2/2	1.742	0.445	सिंचित
32	सीताराम पुत्र रामसिंह 1/5, राधेश्याम पुत्र रामसिंह 1/5, चन्द्राबाई पुत्री रामसिंह 1/5, सोनाबाई पुत्री रामसिंह 1/5, मनोहरबाई पुत्री रामसिंह 1/5, पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	407/1	4.929	0.912	सिंचित
33	चन्द्रशेखर पुत्र रामभरोसे 1/2, नन्नीबाई बेवा रामभरोसे 1/2, पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	407/2	4.929	1.183	सिंचित
34	हेमंत कुमार पुत्र भैयालाल जाति लोधी पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी	402	1.708	0.710	सिंचित
35	ग्यारसीबाई बेवा किशोरीलाल मोहनसिंह हरिसिंह हरगोविन्द ताराबाई इंदरबाई पिता किशोरीलाल पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6/7, केशरबाई बेवा काशीराम शिवनारायण हरिनारायण सोनू अचलाबाई पिता काशीराम पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/7,	395/3	2.646	0.053	सिंचित
36	सुनीता पत्नी विजय श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता-83-84 किलसिक वन शुभालय परिसर होशंगाबाद रोड भोपाल, मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	406/1	0.405	0.078	सिंचित
			<b>योग</b>	<b>12.128</b>	

**ग्राम:- नादौर तहसील गौहरगंज जिला:- रायसेन**

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	बसन्तीलाल पुत्र घनलाल जाति लोधी पता नादौर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87/2	0.296	0.175	सिंचित
2	राजकुमार रामनानी पिता कुशलदास रामनानी पता स्टेट कालोनी ईदगाह हिल्स हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87/1	0.129	0.129	सिंचित
3	अनिसाबी पत्नी इदशाद अली पता नादौर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/2/2/1	0.809	0.209	सिंचित

4	रामसिंह पिता परमसुख 4720/11934, दलीपकुमार संदीपकुमार नाबालिग पिता श्रीराम बंसतीबाई विधवा श्रीराम 168/11934, रामदयाल पिता राजाराम 775/11934, रामसेवक हरिओम पिता राजाराम 2360/11934, सुमनबाई वि अवधनारायण सचिन सेन आशीष सेन नीलम सेन कल्पना वैष्णवी आ अवधनारायण ही एक एक सौ सत्रह में सम दिनेश कुमार सुरेश कुमार आसदाराम हि दो दो सौ चौतीस में सम पिता प्रेमबाई सुलोचना सुमन निर्मला आ सदाराम ही पांच सौ साठ में सम 3911/11934, पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/2	4.719	0.362	सिंचित
5	रामसिंह पिता परमसुख 4720/11934, दलीपकुमार संदीपकुमार नाबालिग पिता श्रीराम बंसतीबाई विधवा श्रीराम 168/11934, रामदयाल पिता राजाराम 775/11934, रामसेवक हरिओम पिता राजाराम 2360/11934, सुमनबाई वि अवधनारायण सचिन सेन आशीष सेन नीलम सेन कल्पना वैष्णवी आ अवधनारायण ही एक एक सौ सत्रह में सम दिनेश कुमार सुरेश कुमार आसदाराम हि दो दो सौ चौतीस में सम पिता प्रेमबाई सुलोचना सुमन निर्मला आ सदाराम ही पांच सौ साठ में सम 3911/11934, पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/1/1	1.554	0.383	सिंचित
6	शशांक जैन पिता शिखरचंद जैन 1/2, शैतेश जैन पिता सतीश जैन 1/2, पता मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/1/2	0.809	0.221	सिंचित
7	ज्ञानसिंह पुत्र मोहन सिंह परमार जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/3/1	0.949	0.211	सिंचित
8	गजराज सिंह पुत्र मोहन सिंह परमार जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/3/2	0.949	0.517	सिंचित
9	सबाईसिंह पुत्र हरप्रसाद 1/2, भूरीबाई बेवा हरप्रसाद 1/2, पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/1	2.337	1.154	सिंचित
10	गीताबाई बेवा दौलत सिंह 1/4, रतन सिंह पुत्र दौलत सिंह 1/4, हुकम सिंह पुत्र दौलत सिंह 1/4, सीमाबाई पुत्री दौलत सिंह 1/4, जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/2/2	1.165	0.012	सिंचित
11	अशरफ खान पुत्र समदखान पता नि. बैरागढ चिचली भोपाल मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47/1	0.645	0.395	सिंचित
12	नुवीन खान पुत्र समदखान पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47/2	0.626	0.043	सिंचित
13	इमरतसिंह पुत्र बाफूलाल परमार जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	54/3	2.387	0.418	सिंचित
14	जीतमल पुत्र सट्टी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51/1/2	2.035	0.076	सिंचित
15	गोविन्दसिंह पुत्र सट्टी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51/2/2	2.036	0.250	सिंचित
16	नुवीन खान पुत्र समदखान पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/1/1	0.245	0.064	सिंचित
17	मतीनखान पुत्र समदखान पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/1/2	0.362	0.241	सिंचित
18	अशरफ खान पुत्र समदखान पता नि0बैरागढ चिचली भोपाल मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/2	0.607	0.241	सिंचित
19	जीतमल पुत्र सट्टी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50/2/2	0.226	0.006	सिंचित
20	खुबीलाल पुत्र धनलाल पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/1/2	2.152	0.890	सिंचित
21	भगवान सिंह पिता धनलाल जाति लोधी पता समनापुरखुर्द गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/3/1	1.053	0.164	सिंचित
22	तरुण कुमार पिता भगवान सिंह जाति लोधी पता समनापुरखुर्द गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/3/2	1.053	0.003	सिंचित
23	बसन्तलाल पुत्र धनलाल जाति लोधी पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/2/2	2.055	1.083	सिंचित
24	राजकुमार रामनानी पिता कुशालदास रामनानी पता स्टेट कालोनी ईदगाह हिल्स हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/2/1/2	0.405	0.070	व्यावसायिक
<b>योग</b>			<b>7.317</b>		

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयवाधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सतना, मध्यप्रदेश

क्र. 25-8-एस.डब्ल्यू.-2024

सतना, दिनांक 17 जनवरी 2024

म0प्र0 शासन गृह विभाग के जापन क्रमांक एफ-2(क) 15/99 बी-3/दो दिनांक- 11.10.2004 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये पुलिस अधीक्षक जिला सतना एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला सतना के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक- 17.01.2024 में लिये गये निर्णय के क्रम में जिला सतना के पुलिस थानों में सम्मिलित, नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं0 2 की तहसील अंतर्गत कालम नं0 3 में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को एतद द्वारा अनुसूची के कालम नं0 4 में अंकित थानों से विलोपित करते हुए कालम नं0 5 की अधिकारिता में सम्मिलित किए जाने हेतु अधिसूचित करता हूँ।

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम/वाड़ का नाम	वर्तमान थाना का नाम	प्रस्तावित थाना का नाम जिसमें ग्राम को शामिल किया जाना है	प्रस्तावित चौकी का नाम
1	2	3	4	5	6
1	रामपुर बाघेलान	झिरिया कोपरिहान	ताला	रामपुर बाघेलान	निरंक
2	रामपुर बाघेलान	झिरिया बाजपेयी	ताला	रामपुर बाघेलान	---
3	रामपुर बाघेलान	झिरिया कोठार	ताला	रामपुर बाघेलान	---
4	रामपुर बाघेलान	ककलपुर (शाहपुर, दुबहा, जोधपुर)	ताला	रामपुर बाघेलान	---
5	रामपुर बाघेलान	देउ	ताला	रामपुर बाघेलान	---
6	रामपुर बाघेलान	बरा	ताला	रामपुर बाघेलान	---
7	रामपुर बाघेलान	धतुआ	ताला	रामपुर बाघेलान	---
8	रामपुर बाघेलान	खटखरी	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
9	रामपुर बाघेलान	जमुनिया 158	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
10	रामपुर बाघेलान	जमुनिया 159	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
11	रामपुर बाघेलान	नैना कोठार	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
12	रामपुर बाघेलान	करही कोठार	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
13	रामपुर बाघेलान	करही वृत्त	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
14	रामपुर बाघेलान	कृष्णगढ़	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
15	रामपुर बाघेलान	इटमा नदीतीर	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
16	रामपुर बाघेलान	कर्पवाह कोठार	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
17	रामपुर बाघेलान	लेदरा	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
18	रामपुर बाघेलान	कर्पवाह भाइप	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
19	रामपुर बाघेलान	अकौनी कोठार	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
20	रामपुर बाघेलान	खेरिया कोठार	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
21	रामपुर बाघेलान	खेरिया पैपखार	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
22	रामपुर बाघेलान	सोनौरा	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
23	रामपुर बाघेलान	महेवा	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---

24	रामपुर बाधेलान	रावेला	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
25	रामपुर बाधेलान	हुडहा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
26	रामपुर बाधेलान	उगरी	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
27	रामपुर बाधेलान	रामपुर गुडवार	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
28	रामपुर बाधेलान	खरमाही	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
29	रामपुर बाधेलान	चौरहटा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
30	रामपुर बाधेलान	हुटगा नवीन	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
31	रामपुर बाधेलान	सखहा पैपखार	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
32	रामपुर बाधेलान	रजहा गजरा सखहा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
33	रामपुर बाधेलान	सखहा चकनई	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
34	रामपुर बाधेलान	धीदा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
35	रामपुर बाधेलान	सोगरा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
36	रामपुर बाधेलान	हुटगा फोठार	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
37	रामपुर बाधेलान	गहियार उन्गूलन	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
38	रामपुर बाधेलान	देवरी	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
39	रामपुर बाधेलान	अरारार	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
40	रामपुर बाधेलान	अडारी	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
41	रामपुर बाधेलान	शिवपुरवा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
42	रामपुर बाधेलान	ओबरी फोठार	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
43	रामपुर बाधेलान	दुबारी फोठार	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
44	रामपुर बाधेलान	दुबारी उन्गूलन	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
45	रामपुर बाधेलान	कोनिया फोठार	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
46	रामपुर बाधेलान	कोनिया पुरानिक	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
47	रामपुर बाधेलान	कोनिया मोहनदास	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
48	रामपुर बाधेलान	कोनिया धर्मपुरहान	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
49	रामपुर बाधेलान	चौरा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
50	रामपुर बाधेलान	खुखुडा फोठार	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
51	रामपुर बाधेलान	खुखुडा उन्गूलन	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
52	रामपुर बाधेलान	चौरहा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
53	रामपुर बाधेलान	राजाबगरा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
54	रामपुर बाधेलान	खोखम	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
55	रामपुर बाधेलान	ताला तलरी	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
56	रामपुर बाधेलान	शिरगो पहाड़	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
57	रामपुर बाधेलान	कल्ला	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
58	रामपुर बाधेलान	त्यौंधरी	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
59	रामपुर बाधेलान	त्यौंधरी नं. 1	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
60	रामपुर बाधेलान	त्यौंधरी नं. 2	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
61	रामपुर बाधेलान	रुंगया	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
62	रामपुर बाधेलान	खुटहा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
63	रामपुर बाधेलान	शाह	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
64	रामपुर बाधेलान	सहिजना	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
65	रामपुर बाधेलान	मौधारी कटरा	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---
66	रामपुर बाधेलान	अहिरगांव	अगरपाटन	रामपुर बाधेलान	---

67	रामपुर बाघेलान	किरहाई	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
68	रामपुर बाघेलान	उमरी उर्फ शिवाराजी	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
69	रामपुर बाघेलान	ओढकी	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
70	रामपुर बाघेलान	पाल	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
71	रामपुर बाघेलान	कोटरा	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
72	रामपुर बाघेलान	कोटरी	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
73	रामपुर बाघेलान	बैरागल	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
74	रामपुर बाघेलान	बछरा	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
75	रामपुर बाघेलान	कुल्लहा	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
76	रामपुर बाघेलान	मौहरिया	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
77	रामपुर बाघेलान	हरदी	अमरपाटन	रामपुर बाघेलान	---
78	कोटर	अधरवार	सभापुर	कोटर	---
79	कोटर	उदका	सभापुर	कोटर	---
80	कोटर	सेमरी	सभापुर	कोटर	---
81	रघुराजनगर	वार्ड नं. 37 उंचवा टोला	कोलगवां	सिटी कोतवाली	---
82	रघुराजनगर	वार्ड नं. 10 मारुती नगर	कोलगवां	सिटी कोतवाली	---
83	रघुराजनगर	ग्राम इटमा	सिविल लाइन	कोठी	---
84	रघुराजनगर	कठवरिया	सिविल लाइन	कोठी	---
85	रघुराजनगर	चिरहुली	सिविल लाइन	कोठी	---
86	रघुराजनगर	घुघुवार	सिविल लाइन	जैतवारा	---
87	कोठी	रक्सैलवा	कोठी	सिंहपुर	---
88	कोठी	देवरी	कोठी	सिंहपुर	---
89	नागौद	रम्पुरा	जसो	नागौद	---
90	नागौद	धमनहा	जसो	नागौद	---
91	नागौद	राजापुर	जसो	नागौद	---
92	उचेहरा	भटनवारा	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
93	उचेहरा	सेमरी दुवे	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
94	उचेहरा	सोनवर्षा	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
95	उचेहरा	सिमरी भटनवारा	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
96	उचेहरा	कोरदरा	उचेहरा	जसो	---
97	उचेहरा	हरदुआ	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
98	उचेहरा	उमरी	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
99	उचेहरा	पतेरी	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
100	उचेहरा	महदेई	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
101	उचेहरा	कैथी	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
102	उचेहरा	बरहटा	उचेहरा	सिटी कोतवाली	---
103	बिरसिंहपुर	खोखली	कोठी	जैतवारा	---
104	बिरसिंहपुर	दुदुआर	कोठी	जैतवारा	---
105	बिरसिंहपुर	सुसुआर	कोठी	जैतवारा	---
106	बिरसिंहपुर	अतरार	कोठी	जैतवारा	---
107	बिरसिंहपुर	हलावन	सभापुर	धारकुण्डी	---
108	बिरसिंहपुर	मेहली	कोटर	जैतवारा	---
109	मझगवां	म्यान	मझगवां	सिंहपुर	---



110	मझगवां	अगरदरी	मझगवां	सिंहपुर	---
111	मझगवां	बुंदेलापुरवा	राभापुर	मझगवां	---
112	मझगवां	पड़वनिगा जगीर	नयागांव चिप्रमूट	मझगवां	---
113	मझगवां	उगरदरी	सिंहपुर	मझगवां	---

जिला सतना के संचालन व संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

क्र. 111-आरडीएम-2024

टीकमगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2024

पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 30.01.2024 की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जिला टीकमगढ़ के संलग्न सारणी के कॉलम नंबर 1 में उल्लेखित थाना/चौकी से उसके (सारणी के) कॉलम नंबर 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुये सारणी के कॉलम नंबर 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नंबर 3 में जोड़े जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है।

अवधेश शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

## टीकमगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्र०-2) की धारा 2 के खण्ड एस0 एवं शासन के आदेश क्र०-2-(क)-15-99-बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-2(क)-09-08-बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं म०प्र०शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो दिनांक 02.01.2024 एवं 03/1770880/2023/बी-3/दो दिनांक 04.01.2024 अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 30.01.2024 के निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्ण अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से -

एक- नीचे दी सारणी के कॉलम(1) में उल्लेखित पुलिस थाना/चौकी से उसके (सारणी के) कॉलम नं० 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है।

दो- सारणी के कॉलम नंबर 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित पुलिस थाने/चौकी में सम्मिलित करती है।

पुलिस थाना/चौकी का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है।	ग्राम एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम	पुलिस थाना/चौकी का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है।
1	2	3
पुलिस चौकी मजना थाना बल्देवगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम बनपुरा खुर्द, बनियानी, भितरवार	थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
पुलिस चौकी मजना थाना बल्देवगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम पनियाराखेरा	थाना दिगौडा तहसील दिगौडा जिला टीकमगढ़
चौकी मजना थाना बल्देवगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम चतुरकारी, कमल नगर, हण्डासागर	थाना जतारा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़
थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़	मजना चौकी के ग्राम- ग्राम मजना, भडरा, रौरई, सिनौनी, बम्हौरी नकीबन, जशवंतनगर, कटेराखेरा, मडगर, रायपुर, छिपौन, गडरयाना खिरक, बनयानी, इन्द्र महोबा	थाना देहात टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़
पुलिस चौकी देवरदा थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम पंचायत नयागांव- ग्राम जामुन तलेया, बरियाखेरा, गलगलया, गडा टोरिया, माते का खेरा, मदेलनखेरा	थाना बुडेरा तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़
थाना लिधौरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़	महेबा चक 1,3	पुलिस चौकी जेवर थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़
थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़	महेबा चक 2,4	पुलिस चौकी जेवर थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़
थाना देहात तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम शिवराजपुरा	थाना मोहनगढ़ तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़
थाना देहात तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम उत्तरीकारी	थाना दिगौडा तहसील दिगौडा जिला टीकमगढ़
थाना पलेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़	ग्राम छिद्रारा	पुलिस चौकी देरी थाना कुडीला तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़
थाना बुडेरा तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़	ग्राम दरगुवां	थाना बडागांव तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़
थाना खरगापुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़	ग्राम जामुनझोर, मझगुवां	थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
पुलिस चौकी बंधाजी थाना मोहनगढ़ तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम केशवगढ़, हथेरी	थाना मोहनगढ़ तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़
थाना देहात तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम बौरी	थाना कोतवाली तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़
थाना बुडेरा तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़	ग्राम रमपुरा	थाना बडागांव तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़
थाना बुडेरा तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़	ग्राम पतारी	थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
पुलिस चौकी देवरदा थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़	ग्राम बडाघाट, लखेरी, गुखरई, तालमउ	थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
थाना कुडीला तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़	पुलिस चौकी देरी समस्त ग्राम - मातौल, देरी, पचेर,धर्मपुरा, भानपुरा, पथरगुवां, रमसगरा, ददगांव, छिदारी, तिगौडा, कोटरा, हृदयनगर, गैती, टीला, पिपरा,बिलारीखेरा, खुडौं, खैरा, धनेरा	थाना खरगापुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़

In exercise the powers conferred by clause (s) section-2 of the code of criminal procedure 1973 (no.2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No F-2(A)15/99/B-3/Two Bhopal Dated 11-10-04 and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No.-F2-(K)15-99-08-B-3-two dated 30 July 2010 and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No.- 01/1770880/2023/b-3/two dated 02-01-2024 and Order No.- 03/1770880/2023/b-3/two dated 04-01-2024 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector, SP & DPO. In meeting Dated 30 JANUARY 2024 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

- 1- Excludes from the Police Station mentioned in the column(1) of the below the local areas specified in the column (2) there of and.
- 2- Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said table:-

Name of The Police Station (with Tahsil And The District) from which excluded (1)	Name of the village/Local Places (2)	Name of The Police Station (with Tahsil And The District) from which included (3)
OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Banpura khurd, Baniyani, Bhitavvar	PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Panlyarakhera	PS Digora Tehsil Digora Dist. Tikamgarh
OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Chaturkari, Kamalnagar, Handasagar	PS Jatara Tehsil Jatara Dist. Tikamgarh
PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh	under to op majna village- Vill. Majna, Bhadra, Raural, Sinoni, Bamhori nakiban, Jaswantnagar, Katerakhera, Madgar, Raipur, Chhipon, Gadaryana khirak, Banyani, Indra Mahoba	PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh
OP Devarda PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Panchayat Nayagaon- Vill. Jamun talaiya, Bariyakhera, Galgalya, Gadatoriya, Mate ka khera, Madelan khera	PS Budera Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh
PS Lidhora Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh	Maheba Chakra 1,3	OP Jevar PS Chandera Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh
PS Chandera Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh	Maheba Chakra 2,4	OP Jevar PS Chandera Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh
PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Shivrājpora	PS Mohangarh Tehsil Mohangarh Dist. Tikamgarh
PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Uttarikari	PS Digora Tehsil Digora Dist. Tikamgarh
PS Palera Tehsil Palera Dist. Tikamgarh	Vill. Chhidara	OP Deri PS Kudila Tehsil Khargapur Dist. Tikamgarh
PS Budera Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh	Vill. Darguan	PS Badagaon Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh
PS Khargapur Tehsil Khargapur Dist. Tikamgarh	Vill. Jamunjhor, Majhguan	PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
OP Bandhaji PS Mohangarh Tehsil Mohangarh Dist. Tikamgarh	Vill. Keshavgarh, Hatheri	PS Mohangarh Tehsil Mohangarh Dist. Tikamgarh
PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Bauri	PS Kotwall Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh
PS Budera Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh	Vill. Rampura	PS Badagaon Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh
PS Budera Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh	Vill. Patari	PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
OP Devarda Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh	Vill. Badaghat, Lakheri, Gukhral, Talmau	PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
PS Kudila Tehsil Khargapur Dist. Tikamgarh	under to op Deri all villages- Mataul, Deri, Pacher, Dharpura, Bhanpura, Patharguvan, Rainsagra, Dadgayn, Chhidari, Tigoda, Kotra, Hradaynagar, Galti, Tila, Pipra, Bilarikhaira, Khudon, Khaira, Dhanera	PS Khargapur Tehsil Khargapur Dist. Tikamgarh

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.